खण्ड-196, अंक-5
सोमवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1880
(11 अगस्त, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1958

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३२३–३२७
प्रश्नोत्तर	३२७–३६३
अनुपूरक प्रश्न करने के लिये अवसर न प्राप्त होने के सम्बन्ध में शिकायत ..	३६३
एक ही प्रकार के कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	३६४
कलक्टरी कचहरी देवरिया में 'घेरा डालो' आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६४–३६५
बाढ़ तथा अतिवृष्टि से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६५–३६६
गोंडा जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ला न मिलने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६७
बलिया जिले में अनाज का कोटा कम किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६७
श्री अमरनाथ मिश्र के अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६७
देवरिया जिले में कीड़ों द्वारा फसल को हानि पहुंचने के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६८
बलिया जिले में हैजे के प्रकोप के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६८
उन्नाव जिले के अपराधों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६८
श्रीमती समरजिया, ग्राम बुढ़ावर, जिला आजमगढ़ की भुखमरी से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६९
साप्ताहिक कार्य-क्रम की सूचना	३६९–३७०
उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७	३७१–४०९
१९५४–५५ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद (जारी)	४०९–४२१
नत्थियां	४२२–४२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ११ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर , श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद , श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह , श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी , श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थू सिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री

बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मूजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन , श्री (बाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ, श्री
वजरंग बिहारी लाल रावत, श्री
वाशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री,
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ११ अगस्त, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१-२--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[स्थगित किये गये]

नियोजन विभाग के ब्लाक कर्मचारियों को गजटेड छुट्टियां न मिलने की शिकायत

**३--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नियोजन विभाग के ब्लाक के कर्मचारियों को गजेटेड छुट्टियां नहीं दी जाती हैं? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री राजविहारीसिंह)---ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि कर्मचारियों को गजेटेड छट्टियां न दी जायं।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि रविवार को छुट्टियां वी० एल० डब्ल्यू०, ए० डी० ओ०, टाइपिस्ट व क्लर्क जो ब्लाक में होते हैं उनको नहीं दी जाती हैं ?

श्री राजविहारीसिंह---जहां तक शासन को मालूम है तमाम गजेटेड छुट्टियां सब कर्मचारियों को दी जाती हैं।

जालौन जिले में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की मांग

**४--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला जालौन में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो दुकानें कब तक और कहां-कहां खुलेंगी ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग लागू नहीं होता।

इण्डस्ट्रियल कालोनी, नैनी, जिला इलाहाबाद की जयपुरिया काटन मिल का बन्द रहना

**५--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी की जयपुरिया काटन मिल ३-८-५८ से बन्द हो गई है। यदि हां, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--यह मिल ४ अगस्त से बन्द हो गई थी, बन्दी का कारण स्टैपिल फाइबर के कोटे का न मिलना था। यह मिल ९ अगस्त से फिर चालू हो गई है।

**६--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपर्युक्त काटन मिल के बन्द हो जाने से कितने आदमी बेकार हो गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर-- मिल बन्दी से २७८ व्यक्ति प्रभावित हुये थे।

राज्य में भिखारियों की संख्या बढ़ना

**७--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंबई की सरकार द्वारा क्या कोई ऐसी प्रार्थना उत्तर प्रदेश की सरकार को आई थी, जिस में यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के वे लोग जो बंबई राज्य में भीख मांगते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार वापस बुला ले ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

**८--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार ने इसका पता लगाया है कि राज्य में भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर--सरकार के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि इस राज्य में भिखारियों की संख्या बढ़ रही है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार ने इन अभावग्रस्त क्षेत्रों से कोई सूचना मंगाने की चेष्टा की है कि वहां पर भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जैसा कि मैंने कहा हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अभी हमने पिछले साल एक सर्वे कराया था कबाल टाउन्स में और हमारे सर्वे के मुताबिक वहां की संख्या १२,२०० हमें मालूम हुई, इससे ज्यादा हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार ने कबाल टाउन्स में इस बात की जांच कराई कि वहां भिखारियों की संख्या जब पहले जांच हुई थी तब से लेकर अब तक बढ़ी है या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

जिला बोर्ड उन्नाव के जे० टी० सी० अध्यापकों को नवीन ग्रेड देने के सम्बन्ध में पत्र

*१--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के संयुक्त शिक्षा संचालक पंचमंडल की ओर से कोई पत्र संख्या आई-४७८७/३१--२०(४९)५७-५८, दिनांक २५-२-५८ जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को प्रेषित किया गया है उसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष जिला बोर्ड, उन्नाव को भी

भेजी गई है जिसमें जिला बोर्ड, उन्नाव के समस्त जे० टी० सी० प्रशिक्षित शिक्षकों को नवीन ग्रेड ६६–११६ रु० पिछले बकाया सहित तुरन्त अदा करके १५ मार्च, १९५८ तक उत्तर मांगा गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)––जी हां।

*२––श्री भगवतीसिंह विशारद––यदि हां, तो क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश––जिलाधीश उन्नाव को लिखा गया है कि सरकारी सहायता व अनुदान का अभाव बतला कर परिषद् द्वारा अध्यापकों को जे० टी० सी० का नवीन ग्रेड (६६––११६ रु०) न देना उचित नहीं है। अतएव वे परिषद् को निर्देश दें कि वे अध्यापकों को जे० टी० सी० का ग्रेड प्रदान करें।

श्री भगवतीसिंह विशारद––क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलायेंगे कि जे० टी० सी० अध्यापकों का जो पैसा अभी तक बकाया है उसको उनको दिलाने के सिलसिले में वे क्या व्यवस्था कराने जा रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश––श्रीमन्, मैं निवेदन कर चुका हूं कि जिलाधीश को लिखा गया है कि वे उनको जो ग्रेड है वह दिलावें।

श्री भगवतीसिंह विशारद––क्या मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि उन्नाव के जिलाधीश को शिक्षा संचालक पंचमंडल की ओर से जो आवेदन-पत्र भेजा गया था उसको उचित नहीं मानते ?

श्री कैलाशप्रकाश––जी नहीं, इसकी तो कोई सूचना नहीं है।

*३–४––श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)––[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

जनता विद्यामन्दिर हायर सेकेण्डरी स्कूल, उरई, जिला जालौन के प्रबन्ध के सम्बन्ध में शिकायत

*५––श्री गोविन्दनारायण तिवारी (अनुपस्थित)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई, जिला जालौन के जनता विद्यामंदिर हायर सेकेन्डरी स्कूल के प्रबन्ध, अध्यापन आदि के विषय में कोई शिकायती दरख्वास्त सरकार अथवा शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––जी हां, हुई है। विभागीय आडीटर द्वारा विशेष परीक्षण करने का प्रबन्ध हो रहा है।

*६––श्री गोविन्दनारायण तिवारी (अनुपस्थित)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई, जिला जालौन के जनता विद्यामंदिर हायर सेकेण्डरी स्कूल को कब से मान्यता प्रदान की गई और अब तक प्रति वर्ष कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––जुलाई, १९५४ से हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिये––

	रुपया
१९५५–५६	१,०५६
१९५६–५७	५,९५१
१९५७–५८	८,८९८

गोरखपुर जिले में नलकूप योजना तथा नहरी मुकदमे

*७--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोरखपुर में जो नलकूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाले हैं वे किन-किन स्थानों पर बनेंगे और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में बनाये जाने वाले नलकूपों की सूची सम्मिलित है। स्थान जहां नलकूप बनाये हैं तथा वर्तमान स्थिति का भी विवरण सूची में दिया हुआ है ?

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२२ पर)

*८--श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में नहर विभाग में नहर काटने के कितने मुकदमे जनवरी, १९५६ से दिसम्बर, १९५७ तक चलाये गये और उनमें कितने फैसले हुये और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री राममूर्ति--जनवरी, १९५६ से दिसम्बर, १९५७ तक नहर काटने के सम्बन्ध में केवल एक मुकदमा डिप्टी रेवेन्यू आफिसर (Deputy Revenue Officer) के इजलास में भेजा गया था जिसका फैसला हो चुका है।

गोरखपुर जिले में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई

*९--श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में सन् १९५६-५७ में कितने थानेदारों, हेड कांस्टेबिलों, मुंशी व कांस्टेबिलों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां हुईं ? उनमें कितने मुअत्तल किये गये तथा कितने नौकरी से अलग किये गये और कितनों पर कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति--मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२३ पर)

*१०-११--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[हटा दिये गये।]

बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिलों में नहर मांट ब्रांच द्वारा सिंचित क्षेत्र में नलकूपों से सिंचाई की दर

*१२--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नहर मांट ब्रांच को जिला बुलन्दशहर व अलीगढ़ में खारिज करके जो ट्यूबवेल्स लगाये गये हैं उनके द्वारा सिंचित क्षेत्र में इस समय आबपाशी की दरें नहर की पुरानी दरों से वसूल की जा रही है या ट्यूबवेलों की दरों से ?

श्री राममूर्ति--जो क्षेत्र नहर द्वारा सींचा जाता था उसमें नलकूपों द्वारा की गई सिंचाई की दरें नहर की पुरानी दरों से वसूल की जा रही है। अन्य खाकी क्षेत्रों में जहां पहिले नहर से सिंचाई नहीं होती थी नलकूपों की सिंचाई की दरें लागू की गई हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जो नहरी कमांड था पहले, जहां ट्यूबवेल लगाये गये हैं उसमें पूरे में पानी ट्यूबवेल नहीं दे रहा है आजकल ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इसकी कोई इस वक्त खबर नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो खाकी क्षेत्र वहां बताया है उसके संबंध में सरकार की तरफ से कोई जांच हो रही है ? यदि हां, तो वह रकबा कितना है जो खाकी में ट्यूबवेल में लिया गया है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास रकबे की तो कुल तादाद नहीं है लेकिन नहर से हटाकर ट्यूबवेल लगाये गये हैं और बहुत से ट्यूबवेल ऐसे हैं कि जिन पर ऐसे एरिया ले लिये गये हैं जो पहले खाकी थे। उतना जो खाकी एरिया है उन्हीं के ऊपर ट्यूबवेल की नयी दरें लगाई गई हैं, बाकी जो पहले नहर की दरें थीं वही चालू है।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बुलन्दशहर में नलकूप लगाकर मांट ब्रांच के लिये पानी पहुंचाया गया है क्या वह पानी पहुंचकर वहां काम शुरू हो गया है? यदि नहीं तो अभी कितनी देर लगेगी?

श्री राममूर्ति—मांट ब्रांच में उसके ऊपर के हिस्से में ६० ट्यूबवेल लगाये गये इस खयाल से कि वहां की जमीन जिसमें चोया हो गया था और सोते निकल गये हैं, फलस्वरूप जमीन खराब हो रही है ठीक हो जाय और दूसरे मथुरा के हिस्से में जहां कि पानी खारी है, वहां मीठा पानी मिल जाय। इस खयाल से ६० ट्यूबवेल वहां लगाये गये। मांट ब्रांच का पानी पहुंच गया है। वह पानी नीचे की ओर जाने लगा है और वहां सिंचाई होने लगी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस समय ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है तो नहर का रेट पुराना क्यों वसूल किया जा रहा है?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, जो इलाके कि नहर पर हैं वह लोग कभी यह पसन्द नहीं करते हैं कि वहां पर ट्यूबवेल लगाये जायं, क्योंकि नहर की आबपाशी सस्ती पड़ती है। जब यह ट्यूबवेल हमने लगाये तो डिपार्टमेंट ने यह आश्वासन किसानों को दिया कि चूंकि नहरी आबपाशी से उनको वंचित किया जा रहा था इसलिये उसकी जगह ट्यूबवेल लगाये जायेंगे उनकी आबपाशी की दरें वही होंगी जो कि नहर की दरें हैं, तब उनको संतोष हुआ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि उस समय मंत्री जी जनता में यह आश्वासन देकर आये थे कि इस क्षेत्र के सारे रकबे में नहर की आबपाशी लेंगे और ५६-५७ में सारे रकबे में नहर की आबपाशी की दर ही लगाई गई?

श्री राममूर्ति—मुझे इस बात की तो याद पड़ती नहीं लेकिन यह ठीक है कि काम शुरू किया गया उसमें जितना भी सिंचाई का क्षेत्र था पहले का उसमें नहर की आबपाशी ली जारही है और जो नये खाकी एरिया लिये जा रहे हैं उनमें नलकूप की आबपाशी ली जा रही है।

*१३-१५—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित) [स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले में गुलाठी कस्बे के नल कूप का न चालू होना

*१६—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कसबा गुलाठी, जिला बुलन्दशहर में नलकूप को बने दो वर्ष से अधिक हो गये हैं, परन्तु बिजली न होने के कारण अभी वह पानी नहीं दे रहा है?

श्री राममूर्ति—जी हां, यह सत्य है कि कसबा गुलाठी, जिला बुलन्दशहर में रूरल वाटर सप्लाई स्कीम का नलकूप पिछले दो वर्ष से बना पड़ा है, किन्तु बिजली न होने के कारण अभी वह पानी नहीं दे रहा है।

*१७—श्री जगवीरसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस नलकूप के जमीन में दाबे जाने वाले नलों में जंग लग गया और वे खराब हो रहे हैं?

श्री राममूर्ति—जो नल जमीन में देते हैं वह गैलवैनाइज्ड (galvanised) लोहे के बने हैं। इन पर जंग का प्रभाव बहुत कम होता है।

*१८-१९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०—श्री गनेशीलाल चौधरी—[३० सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२१-२२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[पांचवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १२-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

देवरिया नगरपालिका में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के लिये अनुदान की मांग

*२३—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार देवरिया नगरपालिका में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने का विचार कर रही है? क्या उक्त नगरपालिका ने इस संबंध में किसी अनुदान की भी मांग की है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं। जी हां।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष कुछ नगरपालिकाओं को इस योजना में लेने की योजना है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, थी तो सही लेकिन धनाभाव के कारण उनमें भी कुछ हो नहीं पाया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं यह जानना चाहता हूं कि नगरपलिका देवरिया ने सन् ५५ के सितम्बर माह में जिस तरह का एक प्रस्ताव भेजा है वह इस अनिवार्य शिक्षा योजना को चालू करने के लिये जो व्यय होगा उसका एक हिस्सा नगरपालिका देगी, तो शेष हिस्सा सरकार को देने में क्या दिक्कत है?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं तो उत्तर दे चुका कि नगरपालिकाओं ने इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा किन्तु धन के अभाव के कारण अभी नगरपालिकाओं के क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि यदि नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा जारी की जाय तो कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये सूचना चाहिये इस समय आंकड़े नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इस सूचना को एकत्रित कर के सदन के सामने रखने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना तो सरकार के पास कार्यालय में होगी, किसी खास नगरपालिका के विषय में यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह दे दी जायगी।

लखनऊ में गुप्तचर विभाग के पुलिस कुत्ते

*२४—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे जिले व ऐसे थाने उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से हैं जहां पर अपराधियों के पकड़ने के लिये कुत्तों से कार्य लिया जा रहा है?

श्री कैलाशप्रकाश—पुलिस कुत्तों का एक दल इस समय गुप्तचर विभाग, लखनऊ के अधीन है और इसकी कोई शाखा प्रदेश के किसी और जिले में नहीं खोली गई है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में अपराधियों की संख्या बढ़ी हुई है उन जिलों में उन कुत्तों से अपराधों का पता लगाने में काम लिया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी तो वह केवल प्रयोग के रूप में लखनऊ में ही हैं और इसके आस-पास के जिलों में भी उनसे काम ले लिया जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कुत्तों से जिरह न किये जा सकने के कारण उन के द्वारा पकड़े हुये अपराधी अदालतों से छूट गये ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कोई कानून सरकार बनाने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना तो मुझे नहीं है कि उनसे जिरह न किये जा सकने के कारण कोई केस छूट गये हों।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि कुत्तों की किस ब्रीड से काम लिया जा रहा है और दूसरे देशों में उनकी किस ब्रीड से काम लिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह एक खास तरह की ही ब्रीड है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिन कुत्तों से यह काम लिया जा रहा है उन को कितने दिन की ट्रेनिंग किस इंस्टीट्यूट में दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, यह कुत्ते कहीं पर तो ट्रेंड किये जाते होंगे।

श्री अध्यक्ष—गरमी के दिनों में नैनीताल भेज देंगे उन्हें।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या गृहमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन कुत्तों से कुछ अपराधों का पता लगाया गया ? यदि हां, तो उसमें कामयाबी हुई है किसी अपराध के पता लगाने में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, लगाया गया। १६ ऐसे केसेज में उनसे सहायता मिली है।

श्री बलदेवसिंह—उन १६ केसेज में अदालत के निर्णय हुये ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी कि क्या केसेज भेजे गये। लेकिन उनसे सहायता मिलती है और उसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, इस माने में कि जहां अपराध हो वहां तुरन्त ये पहुंच जायं और वह दूषित न हुआ हो तो उसमें सहायता मिल जाती है। अक्सर ऐसा भी हुआ कि जितनी दूर तक गंध मिलती रही उनसे सहायता मिली, उसके बाद वह अटपटा गये, क्योंकि गंध के सहारे ये काम करते हैं। उनकी ट्रेनिंग हो रही है और इसका प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनसे सहायता मिल सकती है और कई मामलों में काफी सहायता मिली है।

गाजीपुर सिटी हायर सेकेन्डरी स्कूल के हिसाब किताब की जांच

*२५—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर सिटी हायर सेंकेंड्री स्कूल में सरकारी आडिटर ने कोई गबन पकड़ा है ? अगर हां, तो सरकार उस संबंध में क्या कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस विद्यालय की किसी इर्रेगुलेरिटी के संबंध में कोई विभागीय जांच हुई है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, वहां आडिटर गये थे, उन्होंने अकाउन्ट्स आडिट किये।

श्री गौरीशंकर राय—यह जांच किस सिलसिले में थी?

श्री कैलाशप्रकाश—साधारणतया जांच होती रहती है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—जो आडिटर के द्वारा जांच की गयी है, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य-मुख्य उसमें क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—उसमें मुख्य एक शिकायत थी कि ५०० रुपये के नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट्स थे, जो बजाय इसके कि प्रधान आचार्य के पद के नाम से होते, उनके स्वयं के नाम से थे। इस चीज की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और उस सार्टिफिकेट को जो उनके नाम से था, भुनाकर पद से कर दिया गया।

*२६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[६ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील स्थित झीलों के पानी की निकास योजना

*२७—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार जिला बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ की निम्नलिखित झीलों के पानी के निकास की कोई व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? (१) लेहबरा, (२) मदहा, (३) किरसायल, (४) टिकरा रानीखेर, (५) बारीखेर, (६) पुरयार, (७) कल्ला परेवा,)(८) चौबिसी, (९) बारा, (१०) मगहरा, (११) सादुल्लापुर, (१२) मिर्चियां, (१३) बमहा, (१४) उसमानपुर (१५) बहुता, (१६) पौवीसी।

श्री राममूर्ति—जिला बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ की निम्नलिखित झीलों के पानी निकास का ब्योरा निम्नलिखित है—

लिलहौरा—अभी तक इस झील के कारण किसी बाढ़ या बहिया की कोई शिकायत नहीं हुई है। निकटवर्ती क्षेत्रों में किसान इसके पानी को अपने क्षेत्रों की सिंचाई के काम में लाते हैं।

मदहा बचौबिसी—इन झीलों का जलोत्सारण पहले से ही इन्होना नाला द्वारा होता है, यह नाला लगभग १६ मील लम्बा है और मदहा झील इस नाले के मील १२ से १३ तक स्थित है। इस नाले को अधिक प्रभावशाली बनाने और निचले भाग में स्थित लोगों की शिकायत को दूर करने के लिये इस नाले को और बढ़ाने की योजना तैयार हो गयी है और उचित निधि के उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ किया जावेगा।

किरसायल—यह झील रक्शा नाले के मील २–५ से ३–२ तक स्थित है। यह नाला लगभग ८ मील लम्बा है और इसके द्वारा झील के पानी का जलोत्सारण होता है। यह नाला अच्छी दशा में है तथा उचित रूप से कार्य करता है। किसी-किसी स्थान पर किसान लोग सिंचाई करने के लिये नाले में बन्द लगा लेते हैं जिसके कारण पानी के बहाव में बाधा होती है। बरसात के दिनों के पूर्व ही यह साफ कर दिये जाते हैं और नाला ठीक प्रकार से कार्य करता है।

टिकरारानी खेत—इस झील के पानी के निकास के लिये एक नाला खोदने का काम स्वीकृत हो चुका है। धन प्राप्त होने पर निर्माण प्रारम्भ किया जावेगा।

बारी खेर व पुरियार—हैदरगढ़ नामक नाले के द्वारा इस झील का जलोत्सारण होता है। इस नाले की बेखरेख इस विभाग से की जाती है और यह उचित रूप से कार्य करता है। इस नाले पर और कोई कार्य करने की योजना नहीं है।

कल्ला परेवा—इस झील का क्षेत्र शिवगढ़ नाले पर आता है। इस नाले का सर्वेक्षण हो रहा है और योजना स्वीकृत होने पर तथा उचित निधि उपलब्ध होने पर निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा।

बारा—इस नाम की कोई झील नहीं है परन्तु बाढ़ का पानी बाईं पटरी पर स्थित बारा ग्राम के रामपुर पुरवा में बारा जलशाखा के मील ४–७–३३० पर बने साइफन के द्वारा निकल जाता है। इसके स्थान पर जलोत्सारण का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। यदि ४ फर्लांग लम्बा नाला खुद जावे तो इस क्षेत्र के जलोत्सारण का उचित प्रबन्ध हो जावेगा। इस कार्य के लिये सर्वेक्षण करने की कार्यवाही की जा रही है।

सादुल्ला मिर्चिय तथा उस्मानपुर—इन झीलों के पानी के निकास की कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इन ग्रामों से कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है?

बसहा—इस झील के पानी के निकास की जांच की गयी है और ड्रेन के बनने में लगभग ७५ एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा और इस योजना में लगभग ८,००० रुपये व्यय होगा। योजना की स्वीकृत तथा उचित निधि प्राप्त होने पर कार्यारम्भ किया जावेगा।

मगहरा बहुता तथा पौबीरी—इन झीलों का सर्वेक्षण अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इनका ठीक लोकेशन (Location) नहीं हो पाया।

हमीरपुर जिले में अर्जुन बांध से निकली नहर में ली गयी जमीन का मुआवजा

*२८—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में जो अर्जुन बांध से नहर सन् ५२ या ५३ ई० में निकाली गई थी उसकी वजह से नहर की एरिया में जो जमीन सरकार ने ले ली थी उसका मुआवजा काश्तकारों को दे दिया गया है या नहीं?

श्री राममूर्ति—जी हां। ज्यादातर भूमि का मुआवजा दे दिया गया है तथा शेष भूमि का मुआवजा देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*२९—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन काश्तकारों की उक्त भूमि नहर की एरिया में चली गई है उस भूमि का लगान बराबर अब भी काश्तकारों से ही वसूल किया जा रहा है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन काश्तकारों को मुआविजा देना बाकी है वह कब तक दे दिया जायगा?

श्री राममूर्ति—वैसे कागजात तो उसके पेश कर दिये गये हैं, लेकिन चूंकि अफसरों की कमी थी तो अभी हाल में हमने २६ अफसर और लगाये हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी यह काम हो जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन काश्तकारों की जमीनें ली गयी थीं उनसे इस समय भी लगान लिया जा रहा है?

श्री राममूर्ति—लगान लिया जाता रहा था, लेकिन पिछले दिनों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिये से एक जी० ओ० जारी कर दिया है कि जिन लोगों की जमीनें किसी शासकीय कार्य के लिये ले ली गयी हैं उनका लगान बन्द कर दिया जाय।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शेष मुआविजा बाकी है वह धनराशि कितनी है ?

श्री राममूर्ति—कुल जमीन ५,०६१ एकड़ थी जिसमें से ४,४६९ एकड़ का मुआवजा द दिया गया है, बाकी का रह गया है। रुपये की तादाद की मेरे पास फिगर्स नहीं हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो लगान वसूल हो गया है उसको सरकार किसानों को वापस करने के बारे में कोई विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जो लगान वसूल कर लिया गया है वह सब वापस किया जायगा। सिर्फ यह तरीका निकाला गया है कि काश्तकारों की मर्जी पर होगा कि चाहे वह नकद रुपया ले सकते हैं या अगले सालों के रेवेन्यू में ऐडजस्ट करा सकते हैं।

बलिया जिले में सुरेमानपुर स्टेशन के निकट घाघरा का कटाव रोकने के लिये स्पर (ठोकर)

*३०—श्री गौरीशंकर राय—क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में सुरेमानपुर स्टेशन के निकट घाघरा के कटाव रोकने के लिये जो ठोकर बन रहा था उसका निर्माण अधिकांश कार्य हो जाने के बाद रोक दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—सुरेमानपुर स्टेशन के निकट घाघरा का कटान रोकने के लिये जो ठोकर बनाये जाने थे वह बनाये जा रहे हैं। बाढ़ के पहले जितना कार्य करना था वह करीब-करीब समाप्त हो चुका है।

श्री गौरी शंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जिस स्पर की बात कही गई है कि वह बन रहा है उससे पहले और बन रहे थे, जिनके कार्यों को रोक दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—मैंने जैसा कि अर्ज किया कि पूरा काम नहीं हो पाया तब तक नदी का पानी बढ़ गया, उससे कुछ काम रुक गया। एक दफा मैंने माननीय सदस्य को प्राइवेटली बतला दिया था कि १४ स्पर बन गये हैं। बाद के चार रह गये हैं अगर उनकी जरूरत समझी गई तो बाद को बनेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बतला देना चाहता हूं कि अभी तक जो काम हुआ है वह बहुत संतोषजनक हुआ है और ऐसा मालूम होता है कि दरिया का रुख उस तरफ से दूसरी तरफ हट जायगा।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि करीब-करीब समाप्त हो जाने का क्या अर्थ है और कितना काम बाकी है ?

श्री राममूर्ति—मुझे जहां तक खयाल है चार-चार बल्लियों पर एक-एक ठोकर बनाई गई थी और अगली चार बननी रह गई है तीन बन चुकी हैं। दो पहले की बनी हुई हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिन स्परों के पूरे होने की बात कही गई है उनमें से मिट्टी तथा पत्थर वगैरह का बहुत काम बाकी रह गया है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, दरिया घाघरा बहुत बड़ा दरिया है। इस पर कोई पुख्ता काम बनाने में करोड़ों रुपये का खर्चा था जो हमारे पास नहीं है। इसलिये रेलवे और सेंट्रल वर्क्स पावर कमीशन के इंजीनियरों की सलाह से एक सस्ता साधन निकाला गया और उसी से काम चल रहा है। वैसे यह स्कीम ९ लाख रुपये की मंजूर की गई थी। साढ़े

चार लाख की अपनी तरफ से और साढ़े चार लाख की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब २० लाख रुपये की योजना बनाई है और इसमें ४०-४० फोट की गहराई तक बल्लियां गाड़ी गई हैं और झाड़ झंखार भी गाड़े गये हैं ताकि दरिया का बहाव सिल्ट के कारण दूसरी तरफ हटे। वहां से दरिया हटा और आखिरी ठोकर पर दरिया का दबाव है। अगर हम इसमें कामयाब हो गये तो बड़ा भारी काम होगा।

सिंचाई कर्मशाला मंडल के अन्तर्गत मध्य क्षेत्र कानपुर में गबन

*३१--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई कार्मशाला मंडल के अन्तर्गत मध्य क्षेत्र कानपुर में जो सन् ५४ तक की बैलेन्स शीटें बनी हैं और सरकार को भेजी जा चुकी हैं, उस में एक लाख रुपये से ऊपर का गोलमाल है ? यदि ऐसा है, तो इसमें किस लेखाधिकारी का उत्तरदायित्व है ?

श्री राममूर्ति--सिंचाई कर्मशाला मंडल के मध्य क्षेत्र कानपुर की १९५४ तक की बैलेन्स शीट में किसी प्रकार का गोलमाल नहीं है। परन्तु सन् १९४९ में श्री सी० बी० शास्त्री, मैकैनिकल इंसपेक्टर ने ६६,९२० रुपये १५ आने ३ पाई का cash में embezzlement किया जिसका मुकदमा चलाया गया परन्तु उच्च न्यायालय (High Court) ने श्री शास्त्री को दोषी नहीं ठहराया और बरी कर दिया।

इस embezzlement का उत्तरदायित्व श्री सी० बी० शास्त्री पर था, पर इसके अतिरिक्त सर्व श्री बाबूराम कटियार, एकाउन्टेन्ट, तुकमान सिंह, सहायक एकाउन्टेन्ट, आर० डी० भार्गव, सहायक एकाउन्टेन्ट, हर्ष वर्धन भार्गव, कृषि अभियन्ता मध्य क्षेत्र कानपुर दीनानाथ भार्ग, सहायक कृषि अभियन्ता व विद्यासागर कोषाध्यक्ष, भी इससे सम्बन्धित पाये गये जिन सबको suspend किया गया और उचित दंड दे दिया गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५४ तक की जो बैलेंसशीट बनी है जो सामान इस विभाग में एक ही हैड में खर्च होता है उसको ट्रांसफर किया गया है, वह सम्बन्धित विभाग से स्वीकार कर लिया गया है या अभी झगड़ा बाकी है ?

श्री अध्यक्ष--आप यदि हिसाब की कोई टैकनिकैलिटी पूछ रहे हों तो कृपया उसे स्पष्ट कर दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, जो जबाब दिया गया है उसके सम्बन्ध में हमारा कहना यह है कि इस विभाग में जो एक ही हैड में कैपीटल में ट्रांसफर किया जाता है तो एक विभाग में जो ट्रांसफर होता है वह स्वीकार कर लिया गया है या झगड़ा है ?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, मैं अकाउंट की टैकनिकेलिटी तो जानता नहीं हूं लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो कुल मामला आपके सम्मुख रख सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। जो प्रश्न पूछा गया है अगर उस सम्बन्ध में आपको मालूमात नहीं है तो उसके लिये आप नोटिस मांग लें।

श्री राममूर्ति--इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चन्द्रबली शास्त्री जिनको कि दोषी पाया गया, उनको सस्पेंशन के अतिरिक्त और क्या दंड दिया गया है ? इस समय वह सर्विस में हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति--जो लोग सी० बी० शास्त्री के अलावा हैं उनके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्यवाही की गयी। चूंकि उनकी कंट्रीव्युटरी नेगलीजेंस थी इसलिये उनमें से कुछ को सस्पेंड किया

गया और कुछ लोगों के जो सालाना इन्क्रीमेंट हैं, किसी का एक किसी के दो और किसी के तीन बन्द हो गये।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि १९५४ के, विभाग में, कुछ ऐसे खाते भी हैं जिनमें एक जगह से सामान भेजा गया है और दूसरी जगह प्राप्त नहीं किया गया है? क्या ऐसी शिकायतें भी उनको मालूम हैं?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस गबन से सम्बन्धित कृषि अभियन्ता को कितने दिनों के लिये सस्पेंड किया गया और उनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गयी?

श्री राममूर्ति--श्री भार्गव को पहले मुअत्तल किया गया। उनको सहायक कृषि अभियन्ता के पद पर बहाल किया गया और उनको उस तनख्वाह में से जो वह कृषि अभियन्ता के पद पर पाते थे ५० रुपये इस सहायक अभियन्ता के पद पर रहते हुए कम कर दिये गये। पद की अवनति दो साल के लिये की गयी। ५० रुपये प्रति मास उनकी तनख्वाह में से दो साल तक काटे गये। उनको मुअत्तल रहने के समय जो कुछ मिला उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने आदमियों को विभाग के द्वारा दंड दिया गया, वे दंड पाने के बाद वहीं कानपुर में ही काम कर रहे हैं या अन्यान्य स्थानों पर स्थानान्तरित किये गये?

श्री राममूर्ति--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

मिस्टर गांधी, कृषि अभियंत मध्यक्षेत्र, कानपुर के विरुद्ध शिकायत

*३२--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सरकार को मालूम है कि सिंचाई कर्मशाला मंडल के अन्तर्गत कृषि अभियंता मध्यक्षेत्र, कानपुर के द्वारा ५,३०० फीट ६ इंच पाइप जिसका मूल्यांकन ४० हजार रुपया होता है तथा १४,००० फीट पाइप श्री भारत इंजीनियर्स, कानपुर को कटाई तथा चूड़ी काटने हेतु दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मानों में गबन या कमी की शिकायतें सरकार के पास आयी हैं?

श्री राममूर्ति--जी हां, कृषि इंजीनियर मध्य क्षेत्र, कानपुर के स्टोर्स में ६ इंची पाईप में ५२६३ फिट ९ इंच की कमी जिसका मूल्य ३८,१११ रुपये ९४ नये पैसे होता है मई, सन् १९५६ में पाई गई थी। किन्तु जांच पड़ताल के पश्चात् पाइप की वास्तविक कमी केवल ९० फुट ४ इंच शेष निकलती है।

तथा

मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज, कानपुर (न कि भारत इन्जीनियर्स, कानपुर) को १६,००० फुट (न कि १४,००० फुट) पाइप चूड़ी काटने तथा चूड़ी डालने के लिये इस कम्पनी को भेजे गये थे। भेजे गये सारे पाइप स्टोर्स में पुनः प्राप्त हो गये, अतः किसी प्रकार की कमी का प्रश्न नहीं उठता।

*३३--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या यह सच है कि वर्तमान मध्य क्षेत्र कानपुर कृषि अभियंता कानपुर ही में विगत ६ वर्षों से बराबर कार्य कर रहे हैं?

श्री राममूर्ति--जी हां, विद्यमान कृषि इंजीनियर, मध्य क्षेत्र, कानपुर गत १९५२ से कार्य कर रहे हैं जिनको लगभग ६ साल में २ माह कम होते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में कितनी जांच समितियां बैठीं और उन सब में पदाधिकारी कृषि इंजीनियर के पद के बराबर के थे या उससे नीचे के थे और उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—कमेटी के परसोनेल के नाम मेरे पास नहीं हैं । लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूं कि १,२०,००० फीट पाइप डिस्पोजल से खरीदा गया जो कि २०, २० फिट के टुकड़ों में था । ये टुकड़े बिवेल्ड और क्रेस्ड यानी उसका एक हिस्सा टेढ़ा था । यहां हर पाइप को सीधा किया गया जिसमें ८ इंच हर टुकड़े का खराब हुआ और ३ इंच पाइप चूड़ियां काटने में गया यानी ११ इंच पाइप हर टुकड़े का कम हो गया । जब कमेटी बैठी और डिटेल्ड इन्क्वायरी हुई तो पता लगा कि करीब ९० फीट पाइप कम है उसके लिये जो ज़रूरी कार्यवाही थी वह उन्होंने की।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रश्न ३२ में उल्लिखित कृषि अभियन्ता वही सज्जन हैं जिनको प्रश्न संख्या ३१ के सम्बन्ध में दोषी पाया गया और दंडित किया गया ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ३२ में जो महोदय थे उनका नाम मेरे पास है । उनका नाम मि० गांधी है । पिछले उत्तर की बाबत मैं कह नहीं सकता कि यही है या कोई दूसरे हैं।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो १४ हजार फुट पाइप कटाई और चूड़ी काटने के लिये दिया गया था उसकी जो कतरन वापस हुई है उनको सरकारी कागजों में दर्ज किया गया है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा— क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि १६ हजार फुट पाइप जो भारत इंडस्ट्रीज को दिया गया था उसकी वापसी का बहीखाते में इन्दराज नहीं हुआ तो मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग ने उसके सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल की ?

श्री राममूर्ति—जब उसकी कमी पाई गई तो उसी के लिये कमेटी बैठाकर जांच-पड़ताल कराना मुनासिब समझा गया ताकि उसके ऊपर कार्यवाही की जाय ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतलायेगी कि साधारणतः सरकारी अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर २,३ वर्ष की सर्विस में स्थानान्तरित किया जाता है तो ६ वर्ष तक इन इंजीनियर साहब को कानपुर में रखने की क्या कोई विशेष आवश्यकता पड़ी ?

श्री राममूर्ति—पिछले तीन साल तक तो यह अपना मामूली काम करते रहे । उसके बाद कृषि इंजीनियरिंग का जो मैसेनरी वेल बनाने का काम था उन कुओं को सबसिडी देने का और उसकी तकावी एडजस्टमेंट का काम इनके सुपुर्द किया गया । वह काम करीब-करीब खत्म हो गया है । अब उम्मीद यह की जाती है कि सितम्बर तक यह काम भी खत्म हो जायगा और उसके खत्म होने पर इनका ट्रान्सफर कर दिया जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इसी सम्बन्ध में हेड स्टोर कीपर को भी जिम्मेदार ठहराया गया था, इसलिये कि पाइपों का फिजिकल चार्ज गिना कर उसने नहीं दिया था ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मि० भार्गव ने किस परपज के लिये इन पाइपों को टेढ़ा कराया था खरीदने के पहले ?

श्री राममूर्ति—उसकी बाबत माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हुई। मैंने यह अर्ज किया कि यह पाइप डिस्पोजल से खरीदे गये। सेना में उन्होंने किस कार्य के लिये टेढ़े कराया था, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहां सीधे पाइप रखे गये इसलिये उतना उनमें से काट दिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह दूसरी जांच, जिसमें ९० फुट पाइप की कमी पाई गई, किस तारीख को हुई थी ?

श्री राममूर्ति—तारीख तो मेरे पास नहीं है। नोटिस दिया जाय तो मालूम करके बताया जा सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन पाइपों के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात बिना हिसाब रखे हुये जला दिये गये या बेच दिये गये और यह कार्य कृषि अभियन्ता की अध्यक्षता में हुआ ?

श्री राममूर्ति—मुझे इसकी इत्तला नहीं है। अगर माननीय सदस्य कुछ डिटेल लिख कर दें तो मैं इसकी जानकारी करा सकता हूं मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसी चीज पाई गई जिसमें कोई आदमी दोषी हो, तो उस आदमी को कड़ी सजा दी जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह पाइप डिस्पोजल से खरीदे गये थे तो उनके साथ कितने साकेट आये थे ? और यदि साकेट उन के साथ नहीं आये थे तो उन पर साकेट कहां से चढ़वाये गये ?

श्री राममूर्ति—मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है कि उन के साथ साकेट थे या नहीं। लेकिन जो इत्तला है उसकी बुनियाद पर मैंने अर्ज किया कि चूंकि हम को साकेट लगाने की उन पाइपों पर जरूरत थी इसलिये ३, ३ इंच पाइप दोनों ओर चूड़ियों में गया।

खीरी जिले में ऐरा रोड से कुमारी चमेली का अपहरण

*३४—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १९-२-५८ ई० को जिला खीरी, थाना कोतवाली, लखीमपुर में ऐरा रोड पर ८वें मील में कुछ गुंडे एक कुंवारी नाबालिग लड़की छीन कर भाग गये थे ? क्या पुलिस ने उसमें कोई जांच की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—गुन्डों द्वारा नाबालिग लड़की को छीनकर भगाये जाने की कोई घटना नहीं हुई वरन् उक्त तिथि को एक लड़की चमेली जो बालिग कही जाती है अपने बहनोई राम प्रसाद के साथ जा रही थी जब कि रास्ते में उसके दूसरे बहनोई हरवंश ने जिससे उस लड़की की शादी की बात चल रही थी, बैलगाड़ी से उतार लिया।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कुंवारी लड़की बैलगाड़ी से उतार ली गयी थी उसके पूर्व दफा ३६३ या ३६६ की रिपोर्ट कोतवाली में लिखायी गयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—उतारने के पहले कोई रिपोर्ट नहीं की गयी थी।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह वारदात हो गयी उसके बाद ३६३/३६६ की कोई रिपोर्ट या दरख्वास्त कोतवाली में या कप्तान साहब के पास लिखायी गयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—एक रिपोर्ट हुई थी। कौन सी दफा में हुई थी इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी उस के आधार पर पुलिस द्वारा कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो उसनें अपराधी कौन पाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जांच की गयी और जांच के सिलसिले में मालूम हुआ कि ससुर और दामाद और साढ़ू के बीच में झगड़ा है और ससुर साहब ने एक इस्तगासा भी दायर कर दिया है कोर्ट में। लिहाजा ससुर और दामाद के बीच में मामला कोर्ट में चल रहा है।

हथियारों के लाइसेन्स बदलने (नवीकरण) के सम्बन्ध में जानकारी

*३५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह हथियारों के लाइसेन्सों के बदलने (renewal) से सम्बन्धित नियमों में कुछ संशोधन करने वाली है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में जो उन्होंने झांसी जिले में बजाय साल भर के तीन साल में एक बार लाइसेंस बनाने की व्यवस्था की है, क्या वैसी व्यवस्था प्रान्त के अन्य जिलों में भी कर दी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह व्यवस्था कहां से हुई मुझे इसकी इत्तला नहीं है। मैं जानता हूं कि हर साल नवीकरण किया जाय यह व्यवस्था सारे स्टेट में चल रही है।

*३६—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

रायबरेली जिले में सेवार झील की ड्रेन के विस्तार पर विचार

*३७—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सिंचाई राज्य-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली, परगना इन्होना के अन्तर्गत सेवार झील होकर जो ड्रेन निकलती है, इस ड्रेन में कोटवा सातनपुर, बांरा तीनों माइनरों का पानी खारिज होकर जाता है और ड्रेन के ठीक न होने के कारण झील में पानी भर जाता है जिससे किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता है ?

श्री राममूर्ति—इन्होना ड्रेन, जिला रायबरेली के परगना इन्होना में सन् १९३३ से है। इसकी लम्बाई १६ मील २ फर्लांग है। यह मील ८ पर सेवार झील को पार करती है। कोटवा, सातनपुर तथा बंगरा माइनरों के टेल का पानी इसमें स्थित भूमि की सिंचाई में काम आता है। जब कभी पानी की मांग कम होती है, तब पानी ड्रेन में निकल जाता है। स्थानीय क्षेत्र व झील को बाढ़ से निवारण हेतु इस ड्रेन के विस्तार के प्रस्ताव बन चुके हैं। भूमि तथा निधि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रस्ताव कब पास हुआ और कब कार्य आरम्भ हुआ ?

श्री राममूर्ति—प्रस्ताव पास होने की तारीख मेरे पास नहीं है। लेकिन ३८,००० रुपये की अनुमानित लागत की एक स्कीम बन गई है जिससे ८५० एकड़ जमीन की सुरक्षा होगी। आशा की जाती है कि इस काम को जल्द कराया जायगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या इस सेवार झील की ड्रेन अच्छी न होने के कारण इसमें तमाम फसल बरबाद हुई जिसके सम्बन्ध में सरकार को प्रार्थना-पत्र दिया गया तब किसानों को सिंचाई से मुक्त किया गया ?

श्री राममूर्ति—मुझे प्रार्थना-पत्र या छूट के बारे में कोई इल्म नहीं है।

ग्राम रक्षा समितियों को बन्दूक देने का विचार

*३८—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती हुई चोरी, डकैती को रोकने के लिये हर ग्राम सभा के अन्तर्गत बन्दूक की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—यद्यपि प्रान्त में चोरी, डकैती पिछले वर्ष के मुकाबले में बढ़ नहीं रही, परन्तु कम ही हो रही है, फिर भी सरकार स्वयं ही इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—जिन जिलों में चोरियां और डकैतियां अधिक हैं क्या उनमें ग्राम सभाओं के प्रधानों को बन्दूक के लाइसेंस दिये जावेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । यह इरादा है कि ग्राम रक्षा समितियां जो कायम हों उनमें उदारतापूर्वक कुछ ऐसे हथियार रखना चाहते हैं जिससे वे लोगों में विश्वास भी उत्पन्न कर सकें और परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर अपनी और गांव की भी सहायता कर सकें ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की सोच रही है कि राज्य का कोई गांव बगैर बन्दूक न रह जाय और किसी न किसी को गांव में लाइसेंस जरूर प्रदान किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बन्दूक देने की योजना सोची जा रही है वह ग्रामसभापतियों को दी जायगी अथवा रक्षा समितियों के प्रधानों को दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि इस सारे प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है कि ग्राम सुरक्षा समितियों के गुप्त लीडर्स को या ग्राम सभा के सभापतियों को दिये जावें । यह भी बात जरूर है कि लाइसेंस इस प्रकार से दिये जावें कि गांव में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो और लोग स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकें ।

आजमगढ़ जिले में जैराजपुर बांध के नवीनीकरण से कथित क्षति

*३९—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जैराजपुर बिन्दबल ग्राम का पुराना बांध जो आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में है, दो वर्ष पहले सरकार द्वारा बनवाया गया है ? इस बांध के नवीनीकरण में कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—जैराजपुर और बिन्दवल दो पुराने बांधों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा सन् १९५३-५४ और सन् १९५४-५५ में किया गया था । इन दोनों बांधों के निर्माण में ५५, ६०६ रुपया व्यय हुआ था ।

*४०—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सिंचाई राज्य-मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जैराजपुर ग्राम की जनता की ओर से जिलाधीश, आजमगढ़ और सरकार का ध्यान नवम्बर व दिसम्बर, १९५७ में बांध के नवीनीकरण से उत्पन्न हुई परिस्थिति की ओर दिलाया गया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांध के नवीनीकरण से जनता को जो क्षति उठानी पड़ी है भविष्य में उसकी पूर्ति करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य का एक पत्र इस सम्बन्ध में आया था और उसके बारे में जांच कराई। यह पता लगा कि इन बांधों के नवीनीकरण से कोई नई परिस्थिति पैदा नहीं हुई है और न किसी की कोई क्षति हुई है ? बल्कि यह पता चला कि इन बांधों के जरिये से कुछ आबपाशी बढ़ी है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या बांध का नवीनीकरण करते समय सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सारी जनता से पानी आदि के निकास के लिये कोई राय ली ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है।

हेड कान्स्टेबिलों से बनाये गये सब-इन्स्पेक्टरों के स्थायी करने के नियम

*४१—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो स्थानापन्न सब-इंस्पेक्टर्स (officiating Sub-Inspectors) हैड कान्स्टेबिल से हुए हैं उन्हें सब-इन्स्पेक्टर पद पर स्थायी करने के नियम क्या हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—स्थानापन्न सब-इन्स्पेक्टर स्थायी हैड कान्स्टेबिल होते हैं, अतः सब-इन्स्पेक्टर के पद में उनका स्थायीकरण पुलिस रैगुलेशन के पैरा ४०६, ४४५ तथा ४४७ के उपबन्धों के अनुसार होता है।

सीतापुर जिले में बन्दूकों के लाइसेन्सों की स्वीकृति

*४२—श्री जगदीश नारायणदत्त सिंह (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में पिछले ६ महीने में बन्दूक लाइसेंस के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने स्वीकार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में १०६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिसमें ३२ प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये।

खीरी जिले की मोहम्मदी तहसील में नलकूपों की नालियां

*४३—जगदीश नारायणदत्त सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार तहसील मोहम्मदी जिला खीरी में नलकूपों की नालियां पक्की बनाने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जिला खीरी की मोहम्मदी तहसील में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नये सभी नलकूपों पर योजना के अनुसार एक-एक मील लम्बी पक्की नालियां बना दी गई हैं। धन के अभाव के कारण इस समय और अधिक पक्की नालियां बनाने का कोई विचार नहीं है।

इसके अतिरिक्त, मोहम्मदी ब्लाक में स्थित नलकूपों पर २५ मील लम्बी नाली ब्लाक द्वारा दिये गये धन से बनाई जायगी।

अलीगढ़ जिले में अहेन गोलीकाण्ड की जांच

*४४—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार ने ६ मई, १९५८ में अहेन जिला अलीगढ़ में हुए गोलीकांड की कोई जांच करायी है। अगर हां, तो क्या सरकार उस जांच की मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, आपके पास उत्तर भेजने के बाद यह सूचना मिली है कि यह मामला न्यायालय पहुंच गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उत्तर पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—जो उत्तर दिया है उसका कोई असर मुकदमे पर पड़ता हो तो मत पढ़िये, लेकिन मैं समझता हूं कि यह पुरानी बात है, आप पढ़ सकते हैं ।

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, इस मामले में मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी ए० डी० एम० अलीगढ़ ने की है । जांच के फलस्वरूप ए० डी० एम० इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिनांक ६ मई, १९५८ को दिन को जब श्री मोहनलाल गौतम, कृषि मन्त्री एटा जिले में पवारा ग्राम को जाते हुए अहेन पहुंचे तो ३०० छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के सशस्त्र दल ने पत्थर फेंकना आरम्भ किया । एस० डी० एम० ने, जो मौके पर थे, भीड़ को हिंसात्मक कार्यवाहियों पर आमादा देखकर लाठी चार्ज का हुक्म दिया, लेकिन इस में कोई सफलता न मिली और आक्रमणकारियों ने पुलिस के कुछ कर्मचारियों को जिनमें ए० एस० पी० भी थे घायल कर दिया । अन्त में मन्त्री जी तथा और कर्मचारियों की जानों को खतरे में देखकर एस० डी० एम० ने पर्याप्त घोषणा के पश्चात् पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया । कुल ९ राउण्ड फायर किये गये जो घटना और परिस्थिति को देखते हुए कम से कम थे । अन्त में ए० डी० एम० ने उक्त गोलीकाण्ड को बिलकुल न्यायसंगत माना ।

श्री गौरीशंकरराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माननीय मन्त्री जी को जो दौरे पर गये थे अहेन विद्यालय पर जाते हुए उन्हें पवारा रुकने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री अध्यक्ष—मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मुकदमा किस किस्म का है ताकि जो सवाल पूछे जावेंगे उनमें से जिनका असर मुकदमे पर पड़े उनकी इजाजत मैं न दूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह सारा का सारा मामला ही सब-जुडिस है । इसमें सभी प्रश्न आते हैं कि गोली वहां क्यों चली, क्यों गये, कैसे मारे गये इत्यादि । पुलिस की रिपोर्ट पर यह केस भेजा गया है । मैं समझता हूं कि यह चीज सब-जुडिस ही है ।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता आप दूसरा सवाल करें ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि जिस रास्ते से होकर पवारा जा रहे थे, क्या मन्त्री जी उसके बारे में नहीं जानते थे कि यह रास्ता लंबा और कच्चा है ?

श्री अध्यक्ष—यह भी उसी से संबंधित है ।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो उत्तर दिया गया है वह भी प्रकाशित होगा और वह कोर्ट को मालूम होगा उस उत्तर को श्रीमन् के कथनानुसार पढ़कर सुनाया गया । तो या तो उस उत्तर को भी निकाल दिया जाय, क्योंकि वह एक पक्षीय उत्तर है । मैं स्वयं अहेन गया हूं और वहां पर उसकी जानकारी प्राप्त की है । दो, दिन मैं वहां घूमा हूं । यह बिलकुल गलत उत्तर है । इसलिये उसके बारे में हमें प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—जहां तक मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी का संबंध है वह तो शाया हुई समझी जायगी और उसी के बारे में उत्तर में बताया गया है । इसका मतलब यह नहीं है कि उसका असर अदालत के ऊपर पड़ जाय । जिस वक्त इन्क्वायरी हुई थी, उस वक्त सवाल यह नहीं था । लेकिन अब आज जो आप व्यौरे में सवाल कर रहे हैं, उनका अदालत पर असर पड़ सकता है । आप इंक्वायरी के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उसका शाया भी करना होगा । यदि अब जो सवाल आप करेंगे वह इस हिसाब से करेंगे कि जो इंक्वायरी हुई गलत हुई या सही हुई या किसी का बयान हुआ तो वह गलत हुआ या सही हुआ । तो ऐसे प्रश्न जब अदालत के सामने जावेंगे तब तो मुकदमे पर असर पड़ सकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि गोलीकान्ड के फलस्वरूप किसी की मृत्यु हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, सौभाग्य से यह दुर्घटना नहीं घटी ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि अदालत में जो केस चल रहा है वह किस दफा का है और किन-किन लोगों पर चल रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दफा और उन लोगों के नाम के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी, इस समय मेरे पास नहीं है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—माननीय मन्त्री जी ने बताया कि वहां पर कुछ छात्रों और कुछ लोगों की भीड़ थी तो क्या उस भीड़ में कुछ कांग्रेसी एम० एल० एज० भी थे ?

श्री अध्यक्ष—ये चीजें भी अदालत के सामने आयेंगी ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या गोलीकाण्ड से कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति घायल भी हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शायद एक आदमी को कुछ चोट लगी ।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त यह घटना वहां हुई उससे पूर्व पुलिस वहां पहुंच गयी थी ?

श्री अध्यक्ष—इस चीज की भी मैं इजाजत नहीं दूंगा । जो इंक्वायरी की रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को सामने रखते हुए आप सवाल पूछ सकते हैं ।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब यह इंक्वायरी हुई तब ए० डी० एम० साहब वहां थे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राजनारायण—उसी इंक्वायरी के फलस्वरूप जो एक्टिंग डी० एम० वहां काम कर रहे थे, उनका ट्रान्सफर फैजाबाद के लिये कर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि यह जो इंक्वायरी हुई है वह अहेन गांव की हुई है अथवा अहेन में जो स्कूल है और उसके विद्यार्थियों पर जो गोली चलाई गयी, उसकी हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो जांच की रिपोर्ट सामने है, उससे स्पष्ट है कि किन चीजों की इंक्वायरी हुई और उस पर क्या राय उन्होंने जाहिर की है ?

श्री नन्दकुमार वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त यह गोलीकाण्ड हुआ उस समय ए० डी० एम० साहब अलीगढ़ में थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सम्भवतः अलीगढ़ में रहे होंगे, क्योंकि इन्क्वायरी जिस आदमी ने की वे उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, ए० डी० एम० । जो सज्जन वहां मौजूद थे, वे एस० डी० एम० थे ।

गंगा खादर कालोनाइजेशन की भूमि

*४५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि गंगा खादर कालोनाइजेशन वाली अधिकांश भूमि क्षारयुक्त, अनउपजाऊ और साल के काफी लम्बे भागों में पानी से भर जाने वाली तथा हर साल नदी में बाढ़ आने से बह जाने वाली है ?

श्री राममूर्ति—गंगा खादर कालोनाइजेशन की भूमि अधिकतर उपजाऊ है, केवल वर्षा ऋतु में यह क्षेत्र गंगा के फैलाव के कारण भर जाता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कालोनाइजेशन में अभी तक कितना खर्च किया जा चुका है और उसमें से कितना बिल्डिंग्स पर खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर जो १,३११ के करीब घर बने हैं उनमें ज्यादातर निकम्मे पाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मुझे इनके निकम्मेपन की भी कोई इत्तला नहीं है ।

*४६-४७—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—[१ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ६५-६६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

लखनऊ व कानपुर में मोटरों, बसों, ट्रकों तथा मोटर साइकिलों से दुर्घटनाएं

*४८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ व कानपुर में गत वर्ष में मोटरों, बसों, ट्रकों तथा मोटर-साइकिलों से कितनी दुर्घटनाएं हुईं और उनमें कितने व्यक्ति जान से मारे गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—गत वर्ष मोटरों, बसों, ट्रकों तथा मोटर साइकिलों की कानपुर में ७५ दुर्घटनाएं हुईं जिनमें ३१ व्यक्ति मरे एवं लखनऊ में ६४ दुर्घटनाएं हुईं जिनमें १२ व्यक्ति मरे ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों शहरों में उक्त दुर्घटनाओं से कितने आदमी जख्मी हुए हैं और इन दुर्घटनाओं के रोकथाम की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, लखनऊ में मोटरों द्वारा जो दुर्घटनाएं हुईं उनमें २३ व्यक्ति घायल हुए और बसों द्वारा जो दुर्घटनाएं हुईं उनमें ६ व्यक्ति घायल हुए और मोटर-साइकिलों द्वारा जो दुर्घटनाएं हुईं उनमें ५ व्यक्ति घायल हुए । और कानपुर में जो दुर्घटनाएं हुईं (पत्रावली में कागज उलट-पुलटकर देखने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—सूचना न हो तो आप मांग लीजिये । मैं इतनी देर तक नहीं रुक सकता हूं, क्योंकि औरों को भी सवाल पूछने हैं ।

श्री कैलाश प्रकाश—बहुत अच्छा, तो मैं इसके लिये नोटिस चाहता हूं ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि मोटरों, बसों और खास करके ट्रकों द्वारा दुर्घटनायें ज्यादा होती हैं, बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार इसको रोकथाम के लिये क्या उपाय करना चाहती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—बसों द्वारा जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका कारण यह पाया गया है कि जो निर्धारित गति है उस गति से कुछ तेज चलाते हैं । इसके लिये एक पुलिस दल गश्त करता है और इस बात को नियन्त्रण करने का प्रयत्न करता है कि जो निर्धारित गति है उसी गति से उनको चलाया जाय ।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री झारखंडेराय—मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेष करके ट्रकों द्वारा ही ज्यादा घटनाएं घटती हैं, तो उसकी गति की रोकथाम के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ट्रकों से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, यह बात सत्य है और उनकी रोकथाम के लिये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक इनफोर्समेंट स्क्वाड घूमता रहता है और फिर हमारी पुलिस का भी एक दल है जो इस बात की जांच पड़ताल करता रहता है कि अगर कोई तेज चलाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। और ऐसे आदेश भी पुलिस विभाग की ओर से और ट्रान्सपोर्ट विभाग की ओर से भी जारी किये गये हैं कि जो गति निर्धारित है उससे तेजी से न चलाने पावें। बावजूद इन चीजों के यह बात सही है कि दुर्घटनाएं जो हुई हैं या होती हैं उनमें ट्रकों का हाथ अधिक है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इन दुर्घटनाओं में जितने लोगों को चोटें आयीं या जिनकी जानें गयीं उन्हें कम्पेंसेशन दिलाने के दृष्टिकोण से सरकार को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में जो अधिकार हैं उसका उसने प्रयोग किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है। सम्भव है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास इसकी सूचना हो।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्रकों से दुर्घटनाएं हुई हैं या होती हैं उनका यह कारण तो नहीं है कि अधिकांश ड्राइवर शराब पीकर ट्रक चलाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह भी हो सकता है। इसकी भी शिकायतें अक्सर आती हैं।

ललितपुर सब डिवीजन में नारहट-बदनपुर सड़क पर नहरी पानी भर जाने की शिकायत

*४९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सिंचाई मन्त्री को पता है कि ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) के ग्राम नारहट-बदनपुर सड़क के ५वें मील पर नहरों से बहने वाले बहुत ज्यादा पानी के कारण इर्द-गिर्द के ५०–६० ग्रामों की जनता की आमदरफ्त असम्भव हो गयी है ?

श्री राममूर्ति—माइनर के बैंकों से झिराव के कारण सड़क पर कुछ नमी हो गयी थी। पर उससे जनता की आमदरफ्त असम्भव नहीं हुई।

श्री इमदाद अली, निवासी कासिमपुर, जिला सीतापुर की पुलिस द्वारा पीटे जाने से मृत्यु

*५०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत थाना तालगांव के ग्राम कासिमपुर में दिनांक १-४-५८ ई० को श्री इमदाद अली, पुत्र बकरीदी को किसी डकैती के सिलसिले में पकड़ा गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, श्री इमदाद अली को डकैती के संबंध में ३१–३–५८ को पुलिस ने उक्त ग्राम में पकड़ा।

*५१—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस व्यक्ति की २ अप्रैल, १९५८ ई० को पुलिस लाक-अप में मृत्यु हो गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री इमदाद अली की १–४–५८ को सीतापुर में अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हुई।

*५२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मैंजिस्टीरियल जांच कराई गई है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस घटना के संबंध में मैंजिस्टीरियल जांच एस० डी० एम० सिधौली ने की। मैंजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचे कि जब पुलिस श्री इमदादअली को पकड़ने गई तो श्री इमदादअली भागे किन्तु पकड़े गये। तत्पश्चात् वह पुलिस के संरक्षण से भाग निकले। पकड़ने में दोनों बार उनको पीटा गया। उनके जो चोटें आई और जो मार पड़ी वह जरूरत से ज्यादा थी ।

राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*५३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ित पेन्शनों के लिये प्रार्थना-पत्रों के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि ३० सितम्बर, सन् १९५७ ई० के बाद कार्यालय में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२,५८१ ।

*५४—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने मासिक पेंशनों के लिये हैं और कितने एकमुश्त सहायता प्राप्त करने के लिये दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सूचना देना संभव नहीं है, क्योंकि कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का इस प्रकार कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता कि कितने मासिक पेंशन के लिये और कितने एक मुश्त सहायता के लिये हैं। प्रायः प्रार्थना-पत्रों में दोनों मांगे की जाती हैं ।

*५५—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्रों पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन प्रार्थना-पत्रों पर उसी प्रकार ही विचार और निर्णय हो रहा है जिस प्रकार ३०-९-५७ से पूर्व आने वाले प्रार्थना-पत्रों पर ।

डी० एस० पी० कम्पलेंट्स, जिला जौनपुर के पास शिकायतें

*५६—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के डी० एस० पी० (कम्पलेन्ट्स) के यहां सन् १९५७ से अब तक कितनी शिकायतें आईं तथा उनमें क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) जौनपुर के पास उक्त अवधि में कुल १५३ शिकायतें प्राप्त हुई। सभी की जांच की गई। जांच के फलस्वरूप ४० शिकायतें सही पाई गईं और उनसे सम्बन्धित ३ एस० आई०, १ हे० कां०, २६ कांस्टेबुल, १ असिस्टेन्ट कन्सोलिडेशन आफिसर, १ क्लर्क कन्सोलीडेशन, ३ अमीन और १ क्लर्क कस्टोडियम आफिस दंडित किये गये ।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों पर मुकदमे

*५७—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में सन् १९५७ से अब तक मादक द्रव्यों का अवैधानिक व्यापार करने वाले कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा उन पर चले मुकदमों में कितनों में सफलता प्राप्त हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल ४९ व्यक्ति पकड़े गये। उन पर चले कुल ४६ मुकदमों में अभी तक ११ में सजा हुई है, ६ मामलों में अभियुक्त रिहा हुए और २९ अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के नलकूप

*५८—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में अब तक कितने नलकूप बने तथा इस समय कितने बिजली से चल रहे हैं और कितने डीजल से ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में अब तक २२ नलकूप बनाये गये जो बिजली द्वारा चल रहे हैं ? इस समय कोई भी नलकूप डीजल से नहीं चलाया जा रहा है।

देवरिया जिले में कुछ तालाबों के पानी की निकास योजना

*५९—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम लवकुश महासोन, नादह, बेलवा, बाबूराम जिला देवरिया के तालाबों (टैंकों) से नाला निकालने की योजना सरकार के सामने हैं ? यदि हां, तो उक्त काम कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री राममूर्ति—ग्राम लवकुश महासोन के तालाबों के पानी निकालने की कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण धन्धों के बढ़ाने हेतु जो श्रम विकास योजनाएं तैयार की गयी है उनकी सूची में यह योजना भी शामिल है, जो कि द्वितीय प्लान की निर्धारित धनराशि के अलावा धन से बनायी जायगी। योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

ग्राम बेलवा बाबूराम के तालाबों के पानी के निकास की योजना तैयार की जा रही है, जिसमें अभी लगभग ३ माह और लगेंगे। धन की कमी से यह काम अभी नहीं किया जा सकता।

नदहा ग्राम के तालाबों के पानी निकालने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है और आशा की जाती है कि वर्षा ऋतु के पश्चात् योजना तैयार की जावेगी। परन्तु धन की कमी से अभी काम नहीं किया जा सकता।

देवरिया जिले की पडरौना तहसील में नलकूप लगाने की जानकारी

*६०—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम बेलवा-बुजरुग-अमवा-बुजरुग, कोहर बलिया, टंणवा बुजरुग, पिपरासी, तहसील, पड़रौना जिला देवरिया में छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत, ट्यूबवेल लगाने की योजना है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जिला देवरिया के इन ग्रामों का और ग्रामों के साथ फिर से सर्वेक्षण करने की आज्ञा दी गई है, यह सर्वेक्षण वर्षा के बाद किया जावेगा। उसके बाद यह कहा जा सकेगा कि उन ग्रामों में ट्यूबवेल लगेंगे या नहीं।

राइफल प्रशिक्षण केन्द्र

*६१—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा कितने राइफल क्लब चालू किये गये हैं और कहां-कहां ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस विभाग द्वारा तो नहीं किन्तु सरकारी संरक्षणता में अवश्य ७२ राइफल प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये गये हैं जिनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध पुलिस (थानों) अथवा पुलिस लाइन्स पर है। इन केन्द्रों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२४ पर)

बलिया जिलेमें टोंस नदी पर तिराहीपुर या सिधागर घाट के समीप पुल की आवश्यकता

*६२—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार टोंस नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से बचाव के लिये बलिया जिले में तिराहीपुर घाट या सिधागर घाट के समीप टोन्स पर पुल बनाने के प्रश्न पर कृपया विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—टोंस नदी पर सिधागर घाट या तिराहीपुर घाट पर पुल का निर्माण एक परिवहन समस्या है। पुलों के निर्माण से बाढ़ से बचाव नहीं हो सकता। इसलिये इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई जा सकती।

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं

*६३—श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों के बच्चों के शिक्षार्थ सरकार कौन-कौन सुविधा इस प्रदेश में दे रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निम्नांकित सुविधाएं दी जा रही हैं।

१—छात्रवृत्तियां।

२—पुस्तकों के क्रय-हेतु अनावर्त्तक अनुदान।

३—मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा १ से ८ तक के छात्रों को निःशुल्क अथवा अर्द्धशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप में विचार करना।

४—मान्यता प्राप्त विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था।

उन्नाव जिला बोर्ड को निःशुल्क शिक्षा के लिये अनुदान

*६४—श्री भगवती सिंह विशारद—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिला बोर्ड को कक्षा ६ की फीस माफी के संबंध में वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में कितने रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—८५६ रुपये।

बाढ़ योजनाएं

*६५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७–५८ में उनके विभाग द्वारा प्रदेश में कहां-कहां और क्या क्या बाढ़ रोकने व उससे बचाव की योजना बनायी तथा कार्यान्वित की गई है ? उन पर हुये व होने वाले खर्चे का अलग-अलग तखमीना क्या है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग द्वारा सन् १९५७–५८ में प्रदेश के विभिन्न भागों में बाढ़ रोकने व उससे बचाव के लिये जो-जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका विवरण

विवरण पत्र †'अ' 'ब' तथा 'स' में दिया गया है जो संलग्न है।

विवरण-पत्र 'स' में उन योजनाओं के नाम हैं जो कि निर्माणार्थ स्वीकृत की जा चुकी हैं, किन्तु धनाभाव के कारण इन पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

झांसी जिले में जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना

*६६—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला झांसी में बालक तथा बालिकाओं के कितने नये जूनियर हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था है ?

---

†विवरण-पत्र छापा नहीं गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—झांसी जिले में कुल ५ जूनियर हाई स्कूल खोलने का आयोजन है ।

बाराबंकी जिले की फतेहपुर तथा गोंडा जिले की तरबगंज तहसीलों में ग्रामों का धरातल ऊंचा करना

*६७—श्रीमती सरस्वती शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर तथा गोंडा जिले की तहसील तरबगंज के उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनकी सतह बाढ़ सुरक्षार्थ १९५५–५६, १९५६–५७ में ऊंची की गयी है ?

श्री राममूर्ति—बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर में १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में ३६ ग्रामों की सतह ऊंची की गई है जिनकी सूची †संलग्न है।

गोंडा जिले की तहसील तरबगंज में १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में १७० ग्रामों की सतह ऊंची की गई है जिनकी सूची† संलग्न है ।

*६८—श्रीमती सरस्वती शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त तहसील में और कितने गांव सतह ऊंची करने के लिये शासन के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—बाराबंकी जिले की फतेहपुर तहसील में और गोंडा जिले की तरबगंज तहसील में अब कोई भी गांव कोष की कमी के कारण शासन के पास सतह ऊंची करने के विचाराधीन नहीं है ।

झांसी जिले में डकैतियां और कत्ल

*६९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५,५६ तथा ५७ में झांसी जिले में कितनी डकैतियां पड़ीं और डाकुओं द्वारा कितनी हत्याएं की गयीं, इनमें केवल ललितपुर और महरौनी तहसील में कितनी डकैतियां पड़ीं व हत्याएं की गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में झांसी जिले में कुल ७३ डकैतियां पड़ीं जिनमें ललितपुर में २० और महरौनी में १८ थीं। कुल ३ हत्याएं की गईं जिनमें ललितपुर में कोई नहीं और महरौनी में एक हुई ।

वाराणसी जिला अन्तर्गत महुआरी परगने में गंगा का कटाव रोकने की प्रार्थना

*७०—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला वाराणसी, तहसील चन्दौली में परगना महुआरी के ग्राम कांवर, महुआरी, मेहुरिया बीसूपुर, गंगबरार तथा सराय, इधर लगातार कई वर्षों से गंगा के कटाव में जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसके बचाव की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। इन ग्रामों को बचाने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि गंगा जैसी बड़ी नदी के कटाव को रोकने के लिये बहुत धनराशि की आवश्यकता होगी और यदि यह कटाव रोक भी लिया जाय तो निश्चिय ही इसकी प्रतिक्रिया नदी के दूसरे किनारे पर अन्यत्र कहीं होगी।

† छापी नहीं गई ।

इटावा जिले में सिरसा और सगर नदियों के दोआबे में सिंचाई के साधनों का अभाव

*७१—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इटावा जिले में सिरसा और सगर नदी के दोआबे जो कि करीब २५ मील लम्बा है और ४ मील चौड़ा है और जिसमें पानी की गहराई करीब ६० फीट है उसमें अभी तक सिंचाई का कोई साधन नहीं है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, दोआब के उस भाग में जो इटावा जिले में पड़ता है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है ।

*७२—श्री अभयराम यादव—क्या सरकार इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में किसी ट्यूबवेल या नहर के निर्माण या भोगनीपुर से कोई रजबहा निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, अभी ऐसी कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

वाराणसी जिले की धानापुर नहर में ली गयी भूमि का मुआवजा व लगान

*७३—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के धानापुर नहर में ली गयी भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, अभी नहीं दिया गया है ।

*७४—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वाराणसी की धानापुर नहर में ली गयी भूमि का लगान किसानों के खातों से कम कर दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, पर अब Board of Revenue के पत्र संख्या १२९४९-९९/१० एल० ए०, दिनांक सितम्बर ११, १९५७ द्वारा जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसी भूमि का लगान किसानों से न लिया जाय जिस भूमि को किसी शासकीय कार्य के लिये ले लिया गया हो ।

गोरखपुर जिले के इमिलिया ग्राम में कथित विस्फोट

*७५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को पता है कि मई सन् १९५८ के प्रथम सप्ताह में गोरखपुर जिले के अन्तर्गत परतावल बाजार के पास इमिलिया ग्राम में विस्फोट हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विस्फोट से क्या नुकसान हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विस्फोट की कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई, परन्तु जांच से पता चला है कि ग्राम इमिलिया में दो माह पूर्व एक पटाका एक मकान पर फेंका गया था जिससे किसी को कुछ हानि नहीं हुई ।

*७६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार उक्त बम विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उस जांच का परिणाम सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप लगाने के लिये आधार

*७७—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ट्यूबवेल लगाने के लिये क्या आधार होता है और क्या भाठ व बांगर दोनों भूमियों में समान रूप से ट्यूववेल लगाये जाते हैं?

श्री राममूर्ति—एक नलकूप लगाने के लिये निम्न बातों को विचार में रखा जाता है :

(१) क्षेत्र नहरों से सिंचाई की सुविधा न हो।

(२) क्षेत्र की भूमि समतल हो और नशेवी न हो तथा बाढ़ का पानी न आता हो।

(३) क्षेत्र की भूमि उपजाऊ हो तथा पक्के कुओं के कम साधन हो या पानी अधिक गहराई पर हो।

(४) क्षेत्र का स्ट्राटा (strata) अच्छा हो।

(५) अधिकतर गेहूं व गन्ने की खेती हो।

साधारणतः—नलकूप भाठ भूमि में नहीं लगाये जाते, बल्कि बांगर भूमि में लगाये जाते हैं यदि उक्त बातें हों। भाठ भूमि में सिंचाई के पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें नमी अधिक दिनों तक रहती है और रबी में पानी बहुत ही कम दिया जाता है।

अपराध अन्वेषणार्थ आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग की योजना

*७८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपराध अन्वेषण के लिये आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के लिये कोई योजना है? और यदि है, तो उससे उसमें कहां तक प्रगति हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। आधुनिकतम वैज्ञानिक साधनों के द्वारा अपराध अन्वेषण की बहुमुखी योजना बनाने की ओर सरकार कई वर्षों से प्रयत्नशील है तथा इसमें काफी प्रगति भी हुई है। सरकार ने गत वर्ष लखनऊ में एक फोरेंसिक लेबोटरी स्थापित करने का निश्चय किया है जिस पर ५ लाख रुपये से भी अधिक व्यय होने का अनुमान है। इस प्रयोगाशाला का भवन जिसपर लगभग साढे तीन लाख रुपये व्यय होंगे, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है और लगभग तैयार हो चुका है। जैसे ही इस भवन में बिजली पानी और गैस की सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी, पुलिस गुप्तचर शाखा का वर्तमान वैज्ञानिक अनुभाग तथा आगरा स्थित कैमिकल एक्जामिनर की प्रयोगशालाएं इस भवन में काम करने लगेंगी। इसके साथ-साथ प्रदेश के ११ जिलों में एक सचल वैज्ञानिक दल स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त गुप्तचर विभाग वैज्ञानिक अवेषण में पुलिस अधिकारियों को तेजी के साथ प्रशिक्षण दे रहा है।

गत ५ वर्षों में लगभग चालीस हजार रुपये पुलिस गुप्तचर विभाग के वैज्ञानिक अनुभाग में वैज्ञानिक यंत्रों के मंगाने पर खर्च किये गये। कुछ कर्मचारी भी बढ़ाये गये हैं।

*७९—श्री देवकीनन्दन विभव—[६ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*८०-८२—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले के पुराने थानेदार

*८३—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में ऐसे कितने थानेदार हैं जो ६ साल या उससे अधिक समय से उसी जिले में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा कोई थानेदार मुजफ्फरनगर जिले में नहीं है ।

मुजफ्फरनगर के जिले के चालू नलकूप

*८४—श्री अहमद बख्श—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में पिछले ५ साल में सरकार द्वारा बनाये गये ट्यूब वेलों में से इस समय कितने चालू हैं तथा कितने बिजली न मिलने के कारण चालू न हो सके ?

श्री राममूर्ति—मुजफ्फरनगर जिले में गत ५ वर्षों १९५३-५४ से १९५७-५८ में ५३ नलकूपों का निर्माण हुआ है इन नलकूपों में से २३ नलकूप चालू हैं और शेष ३० नलकूप ऐसे हैं जो विद्युत् के अभाव के कारण चालू नहीं हो सके हैं।

सरकारी विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

*८५—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्यकोष से सहायता पाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—खुली भर्ती द्वारा सरकारी विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर राज्यकोष से सहायता पाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नियुक्त करने के लिये कोई रुकावट नहीं है।

पश्चिमी जमुना नहर

*८६—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपया बतावेगी कि पश्चिमी जमुना कैनाल में स वर्ष मार्च से जून तक पिछले वर्ष के मुकाबले में कितना कम पानी प्राप्त हुआ है ?

श्री राममूर्ति—पश्चिमी यमुना नहर का उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। यह नहर पंजाब में है।

*८७—श्री गनेशचन्द्र काछी—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण २५ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८८-८९—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—[८ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ४४-४५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*९०—श्री गंगाप्रसाद सिंह—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण छठवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आगरा जिले की डकैतियों में मृत्युएं

*९१—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार मास के अन्दर आगरा जिले में कितनी डकैतियां पड़ी और इस सिलसिले में कितने लोगों की जानें गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में आगरा जिले में कुल ४ डकैतियां पड़ीं और इनमें कुल ५ व्यक्ति जान से मारे गये ।

गोंडा जिले के राजकीय प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल

*९२—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गोंडा जिले के अन्दर कुल कितने राजकीय जूनियर हाई स्कूल तथा कितने राजकीय प्राइमरी स्कूल हैं और कुल अध्यापकों की संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

	स्कूलों की संख्या	अध्यापकों की संख्या
राजकीय जूनियर हाई स्कूल ..	१	१०
राजकीय प्राइमरी स्कूल ..	—	—

*९३—श्री बलदेवसिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार १९५८ में गोंडा जिले में कुछ प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल और खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। गोंडा जिले में ४५ प्राइमरी तथा १ जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

*९४—श्री मोतीलाल अवस्थी—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सिंचाई उप समितियों के निर्माण के लिये नये नियम बनाने का विचार

*९५—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर निर्मित सिंचाई उपसमिति के निर्माण के संबंध में सरकार कुछ नये नियम बनाने जा रही है ? यदि हां, तो वह नियम कब तक बन जावेंगे ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय हो जाने की आशा है।

गोंडा जिले में सिंचाई के सरकारी साधन

*९६—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सिंचाई के सरकारी साधन क्या-क्या हैं और उनके द्वारा कितने एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध है ?

श्री राममूर्ति—गोंडा जिले में सिंचाई के निम्नलिखित सरकारी साधन हैं और उनसे ४१,८११ एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध है जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

नाम	प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र (एकड़ों में)
१—ईटियाथोक ग्रुप के ३० नलकप	१३,६०७
२—मझगवां बांध	३,३७४
३—बघेलखंड बांध	२,१३४
४—कोहरगड्डी	६,३७८
५—बसेहवा	१,२५९
६—गनेशपुर	२,१३५
७—गिरगिटही सरोवर	८,२५०
८—खैरमान बांध	४,६७४
	४१,८११

सारनाथ, जिला वाराणसी में सूचना केन्द्र तथा पुलिस थाना खोलने की प्रार्थना

*९७—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के सारनाथ में सरकारी सूचनागृह लगभग एक साल से बन्द है? क्या सरकार पुनः उसे चालू करने पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सारनाथ में एक सूचना केंद्र अस्थायी रूप से केवल बुद्ध जयन्ती के अवसर पर खोला गया था। सरकार का विचार इस समय सारनाथ में कोई सूचना केंद्र खोलने का नहीं है।

*९८—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सारनाथ में कब से पुलिस थाने की स्थापना की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निकट भविष्य में वहां पर थाने की स्थापना की कोई संभावना नहीं है।

*९९-१००—श्री गंगा प्रसाद सिंह—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण पांचवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१०१—श्री गौरी राम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[हटा दिया गया।]

इटावा जिले के चांदपुर ग्राम में एक रात में तीन कत्ल

*१०२—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम चांदपुर, थाना अजीतमल, जिला इटावा के अन्तर्गत माह जून सन् १९५८ में एक ही रात को ३ कत्ल हुये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*१०३—श्री भजनलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन कत्लों के संबंध में अभी तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुलजिमों का सुराग लग गया है और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।

इटावा जिले में विविध अपराध

*१०४—श्री भजनलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि औरैया क्षेत्र, जिला इटावा के अन्तर्गत थाना अजीतमल औरैया, फंफूद, दिवियापुर और थाना सहायल में जनवरी सन् १९५८ से अब तक कुल कितनी डकैतियां, चोरियां, राहजनियां और कत्ल हुए हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जनवरी, १९५८ से अब तक जिला इटावा में थाना अजीतमल, औरैया, फफूंद, दिवियापुर और सहायल के अन्तर्गत कुल १० डकैतियां, ४१ चोरियां, २ राहजनियां और ४ कत्ल हुये।

बरेली जिले में कत्ल

*१०५—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में थानेवार मई व जून सन् १९५८ में कुल कितने कत्ल हुए?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल ४ कत्ल हुए जिनकी थानेवार संख्या इस प्रकार है:।—

१—थाना फतेहगंज	..	१
२—थाना कोतवाली	..	१
३—थाना बारादरी	..	१
४—थाना हाफिजगंज	..	१

गोरखपुर जिले में जगतबेला और सहजनवा के बीच राप्ती का कटाव रोकने की प्रार्थना

*१०६—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में राप्ती नदी से रेलवे स्टेशन जगतबेला तथा सहजनवां के बीच जो नदी कटाव कर रही है उससे बचाव के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है और इस पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति—गोरखपुर जिले में जगतबेला रेलवे स्टेशन तक सहजनवा के बीच के क्षेत्र को राप्ती नदी द्वारा कटाव से रक्षा के वास्ते कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है और न अब तक कोई कार्य किया गया है। अतः कोई धन व्यय नहीं हुआ है।

लखनऊ की किसी पुलिस चौकी में मेहतरानी के इंचार्ज बनाये जाने की कथित घटना

*१०७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को लखनऊ शहर की एक पुलिस चौकी पर गत २१ जून को मेहतरानी को इंचार्ज बनाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया इस संबंध का सम्पूर्ण विवरण सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१०८-११०—श्री नारायणदत्त तिवारी—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण दसवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पुलिस विभाग की शाखाओं में परिवर्तन का विचार

*१११—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पुलिस के पुनस्संगठन का प्रश्न उसके विचाराधीन है ? अगर हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*११२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार शिकायत और तहकीकात शाखाओं को मिला देने और खुफिया पुलिस को अलग शाखा स्थापित करने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*११३-११४—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थागित किये गये।]

जमराड़-गनाई नहर नामक कथित योजना

*११५—श्री हरिदत्त काण्डपाल—क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जमराड़-गनाई नहर योजना जो स्वीकृत हो चुकी है उसका आरम्भ कब से होने वाला है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में जमराड़-गनाई नहर नाम की कोई भी सिंचन योजना नहीं है।

नागा निरंकारी संस्कृत पाठशाला, फतेहपुर को अनुदान

*११६—श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला फतेहपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर नगर में नागा निरंकारी संस्कृत पाठशाला नाम की कोई ऐसी संस्था है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा अनुदान भी दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*११७—श्री सुरथबहादुर शाह—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पाठशाला में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की ३१–३–५८ को कितनी संख्या थी ? और कितना धन गत वर्ष इस संस्था को अनुदान के रूप में दिया जा चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३१-३-५८ को विद्यार्थियों की संख्या २६ थी और अध्यापकों की ४।

१९५७–५८ में अनुदानस्वरूप ८८८ रुपये दिया गया।

पूर्वी जमुना नहर के रजबहों से पर्याप्त जल न मिलने की शिकायत

*११८—श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)—क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि क्या नहर जमन पूर्वी के रजबहे अप्रैल सन् १९५८ से लेकर ३० जून सन् १९५८ तक पांच हफ्ते बन्द रहने के बाद केवल एक हफ्ता चलते रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—(अ) लोअर डिवीजन पूर्वी जमुना नहर में रजबहों के चलने की स्थिति इस प्राकर है:—

अप्रैल १९५८ में रजबहे एक सप्ताह चले और दो सप्ताह बन्द रहे।

मई और १५ जून, १९५८ तक रजबहे एक सप्ताह चले और साढ़े तीन व चार सप्ताह बन्द रहे।

१५ जून से आखीर जून तक राजबहे एक सप्ताह चले और दो सप्ताह बन्द रहे।

(ब) अपर डिवीजन, पूर्वी जमुना नहर में रजबहों के चलने की स्थिति इस प्रकार है:—

अप्रैल व मई में, आमतौर से रजबहे चार सप्ताह बन्द रहने के बाद एक सप्ताह चले। मई के अंतिम सप्ताह व १५ जून तक पांच सप्ताह बन्द रहने के बाद एक सप्ताह चले, इसके अलावा पौद धान के लिये बन्दी के दिनों में एक-एक दिन के लिये रजबहे चलाये गये।

मेरठ जिले में नल कूप लगाने की योजना

*११९—श्री रघुवीर सिंह—क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में जिला मेरठ में कितने सरकारी नलकूप लगाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—इस Financial year में १० नये नलकूप लगाने का बिचार है।

*१२०—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में पुलिस फोर्स

*१२१—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में वर्तमान पुलिस फोर्स कितनी है और क्या निकट भविष्य में उसको बढ़ाये जाने की कोई योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले की वर्तमान पुलिस फोर्स की संख्या ८०५ है और अभी उसको बढ़ाये जाने की कोई योजना नहीं है।

*१२२–१२३—श्री देवकी नन्दन विभव—[१९ अगस्त, १९५८ के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

श्री 'इन्दाज' निवासी कासिमपुर जिला, सीतापुर की पुलिस द्वारा पीटे जाने से मृत्यु

*१२४—डाक्टर अवधेश कुमार सिन्हा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 'इन्दाज' नामक व्यक्ति जो कि सीतापुर अतिरिक्त जिलाधीश की अदालत में हाजिर होने जा रहा था उसे पुलिस ने बीच में ही पकड़ लिया और इतना मारा कि वह मर गया ? क्या सरकार कृपया बतावेगी किसम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्य वाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। घटना यह है कि श्री इन्दाज, निवासी ग्राम कासिमपुर, जिला सीतापुर की तलाश पुलिस को कुछ डकैतियों के संबंध में थी। ३१-३-५८ को पुलिस पार्टी उक्त ग्राम में गयी लेकिन श्री इन्दाज भाग निकले, और पकड़े गये। तत्पश्चात् वह पुलिस की संरक्षणता से भाग निकले, किन्तु पुनः पकड़ लिये गये। पकड़ने में दोनों बार उनको पीटना पड़ा। दूसरे दिन वे सीतापुर लाये गये और अतिरिक्त जिलाधीश की अदालत में पेश किये गये। वहां से अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के उत्तरी अंचल में नलकूपों का निर्माण

*१२५—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर में गंगा नदी के उत्तरी अंचल में बसे हुये क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप लगने वाले हैं और उनमें कितने नलकूप लग चुके ?

श्री राममूर्ति—जिला मिर्जापुर में गंगा नदी के उत्तरी अंचल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ११ प्रस्तावित नलकूपों का निर्माण हो चुका है।

*१२६—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[हरिजन कल्याण मन्त्री से सम्बन्धित चौथे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बांदा जिला बोर्ड को बेसिक कंटिंजेन्सी के लिये अनुदान

*१२७—श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बांदा जिला बोर्ड को बेसिक कंटिंजेन्सी के लिये कितना राजकीय अनुदान १९५७-५८ में दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४६,४०५ रुपया।

*१२८—श्रीमती सिया दुलारी—इस अनुदान से कितने रुपये की पुस्तकें खरीदी गयीं ? क्या पुस्तकों के क्रय किये जाने के लिये शिक्षा संचालक ने कोई सूची भेजी थी ? यदि हां, तो बांदा जिला बोर्ड ने कितने रुपये की पुस्तकें इस सूची के अनुसार खरीदीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अनुदान से जिला परिषद् बांदा द्वारा १५,५४७.०९ रुपये मूल्य की पुस्तकें खरीदी गई। संयुक्त शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने प्रसंगगत अनुदान के स्वीकृतिदायक-पत्र के साथ केवल सहायता एवं पथ-प्रदर्शन के लिये पुस्तकों की एक सूची संलग्न की थी। पुस्तकों की इस सूची में से जिला बोर्ड, बांदा ने ७,२१२.२७ रुपये मूल्य की पुस्तकें खरीदीं।

बांदा जिले में कत्ल व डकैतियां

*१२९—श्रीमती सिया दुलारी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में १९५७-५८ में कितने कत्ल तथा डकैतियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२५ कत्ल तथा ५ डकैतियां हुईं।

ललितपुर तहसील के पठागोरी ग्राम की गोविन्द बांध में डूबी जमीन का मुआवजा

*१३०—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि ग्राम पठागोरी, तहसील ललितपुर (झांसी) के गोविन्द बांध में ग्राम-वासियों की जो जमीन डूब गई है उसका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*१३१-१३३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण २५ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७९-८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सीतापुर जिले में अम्बरपुर निवासी श्री शिवनारायण लाल शुक्ल का कत्ल

*१३४—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जिला सीतापुर में सिधौली थाने के अन्तर्गत श्री शिवनारायण लाल शुक्ल, सदस्य, मंडल कांग्रेस कमेटी, सिधौली, निवासी ग्राम अम्बरपुर की हत्या दिनांक २७ मई सन् १९५८ ई० को कर दी गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

*१३५—श्री बैजूराम—यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हत्या के संबंध में किस पुलिस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त हत्या के सम्बन्ध में श्री अब्दुल हफीज खां, थानाध्यक्ष, सिधौली ने जांच की ।

गोरखपुर जिले में नवलपुर ग्राम को ऊंचा करने की प्रार्थना

*१३६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि परगना चिल्लूपार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में ग्राम नवलपुर के राप्ती नदी के कटाव से कट जाने के बाद उसी गांव के एक निवासी ने कुछ जमीन बसने के लिये गांव वालों को दे दी थी और अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया था कि उसे ऊंचा कर दिया जाय ?

श्री राममूर्ति—परगना चिल्लूपुर, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में ग्राम नवलपुर के राप्ती नदी के कटाव से कट जाने के कारण उसी गांव के एक निवासी द्वारा और सम्बन्धित गांव के ऊंचा कराये जाने के विषय में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

पीड़ित निवासियों को बसने के वास्ते कुछ जमीन देने के विषय में जिला अधिकारी को जानकारी हो सकती है ।

*१३७—श्री उग्रसेन—क्या बाढ़ विभाग, गोरखपुर ने ४ सितम्बर, १९५७ के लगभग उक्त ग्राम को ऊंचा करने का टेन्डर मांगा था और फिर उसे रद्द कर दिया ? यदि हां तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—बाढ़ विभाग, गोरखपुर ने नवलपुर ग्राम को ऊंचा करने के लिये ४ नवम्बर, सन् १९५७ ई० को टेन्डर मांगा था, परन्तु धन उपलब्ध न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था ।

*१३८—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवलपुर ग्राम की उक्त भूमि की पटाई १९५८-५९ में की जावेगी ?

श्री राममूर्ति—इसका निर्णय धनराशि के प्राप्त होने पर हो सकेगा । अभी कोई आशा नहीं है ।

माताटीला बांध सम्बन्धी भूमि का मुआवजा देने में भ्रष्ट कर्मचारियों का निलम्बन

*१३९—श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या माताटीला बांध में हस्तगत की गई भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के मामलों की कोई सरकारी जांच हुई थी ? यदि हां, तो उसका क्या फल निकला ?

श्री राममूर्ति—जी हां। इस सम्बन्ध में तीन सरकारी कर्मचारी मुअत्तल (suspend) कर दिये गये हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है।

*१४०—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सिविल सर्जन, आजमगढ़ के निवास स्थान में चोरी

*१४१—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या गृह मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि सिविल सर्जन, आजमगढ़ के निवास-स्थान पर २०–२१ जून सन् १९५८ की रात्रि में सशस्त्र पुलिस की पोस्टिंग रहते हुये चोरी हुई थी? यदि हां, तो कुल कितने रुपये का माल गया तथा अब तक सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उक्त रात्रि को सिविल सर्जन आजमगढ़ के निवास-स्थान पर चोरी तो हुई थी पर कोई सशस्त्र पुलिस तैनात नहीं थी। कुल ६,०८२ रुपये की चोरी हुई। इस अपराध में कुछ अभियुक्त पकड़े गये हैं, जांच जारी है।

महिलाओं के नार्मल तथा जे० टी० सी० ट्रेनिंग सेण्टर

*१४२—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं की नार्मल तथा जे० टी० सी० ट्रेनिंग किस-किस जिले में चल रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निम्नलिखित जिलों में महिलाओं की नार्मल (एच० टी० सी०) तथा जे० टी० सी० की ट्रेनिंग चल रही है।

नार्मल (एच० टी० सी०) ट्रेनिंग
मेरठ
बुलन्दशहर
आगरा
बदायूं
अल्मोड़ा
इलाहाबाद
मिर्जापुर
गोरखपुर
सीतापुर
फैजाबाद
मथुरा
बरेली
कानपुर

जे० टी० सी० ट्रेनिंग
झांसी
इलाहाबाद
मुरादाबाद

*१४३–१४४—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४५–१४६—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४७—श्री मदन पांडेय—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण २५ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इटावा जिले में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध स्ट्रक्चर तथा निलम्बन के आदेश

*१४८—श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के किन-किन पुलिस कर्मचारियों पर इटावा के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तथा ऐडिशनल सेशन जज तथा अन्य न्यायालयों व हाईकोर्ट द्वारा सन् १९५६ व १९५७ में स्ट्रक्चर पास किये गये ?

*१४९—जिन पुलिस अधिकारी तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों पर स्ट्रक्चर पास हुये उन पर पुलिस विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२५ पर)

*१५०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने ऐसे मौजूदा पुलिस कर्मचारी हैं जिन पर किसी जुर्म में न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है और वे निलंबित (suspended) हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

*१५१—श्री त्रिलोकीसिंह—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५२-१५३—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५४—श्री हरिदत्त काण्डपाल—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण २५ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री गज्जूराम—[वित्त मन्त्री से सम्बन्धित चौथे बुधवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ललितपुर सब डिवीजन में डाकुओं की गिरफ्तारी व मृत्यु

२—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जनवरी १९५८ से जून १९५८ तक ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) में कितने डाकू मारे गये और कितने पकड़े गये और उनके नाम क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२ डाकू मारे गये और २२ पकड़े गये। उनके नामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४२७ पर)

ललितपुर की नारायणी नदी पर धौरा बांध की निर्माण योजना कार्यान्वित न होना

३—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ललितपुर की नारायणी नदी में बांध बनाने की योजना असफल हो गई है ? यदि हां, तो किस कारण ?

श्री राममूर्ति—जी हां, नारायणी नदी पर एक धौरा बांध बनाने की योजना सन् १९४८ ई० में बनाई गई थी पर मध्य प्रदेश सरकार से पर्याप्त सहयोग न होने के कारण यह योजना कार्यान्वित न हो सकी। अब माताटीला बांध के बन जाने के कारण इस समय इस योजना की आवश्यकता नहीं है।

४—श्री गज्जूराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नदी के बांध में कितनी जमीन में सिंचाई की योजना थी और कितना धन व्यय होना था ?

श्री राममूर्ति—उक्त बांध में प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र १,१६,००० एकड़ था और इस योजना का अनुमानित व्यय १,८५,९२,००० रुपया था ।

५—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त बांध के बंधने के सिलसिले में कुछ धन व्यय हो चुका है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री राममूर्ति—उक्त बांध के सिलसिले में २,७७,००० रुपये व्यय हो चुके हैं।

ललितपुर–देवगढ़ सड़क के निर्माण पर व्यय

६—श्री गज्जूराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ललितपुर से देवगढ़ सड़क कैनाल विभाग द्वारा बनाई गयी थी ? इसमें कितना धन व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—ललितपुर से जाखलौन तथा देवगढ़ को जाने वाली सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है । ललितपुर बांध के निर्माण के कारण इस सड़क का कुछ भाग तथा इस सड़क से उस क्षेत्र के गांवों को जाने वाली सड़कें जलमग्न हो गईं । इस सड़क पर तथा उक्त ग्रामों को यातायात की सुविधा कायम रखने के लिये जलाशय के किनारे कुछ भाग में नई सड़क बना दी गई तथा कुछ भागों में उक्त ललितपुर–जाखलौन सड़क जो बहुत ही खराब हालत में थी उसको ठीक करा दिया गया । इस काम में अभी तक १,१५,००० रुपये व्यय हुए।

७—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह उक्त सड़क को अब पी० डब्ल्यू० डी० में ले रही है ?

श्री राममूर्ति—यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

८—श्री गनेशचन्द्र काछी—[२५ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

अनुपूरक प्रश्न करने के लिये अवसर न प्राप्त होने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि किसी-किसी दिन तो १७० या इससे भी अधिक प्रश्न हो जाते हैं । इससे जो प्रश्न बाद में रहते हैं उनका उत्तर हाउस में न मिलने के कारण सप्लीमेंटरीज उन पर नहीं हो पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—कई दफा इसके बारे में कहा जा चुका है । पुनः बार-बार उसी प्रश्न को उठाने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उनको कम कराने के लिये आप प्रयत्न करें ।

श्री अध्यक्ष—क्या किया जाय ? लोग नोटिस देते हैं, उनका अधिकार है, इसलिये वे अधिक संख्या में स्वीकृत होते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—हफ्ते में सात ही रोज होते हैं । आप हफ्ता बढ़ाने की कोशिश कीजिये तो ज्यादा अच्छा है । परमात्मा से प्रार्थना कीजिये ।

एक ही प्रकार के कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज कोई करीब १२ कामरोको प्रस्ताव आये हैं और बहुत से इन में से सम्बन्ध रखते हैं उन जिलों से जो अभी बाढ़ से ग्रस्त हो गये हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें खाद्य व्यवस्था से जो कथित असंतोष हुआ है और उसके कारण परिस्थित उत्पन्न हुई है उनका जिक्र है। एक-दो कुछ बीमारियों के सम्बन्ध में है। लेकिन किसी को भी मैंने ऐसा नहीं पाया जो कामरोको प्रस्ताव के रूप में मंजूर करने लायक हो। मैं जब उनको पढ़ता हूं तो केवल इस दृष्टि से कि जो बाढ़ से सम्बन्धित हैं उनके सम्बन्ध में यदि सम्बन्धित मंत्री किसी जिले की सूचना बाढ़ के सम्बन्ध में देना चाहें तो संक्षेप में दे सकें, क्योंकि बहुत सी जगहों की सूचनाएं देनी होंगी। यदि वे हफ्ते में किसी एक रोज़ बाढ़ के सम्बन्ध में उस समय तक की परिस्थिति सूबे की बता दिया करें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा हो और उससे कामरोको प्रस्ताव भी कम आयें और यह तबालत भी सदन में नहीं आयेगी कि मैं हर रोज़ ऐसे प्रस्तावों की इजाजत नहीं दूं क्योंकि हर रोज कहीं न कहीं अधिक वर्षा होती है और इसके लिये सदन का रोजाना २ घंटे काम रोक कर बहस की जाय तो कामरोको प्रस्तावों का जो महत्त्व होता हैं वह नहीं रहेगा। कहीं एकाध दफा बाढ़ आ गयी होती तो मैं उस सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव को मंजूरी दे भी दूं लेकिन जब कई जिलों में समय-समय पर आती हैं और रोज-रोज पानी बरसता जाता है। ऐसी अवस्था में मैं इसको महत्त्व नहीं दूंगा।

कलक्टरी कचहरी देवरिया में 'घेरा डालो' आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—राजनारायण जी का कामरोको प्रस्ताव यह है :—

"देवरिया जिले में अन्न-संकट से पीड़ित ५ हजार नर-नारियों ने गत ९ अगस्त को जिलाधीश से काम दो या रोटी दो की मांग की। जिलाधीश की ओर से उदासीनता का रुख अख्तियार करने पर भूखी जनता कलक्टरी कचहरी में बैठ गई और रोटी की मांग करने लगी। बाद में जिलाधिकारियों ने सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं सर्वश्री चन्द्रबली सिंह, कृष्णाराय आदि के साथ २६ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में रख लिया है। हमने सरकार को देवरिया की हालत से २६ जुलाई को ही अवगत करा दिया था, बाद में भी सरकार से वहां की समस्या के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की। सरकार की ओर से समुचित कदम न उठने पर ही ९ अगस्त से उपर्युक्त प्रदर्शन तथा घेरा पड़ा।

प्रदर्शनकारियों के शान्तिपूर्ण ढंग पर रोटी मांगने पर उन्हें रोटी की व्यवस्था न कर आतंकित करके गैर-कानूनी ढंग से गिरफ्तार करने की सरकारी नीति से बड़ी ही विस्फोटक परिस्थिति पैदा हो गई है।

अतः सदन उपर्युक्त स्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह केवल स्थानीय कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है और सरकार की नीति या उसकी किसी बात से इसका सम्बन्ध नहीं है जिससे कि वे गिरफ्तार हुए हों लेकिन मैंने जैसा कहा कि अगर माननीय गृह मन्त्री जानकारी संक्षेप में देना चाहें तो इस विषय में दे सकते हैं कि क्या घटना हुई ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—कलक्टर से जो रिपोर्ट मुझे इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है वह दिये देता हूं। पहले से कोई कागजात इस बारे में हैं नहीं और न वह १० तारीख ही थी। वह रिपोर्ट यह है कि ९ अगस्त से सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया ने घेरा डालो

प्रस्ताव की सूचना

आन्दोलन शुरू किया । ८०० प्रदर्शनकारी कलक्टर की कचहरी में पहुंचे और शोर गुल मचाना शुरू किया और नारे लगाने लगे । इससे कलक्टरेट के काम में बाधा पड़ी और बावजूद यह कहने के कि आप लोग जायं और कचहरी का काम होने दें, वे घेर कर वहीं बैठ गये और बराबर नारे लगाते रहे । १८ आदमी, ३९० और ४४७ आई० पी० सी० में गिरफ्तार किये गये । इसी प्रकार का घेरा सलेमपुर और हाटा में डाला गया, लेकिन वहां कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । यह जो रेडियोग्राम वहां से आया है उससे मैं इतनी ही सूचना दे सकता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्नों का समय नहीं है । आप प्रश्न मेरे पास भेज दें ।

श्री राजनारायण—मुझे एक इत्तला और हासिल करनी है ।

श्री अध्यक्ष—आपको सूचना मिल गयी । आप प्रश्न करना चाहें तो मेरे पास भेज सकते हैं । आप नोटिस देकर प्रश्न कीजिये ।

श्री राजनारायण—माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास शायद माननीय कमलापति जी के मुकाबिले में विशेष जानकारी हो ?

श्री अध्यक्ष—वे चाहें तो इत्तला दे सकते हैं । लेकिन वे खड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिये वे सूचना देना उचित नहीं समझते ।

बाढ़ तथा अतिवृष्टि से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री रूमसिंह का इस प्रकार है :—

"परगना खेड़ा बझेड़ा, तहसील तिलहर व जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर के दरिया रामगंगा, गंग तथा बहगुल में भीषण वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आ गई है । फलस्वरूप उपरोक्त तहसीलों तथा आसपास के गांव की हजारों एकड़ फसल डूब गई है, हजारों मकान गिर गये हैं और जनता में भुखमरी की स्थिति व्याप्त है" । इसके बाद आगे इस प्रकार है "अधिकारियों की लापरवाही तथा सरकार की ओर से प्रबन्ध न होने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

एक दूसरा प्रस्ताव बाढ़ के सम्बन्ध में श्री मोतीलाल जी अवस्थी का इस प्रकार है :—

"प्रदेश की यमुना व ईशान नदियों में अत्यधिक बाढ़ आ जाने के कारण जिला अलीगढ़ की तहसील खैर व हाथरस में चार जानें व १९ पशुओं की हानि, १८७ ग्रामों में पानी बढ़ने और मकानों के गिरने तथा अनेक प्रकार से सम्पत्ति हानि होने व फसल खराब जाने से उक्त क्षेत्र में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है ।"

एक कामरोको प्रस्ताव बाढ़ के सम्बन्ध में गौरीशंकर राय जी का है "बलिया जिले में गंगा की कटान से रुद्रपुर, गायघाट, हल्दी, शाहपुर आदि गांव के प्रायः ३०० मकानों के पिछले एक हफ्ते में गंगा की धारा से विलीन हो जाने एवं विस्थापित व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा बैठने तक की व्यवस्था न कर सकने के कारण स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है ।"

"मथुरा जिले में ६५० गांवों में हाहाकार मचा हुआ है अति वर्षा के कारण और वहां पर सरकारी सहायता काफी नहीं हो रही है" इत्यादि, इस विषय में उन्होंने कहा है ।

तो मथुरा का अलीगढ़ का शाहजहांपुर का, हाथरस वगैरह तहसीलों का और बलिया का इन नगरों या जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री अगर इसमें कोई सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं । और एक उन्नाव के बारे में भी है मेरे पास । अगर इस के बारे में भी कोई खबर हो तो दे दीजियेगा ।

*वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, शाहजहांपुर के मुताल्लिक कलक्टर ने अपने रेडियोग्राम में जो ९ तारीख को आया था हमको यह रिपोर्ट दी है कि अभी कोई बहुत ज्यादा वर्षा उनके जिले में नहीं हुई है, इसलिये कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है और न किसी इमदाद की जरूरत है ।

अलीगढ़ में यह जरूर है कि यमुना, कर्बन और ईशान में बाढ़ आ गई है और इस बाढ़ की वजह से और मुकामी वर्षा की वजह से ३१४ गांवों पर असर पड़ा है १४६ तहसील खैर के, ३५ इगलास के, २७ अतरौली के और ७६ हाथरस के । २० हजार एकड़ जमीन और साढ़े ३७ हजार आदमियों पर इसका प्रभाव पड़ा है । १,७०० मकान या तो गिर गये हैं या उनको नुकसान पहुंचा है खैर और इगलास में । चार आदमी और १९ जानवर गुम हैं । टप्पल से लेकर खैर तक का रास्ता बन्द हो गया है । रिलीफ और रेस्क्यू का काम चल रहा है । २२५ आदमियों को जो पानी से घिरे हुए गांव हैं उनसे निकालकर हिफाजत की जगह पर पहुंचा दिया गया है और फ्री राशन जरूरतमन्दों को दिया जा रहा है । गवर्नमेंट की तरफ से ५,००० रुपये अहेतुक सहायता और १०,००० हजार रुपये मकान बनाने के लिये अहेतुक सहायता और ५०,००० रुपये तकावी के लिये मंजूर हो चुके है ।

जहां तक मथुरा का सम्बन्ध है वहां के बारे में परसों बतला ही चुका हूं । उसके बाद कोई ज्यादा मेरी मालूमात में इजाफा नहीं हुआ है । फिर भी आपकी इजाजत से फिर दोहरा देता हूं । करीब-करीब वही रिपोर्ट है । पिछले साल जुलाई के आखीर तक १०.२२ इंच वर्षा हुई थी । अब इसी मुद्दत में अब की बार वह १६.६४ इंच हुई है और १६६ गांवों पर असर पड़ा है वाटर लागिंग की वजह से । १८,७०० एकड़ कृषि योग्य भूमि पानी के नीचे है । १,५०० घर गिर गये हैं या उनको नुकसान पहुंचा है । यमुना में पानी अब भी बढ़ रहा है और खतरे के बिन्दु से ऊपर है । लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये १२,००० रुपये ग्रेचुटस रिलीफ का और दूसरे लोगों के बच-बचाव के मुताल्लिक जो और काम किये जाते हैं उनके लिये दिये जा चुके हैं । ५,००० रुपये मकान बनाने के लिये सब्सिडी, अनुदान और ७५,००० रुपये तकावी इस जिले के लिये मंजूर की जा चुकी है गवर्नमेंट की ओर से ।

जहां तक बलिया का सवाल है कोई इत्तला इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, पश्चिमी जिले बड़े खतरे में हैं....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें....

श्री टीकाराम पुजारी---जब कि किसान मई के महीने में १४ रुपये मन गेहूं बेंच.....

श्री अध्यक्ष- आप व्याख्यान नहीं दे सकते । आप कृपा करके बैठें । माननीय टीकाराम जी आप बैठें ।

श्री टीकाराम पुजारी---उसके कन्धों पर चढ़कर के यहां आये हैं .....

श्री अध्यक्ष---देखिये मैं फिर सचेत करता हूं कि आप कृपा करके बैठ जाइये ।

(श्री टीकाराम पुजारी बैठ गये ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गोंडा जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ला न मिलने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब यह बलदेवसिंह जी का एक काम-रोको प्रस्ताव है कि जिला गोंडा में राज्य सरकार के आदेश के फलस्वरूप ८ अगस्त से सस्ते गल्ले की दुकानों पर ४० मन के कोटे के बजाय २० मन गल्ले का कोटा कर दिया गया है। इससे परिस्थिति वहां पर भयंकर हो गई है।

मैंने उसकी मंजूरी तो नहीं दी। वह सूचना चाहते हैं कि यह बात सही है या नहीं। तो यदि कोई सूचना हो तो सम्बन्धित मन्त्री जी वह सूचना दे दें, जो उनके पास इस विषय में हो।

न्याय उप-मंन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है जैसी कि इस प्रस्ताव में लिखी गई है और स्थिति यह है कि गोंडा जिले में इस समय हमारे पास १,६०५ मन के करीब अनाज है, कुछ कंटिजेंट भी है, लेकिन यह देखते हुए कि अभी २ मास तक मोटा अनाज और गेहूं देना है, यह सम्भव नहीं है कि पहले जितना कोटा दिया जाता था उतना दिया जा सके।

बलिया जिले में अनाज का कोटा कम किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—इसी प्रकार का एक प्रस्ताव श्री गौरीशंकर राय जी का है कि बलिया जिले में भी मोटे अनाज की मात्रा में ७५ प्रतिशत और गेहूं में ७५ प्रतिशत की कमी हो गई है उस से स्थिति भयानक हो गई है। इस के बारे में भी मन्त्री जी को कोई सूचना हो तो बता दें।

न्याय उप-मन्त्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—श्रीमन्, इसमें भी वही सूचना है कि कटौती जरूर हुई, जैसी स्थिति है उसके अनुसार क्योंकि अभी काफी समय तक अनाज देना है और इस समय जो अनाज उपलब्ध है उस को देखते हुए सम्भव नहीं है कि अब भी उतना ही दिया जा सके जितना पहले दिया जाता था और इसी कारण से कटौती की है।

श्री अमरनाथ मिश्र के अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब श्री मदन पांडेय का एक कामरोको प्रस्ताव है कि "सदन के माननीय सदस्य श्री अमरनाथ मिश्र, जो अपने सहयोगी किसान मजदूर-प्रजा-पार्टी के सम्मानित कार्यकर्त्ता सर्वश्री नरसिंह नारायण पांडेय तथा अनिल कुमार घोष के साथ क्रमशः महराजगंज, फरेन्दा तथा गोरखपुर में अकाल-ग्रस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की, जहां लगान तकावी तथा अन्य सरकारी बकायों की जबरिया वसूली अमानुषिक तौर पर हो रही है, की विकट परिस्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये गत ७ अगस्त से ९ दिन का सांकेतिक अनशन कर रहे हैं, तथा उनके स्वास्थ्य की शोचनीय स्थिति को प्राप्त होने के कारण, जो सार्वजनिक महत्त्व की विषम परिस्थिति पैदा हो गई है, उस पर विचार करने के लिये यह सदन कार्य-स्थगन करे।"

श्री अमरनाथ जी मिश्र अनशन कर रहे हैं खाद्य आदि समस्याओं पर, इस सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पहले काफी बहस हो चुकी है। अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता, प्रस्ताव में कोई नया विषय ऐसा नहीं है जिस पर बहस हो सके।

देवरिया जिले में कीड़ों द्वारा फसल को हानि पहुंचने के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री गेंदासिंह जी का है कि "देवरिया के हाटा तथा पडरौना तहसील के अधिकांश में और महाराजगंज (गोरखपुर) के एक भाग में भदई धान, जो लगभग लाख एकड़ कटने के करीब था अचानक एक प्रकार के कीड़ों द्वारा नष्ट हो गया है। सरकार इस फसल को बचाने में अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असमर्थ रही है। साथ ही साथ रेवेन्यू मैनुअल तथा फेमीन कोड के नियमों के अनुसार भी कोई कार्यवाही सहायतार्थ नहीं की गई। इस बीमारी के और व्यापक फैलने का भय है। और भी फैजाबाद जिले से सूचना मिली है। अन्न की इस वर्ष की असाधारण स्थिति में लाखों व्यक्ति भारी संकट में पड़ गये हैं। बड़ी निराशा तथा क्षोभ व्याप्त है। अतः सदन इस महत्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिये आज का अपना कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।"

मैं इस विषय में इस अनिश्चितता के कारण कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता, लेकिन सम्बन्धित मन्त्री के पास सूचना हो तो वह दे दें।

*वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---इत्तला मेरे पास आ गई है। हमें एग्रीकल्चरल डायरेक्टरेट से मालूम हुआ है कि यह ठीक है कि इन जिलों में गंधी कीड़ों का प्रकोप कुछ-कुछ हुआ है, लेकिन यह कहना कि उन से बहुत नुकसान हुआ है या खतरा है, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्टरेट का कहना है कि अभी बहुत जल्दी है और उन्होंने जरूरी स्टाफ और कीड़े मारने की दवा का इंतजाम कर दिया है और इस बात के ऊपर उनका क्लोज विजिल है कि ज्यादा नुकसान न हो और जहां तक हो सके इन कीड़ों को नष्ट किया जाय।

बलिया जिले में हैजे के प्रकोप के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री गौरीशंकर राय का एक कामरोको प्रस्ताव और है कि "बलिया जिले के सागर पाली, आमडारी, सुखपूरा, मिढ़ा सोवई बांध, त्रिकालपुर, शाहपुर विगही आदि सैकड़ों गांवों में हैजे का भीषण प्रकोप हो गया है। इस महामारी की रोक थाम के लिये व्यक्तियों एवं साधनों के अभाव में हैजे के प्रसार में उत्तरोतर वृद्धि होती जाने के कारण सारे जनपद में आतंक व्याप्त हो गया है।

इस सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर विचारार्थ सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

अर्जेन्सी इसकी यों नहीं है कि हैजे का प्रकोप एक रोज में तो हुआ नहीं है। इतने गांव में इतनी बात होने पर भी इनके बारे में कोई प्रश्न भी नहीं पूछे गये न प्रारंभ में इस प्रश्न को उपस्थित ही किया गया। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं और न मैं यह जरूरी समझता हूं कि मन्त्री जी को कष्ट दूं कि वे इस समय कोई सूचना दें। इसके लिये माननीय सदस्य को पूछना चाहिये।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मैं प्रश्न दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें।

उन्नाव जिले के अपराधों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---खजान सिंह जी का एक कामरोको प्रस्ताव है जिसकी उन्होंने मेरे पास सिर्फ एक नकल भेजी है। उनको दो नकलें भेजनी चाहिये थीं। इस कारण फिर से मंत्री के पास वह भेजा नहीं जा सका है। यह प्रस्ताव भी इस योग्य नहीं है कि स्वीकार किया जाय। यह उन्नाव जिले के अपराधों के बारे में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्रीमती समरजिया, ग्राम बुढ़ावर, जिला आजमगढ़ की भुखमरी से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--झारखंडे राय जी का एक कामरोको प्रस्ताव है कि "विधवा समरजिया, ग्राम बुढ़ावर, हरिजन बस्ती थाना दोहरी घाट, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की गत ७ अगस्त की शाम को भुखमरी से मृत्यु हो गयी है। उस गांव में उस भुखमरी के पहले अथवा बाद में अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है। उसके चार छोटे बच्चों को भी कोई सहायता नहीं दी गई है। इस भुखमरी से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय सदस्य के पास एक तार भी आया और कुछ उस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार भी हुआ, केवल ऐसी बात हुई है। उसके बाद अपने पत्र में वे कहते हैं कि "मैं स्वयं हरिजन बस्ती में गया था, सारे मामले की जांच की, तार सही है।"

कई जगहों में ऐसी घटनायें होती रहती हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य को संबंधित मंत्री जी से बातचीत करके कोई कार्यवाही करनी चाहिये, एकाएक ऐसा विषय कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता, न यह महत्वपूर्ण प्रश्न ही बन सकता है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

साप्ताहिक कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मन्त्री जी, इस हफ्ते के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना देना चाहें तो दें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, आज तो विधान परिषद् द्वारा पारित निर्माण-कार्य विनियमन विधेयक पर बहस होगी, वह ४ बजे तक चलेगा। उस के बाद लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर एक घंटे आज और एक घंटे कल बहस होगी। उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार आरम्भ होगा। १३ और १४, ये दोनों नान-आफिशियल दिन हैं जो कि पहले से बाकी थे, हम पर उनका ऋण था वह हमने दे दिया है। १५ को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है और १६ और १७ को शनिवार और इतवार की छुट्टी है। इसके सिवा १७ और १८ को दो दिन सदन का काम और बन्द रहेगा। फिर हम २० तारीख को मिलेंगे। उसके आगे का कार्य-क्रम वही है जो पहले से रहा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी बताया कि १५, १६, १७ की छुट्टी है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस, शनिवार और इतवार है, फिर यह १८ और १९ को किस लिये छुट्टी हो रही है, जरा इसका कारण बतलाया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बहुत से माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है कि उनको बहुत दिनों से अपनी कांस्टीट्युएन्सी में जाने का मौका नहीं मिला तो जो अपनी कांस्टीट्युएन्सी में काम करना चाहते हैं उनको अवश्य सुविधा होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--हम लोग जो बहुत दूर के रहने वाले हैं वह फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि २, २ और ३, ३ दिन का रास्ता है। तो मैं माननीय सदस्यों से, चाहे इधर के हों या उधर के, यह कहना चाहता हूं कि अगर १४ को सदन बन्द हो जाता है और वह एक असरकारी दिवस दे सकें--जहां माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इतना किया है--ताकि हम १५ को अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रह सकें तो बड़ी कृपा होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है अगर माननीय सदस्य स्वीकार करें और केवल एक दिन, १३ तारीख का असरकारी दिवस रहे--मुझको कोई आपत्ति नहीं है ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्ट जी की प्रार्थना का मतलब मैंने यह समझा है कि गैर सरकारी दिन का कार्य स्थगित करके यह नहीं है कि एक दिन हमेशा के लिये ले लिया जाय। इसलिये मैं कहूंगा कि जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने १४ तारीख की छुट्टी स्वीकृत कर ली है उसी तरह से एक दिन इधर काम कर लिया जाय और एक दिन जब सदन बैठे तब दे दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी की बात न मानने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये मैं उनकी बात स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि जिस दिन सदन बैठे उसी दिन यह हो बल्कि सुविधा के अनुसार हम एक दिन दे देंगे।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्दसिंह जी की बात को गेंदा सिंह जी की सिफारिश के साथ माना वह तो ठीक ही है और इसके संबंध में हमारी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जब ५ दिन की छुट्टी हो चुकी है तो छः दिन की हो जाय, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन तीन दिन से पांच दिन बढ़ने के बाद मैटर करती है क्योंकि पांच दिन की छुट्टी होने पर आने-जाने का भत्ता और किराया नियम के अनुसार चार दिन का दैनिक भत्ता मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक है, कृपया आप बहस न करें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अगर सरकार इस तरह के प्रस्ताव रखा करे तो विचार कर लिया करे कि ऐसे प्रस्तावों से राज्यकोष से कितना खर्चा बढ़ जायगा।

श्री अध्यक्ष--खैर, मुझे इसकी सूचना है। बहुत से माननीय सदस्यों ने, बाढ़ की वजह से जो दिक्कत हो रही है, मुझसे भी कहा था और मैंने भी माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि यदि १५ तारीख को ही छुट्टी होती है और लोग अपने-अपने घर जायेंगे तो उस दिन तो उत्सव होगा और अपने हल्कों में बाढ़ के संबंध में लोग जो जानकारी करना चाहते हैं, उसके लिये उन्हें फुरसत नहीं मिलेगी। इस बातचीत का जो नतीजा निकला वह आप लोगों ने सुन लिया। इसमें मेरा कोई अधिक हाथ नहीं है। १४ तारीख की छुट्टी में आपको आपत्ति नहीं है। इसलिये जब सबकी इच्छा है तो आपको एक दो दिनों के लिये आक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री राजनारायण--लेकिन श्रीमन्, इसमें राज्यकोष का सवाल है।

चौधरी खजानसिंह (जिला उन्नाव)--श्रीमन्, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है कि इस तरह से डबल फर्स्ट क्लास का किराया लिया जाय? पहले १५,१६ और १७ दिन की छुट्टी थी वह अब छः दिन की हो रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्य ने एतराज किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको चाहिये कि वह अपने नेता जी से पूछ लें। जहां तक मुझे मालूम है कि, उनके नेता जी भी इससे सहमत हैं। इसलिये पहले उनसे बात करके तब बात किया कीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७--(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ [U. P. (Regulation of Building Operation) Bill, 1957], जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी होगा। माननीय रामेश्वरप्रसाद जी भाषण दे रहे थे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरा एक संशोधन था जो रोज तो एजेंडे पर छपा, लेकिन आज नहीं छपा है।

श्री अध्यक्ष--मैं बाद में बतला दूंगा, आप कृपा करके बैठिये, भाषण जारी रहेगा।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से पहले इस बिल पर बोलते हुये मैंने यह कहने की कोशिश की थी और अपने मित्र राजनारायण जी तथा उनके साथ बैठे हुये साथियों से यह अनुरोध किया था कि अगर वह जुरमाना कम करने का समर्थन करते हैं तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं न कि सरकार को। इसके आगे मैं यह कहना चाहता था कि बिल में सरकार ने जनतांत्रिक भावनाओं के लाने की कोशिश की है। यदि सदस्य इस बिल को उस आधार पर देखें जिस पर यह लाया गया है और वह दिल्ली का बिल्डिंग अ परेशन्स कानून है तो दफा ७ में जहां पर कि मुद्दई को अनुज्ञा प्राप्त करने का सवाल है उसमें सिर्फ यह लिखा हुआ है कि जब वह दरख्वास्त अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये दी जायगी तो जो नियत अधिकारी होगा वह प्रेस्क्राइब्ड तरीके से अनुज्ञा की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देगा। इसके मानी यह हैं कि उस जगह पर काफी ताकत इकट्ठा करके उस नियत अधिकारी के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन इस बिल में उस क्लाज में यदि देखा जाय तो मेरी इस बात का समर्थन होता है कि सरकार ने ज्यादा जनतांत्रिक तरीके का प्रयोग किया है। वह यह है कि इस बिल के इस क्लाज में दिया हुआ है कि अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये दरख्वास्त दी जायगी। नियत अधिकारी के लिये जरूरी है कि वह दरख्वास्त की मंजूरी या नामंजूरी की इत्तला ९० दिन के अन्दर प्रार्थी को दे। अगर किसी वजह से वह ९० दिन के अन्दर न दे सके तो उस व्यक्ति को, जिस पर असर पड़ने वाला है उसको इस बात का अधिकार होगा कि वह एक प्रार्थना-पत्र फिर दे और देने के ३० दिन बाद तक प्रतीक्षा करे। अगर ३० दिन के बाद फिर भी आफिस से कोई जवाब न आये तो यह मान लिया जायगा कि जो उसकी मांग है, उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गयी है और वह बिना किसी प्रतीक्षा के काम शुरू कर देगा। इसके बाद भी और अधिकार आगे दिया गया है कि इन सब बातों के बावजूद अगर कोई व्यक्ति उस आज्ञा को ठीक नहीं समझता है तो वह एक नियत प्राधिकारी के पास, जिसके मानी हैं एक कमेटी जिसमें जनता के चुने हुये लोग भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे, उस कमेटी के सामने अपनी अपील कर सकता है। उसको पूरा मौका है कि अपनी बात को साबित कर सके। इन हालतों में यह सोचने की बात है कि जो यह बिल है इसमें सरकार ने ज्यादा जनतांत्रिक बातों का समावेश करने की कोशिश की है।

इसके साथ ही साथ उस दिन दफा १६ पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह आक्षेप किया था कि यह जो दफा रखी जा रही है वह अपने हिमायती लोगों के लिये सरकार रख रही है। मैं उनके अर्थ से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन उनके शब्दों से अवश्य सहमत हूं। यह सरकार अवश्य ही इस धारा को इसलिये रख रही है कि इस सरकार की हिमायती जो इस प्रदेश की गरीब जनता है उसके हितों की रक्षा हो।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य जरा अपना भाषण संक्षेप में करें क्योंकि यह ४ बजे तक समाप्त होना है और सवा बजे मैं आम बहस को समाप्त कर दूंगा। इसलिये संक्षेप में भाषण होने से और लोगों को भी थोड़ा सा मौका मिल जायगा।

---

†९-१२-५७ की कार्यवाही में छपा है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें २८ संशोधन हैं और समय बहुत थोड़ा है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं समय के बारे में, कुछ ऐसा निर्धारण कर दिया जाय ताकि सभी संशोधन प्रस्तुत किये जा सकें।

श्री अध्यक्ष—मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकूंगा क्योंकि इस विषय पर सदन में प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। सदन ने जो कि कमेटी ने सुझाव दिया था उसको स्वीकार कर लिया गया।

श्री रामेश्वरप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करूंगा। मैं यह कह रहा था कि उसमें सरकार ने यह कोशिश की है कि उन गरीबों के हितों की रक्षा करें। इसके साथ ही साथ हमारे कुछ साथियों ने यह भी कहा कि सरकार चुने हुये आदमियों पर विश्वास नहीं करती और इसकी मंशा शक्ति को अपने हाथ में लेने की है। मैं नहीं समझता कि उनकी यह राय कैसे बनी। यदि वह इसकी धारा १५ के दूसरे खंड को देखें तो उससे साफ जाहिर है कि सरकार ने इसमें कोई भी अख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की है बल्कि इसमें अधिकार को सरकार ने जनता के लोगों के हाथ में देने की कोशिश की है। फाइनल डिसीजन का अधिकार किसी मामले के विषय में इस बिल के मातहत प्राधिकारी को दिया गया है जिसका मतलब यह है कि उसमें जनता के व्यक्ति ही निर्णय करेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह जो आक्षेप है यह एक तरह से उचित नहीं मालूम होता है और वह किसी तरह से सही नहीं ठहरता।

इसके साथ-साथ कुछ साथियों ने पिछले दिन बोलते हुये इस बिल के तहत में यह मांग की थी कि इस बिल के अन्दर गांवों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है और गांवों की तरफ उन्होंने ध्यान खींचा था। मैं इसके विषय में यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर गांवों को बढ़ाने घटाने या खूबसूरत बनाने या और कुछ करने का प्राविजन नहीं है, बल्कि इसमें जो इस बात का जिक्र प्राविजन है कि अगर किसी गांव में या किसी क्षेत्र में बाकायदा तरीके से लोग प्लानिंग को बनाना चाहें जिससे वहां के लोगों के जीवन पर असर पड़ता हो तो सरकार वहां इसको लागू कर देगी। इसमें कोई किसी तरह का सरकार की मंशा का सवाल नहीं है।

भाई रामस्वरूप जी ने कल अपने भाषण में एक समाजवादी योजना का जिक्र किया जिसमें हमारे यहां सब जगह पाखाने आदि का भी इन्तजाम करने की बातें कहीं। मैं उनसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय एन० ई० एस० ब्लाक की योजना हजारों गांवों में चल रही है। वे योजनाएं गांव वालों की जिन्दगी को तरक्की देने के लिये और उनके हर आवश्यक प्रश्न को सुलझाने के लिये सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। मैं समझता हूं कि यदि इन योजनाओं के संबंध में उनका भी तहेदिल से समर्थन प्राप्त हो तो बहुत जल्द हम लोग देखेंगे कि इस प्रदेश में समाजवाद के ढांचे का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा जिसके लिये वह और हम सब रोजाना मांग करते हैं।

इसके साथ-साथ एक कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य महोदय ने यह कहा था कि इस बिल से यह पता नहीं चलता है कि यह बिल कहां लागू होगा। मैं समझता हूं कि अगर वे इसको पढ़ने का कष्ट करते तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि यह बिल पास होने के बाद सारे उत्तर प्रदेश में इसका प्रसार होगा और जहां भी सरकार इसको जरूरी समझेगी वहां पर गजट में प्रकाशित करके इस बिल को लागू कर देगी।

एक बात यह भी कही गई कि इस बिल में मिल-मालिकों को प्रश्रय देने के लिये इन्तजाम किया जा रहा है, क्योंकि जब वह अपने नक्शे को नियत करके बनाने लगेंगे तो उनको ही इसका मौका दिया जायगा कि वे अपने कारखाने लगायें। मैं समझता हूं कि इस विकास के युग में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर की मदद से या पब्लिक सेक्टर की मदद से इंडस्ट्रीज लगाना प्रदेश के लोगों के हित में जरूरी ही नहीं बल्कि अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अगर इसमें इस तरह का प्राविजन है तो मैं समझता हूं वह गैर जरूरी नहीं है। वह बहुत ही

जरूरी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर को लाया जा सकता है तो फिर दो राय होने की इसमें गुंजायश नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, इतना कहने के बाद चूंकि आप ने निर्देश किया है और मेरा भी यह खयाल है कि जैसे मैं अपने दिल में यह ख्वाहिश रखता हूं कि अपने दृष्टिकोण को सामने रखूं वैसे ही बहुत से माननीय सदस्य भी अपना-अपना दृष्टिकोण रखते होंगे और उसको यहां रखने के इच्छुक होंगे।

अन्त में मैं लहरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इस बिल की भावना को सही समझ कर जिस तरह से उस दिन इसका इंटरप्रिटेशन किया था वह मैं समझता हूं कि हमारे अपोजीशन के भाइयों के लिये एक नजीर होनी चाहिये और उन्हीं की राय में राय मिलाते हुये। मैं अपोजीशन के दूसरे सदस्यों और माननीय राजनारायण जी से विशेषकर, क्योंकि वह सामाजिक क्रांति के पुजारी हैं चाहूंगा कि वे इस बिल की भावना को समझते हुये अपने साथियों को कन्विन्स करें और इस बिल पर आये हुये संशोधनों को वापस करायें और साथ ही साथ यह बतलायें कि इस बिल की जनता को जरूरत है, जैसा कि गेंदा सिंह जी ने बतलाया कि इस प्रदेश के एक कोने में इसके बगैर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है और जनता का जीवन खतरे में है, इसलिये इसको तुरन्त पास किया जाय। यही अन्त में मेरी आपके जरिये से प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप अपना भाषण १५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—कोशिश तो यही करूंगा। श्रीमन्, जो विधेयक यहां आया है, यह सही है कि काफी महत्वपूर्ण है। हम यदि इस विधेयक को इसके उद्देश्य और कारण के साथ पढ़ते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार विकास का जो अर्थ लगा रही है सही मानों में उससे विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिये थोड़े से समय में १५ या २० मिनट में, जो भी आप देंगे, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारा विकास का दृष्टिकोण क्या है और उसे मैं सदन के सामने रखूंगा। क्योंकि सारा का सारा उद्देश्य और कारण विकास को लेकर नियोजन करने का है और रामेश्वर जी ने भी इसी बात को प्रस्तावित किया था और हमारे सारे संशोधनों को वापस लेने का आग्रह किया था। हमको संशोधन रखने का शौक नहीं है। यदि हमारी बात ठीक तरीके से रखी जाय और उसको सरकार स्वीकार कर ले तो हम सब संशोधन वापस ले सकते हैं। इसके उद्देश्य और कारण में जो सड़क गाजियाबाद से दिल्ली की है उसका हवाला दिया गया है और यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार ने भी १९५५ में विधायन के माध्यम से ऐसे अधिकार प्राप्त किये हैं। तो इसी प्रकार के अधिकार यह सरकार प्राप्त करना चाहती है। क्यों अधिकार प्राप्त किये जायं? सरकार कहती है कि हम विकास करना चाहते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि सही मानों में सरकार के विकास की गतिविधि क्या है और इसके लिये मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं जिसके जरिये से वह अपने विकास की गतिविधि का अवलोकन कर सकेंगे। अंग्रेजी राज्य के हमने आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं। उसमें प्रतिवर्ष औसत आता है एक चीनी मिल को खड़ी करने का, प्रति चौथे महीने एक कपड़े की मिल खड़ी हुई, प्रति दिन एक रेलवे का प्लेटफार्म बना या और कोई काम हुआ है। अब इस सरकार के कार्य-क्रम को देखा जाय। कितनी चीनी की मिलें इन्होंने खड़ी कीं ११ वर्ष के अपने जीवन-काल में, कितनी कपड़े की मिलें बनायीं या लोहे या इस्पात के लिये इन्होंने क्या बढ़ोत्तरी की? कहीं कोई विकास आप को नहीं दिखलाई पड़ेगा।

उस दिन ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कहा गया था कि रुपये को बराबर-बराबर बांटा जा रहा है, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। हमने सेंट्रल और प्रांत दोनों का बजट देखा और यह सब मिला कर करीब २५ या २७,००,००,००,००० हो जाता है। अब देखा जाय कि उस क्षेत्र में, दिल्ली और गाजियाबाद के क्षेत्र में इन्हें उद्योग धंधे खोलने पड़ेंगे। वहां ऐसी जमीन पर मकान बन रहे हैं कि जिनसे विकास योजनाओं में बाधा हो सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली को देखा जाय तो अब तक कितनी विकास योजनायें हैं केवल ढाई वर्ग मील

[श्री राजनारायण]

में २,००,००,००,००० रुपया खर्च हुआ है। और उसके बाद एक लाख वर्ग मील में ११,००,००,००,००० रुपया खर्च हुआ है, उसके बाद चौदह लाख वर्गमील में ७,००,००,००,००० रुपया खर्च हुआ है। अब इससे देखा जाय कि सरकार जो विकास करना चाहती है उसमें उसका दृष्टिकोण क्या है ? यह बहुत बड़े-बड़े शहरों का विकास करना चाहती है, बहुत बड़े-बड़े उद्योग-पतियों का विकास करना चाहती है, करोड़पतियों का विकास करना चाहती है, क्योंकि जो मुख्य नगर है, उन पर ही रुपया खर्च हो रहा और ग्रामीण जनता के पास नहीं जाने पा रहा है।

मैं माननीय रामेश्वर प्रसाद जी के भावों की कद्र करता हूं और इसलिये कद्र करता हूं कि हम जिस तबके को उठाना चाहते हैं वे उसी तबके से आते हैं, लेकिन मुझे दुख तब होता है जब कि उनके द्वारा उस तबके की बढ़ोत्तरी में कोई ठेस पहुंचती है। माननीय राम-स्वरूप जी ने अपने संशोधन द्वारा यह मांग की है कि जो भी योजना सरकार बनाये, अगर उसकी योजना में यह है कि पुराने ताल्लुकेदार जिन हरिजन बस्तियों को उजाड़ रहे हैं, उनको बसाने के लिये अगर वह जमीन लेना चाहती है, हरिजन बस्ती के लिये कुयें बनाने के लिये जमीन लेना चाहती है, तो हम उसके लिये तैयार हैं। अगर कोई काम पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिये सरकार करना चाहती है तो हम उसके लिये भी जमीन देने के लिये तैयार हैं। मेरा ख्याल है इसको पढ़ने का उनको अच्छी तरह से समय नहीं मिल पाया या उन्होंने पढ़ा ही नहीं है।

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सारी की सारी योजनायें प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार की ओर से प्लानिंग कमीशन को जाती हैं और उसी के अनुसार सारी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में इस्पात का कोई कारखाना खुला ? इस विषय में श्रीमन्, मैं एक आंकड़ा देना बहुत जरूरी समझता हूं। अंग्रेजी राज्य में रेल की पटरी बनाने के लिये ७ अरब रुपया खर्च हुआ और उसमें ३५ हजार मील पटरी बनी। लेकिन इस कांग्रेसी राज्य में ११ साल में करीब सात अरब रुपया खर्च हुआ, लेकिन ७०० मील पटरी बनायी गयी है। हिन्दोस्तान १९४७ में आजाद हुआ, लेकिन अपने प्रदेश में १९४६ में यह कांग्रेसी सरकार बनी। अगर टेक्नीकैलिटी बात को छोड़ दी जाय तो सन् १९४६ से, नियमित रूप से यह सरकार इस प्रदेश का कारबार संभाल रही है और सन् १९४७ से सारे देश का कारबार चल रहा है। लेकिन चीन में १९५० से यह सरकार आयी। मैं वहां के कुछ आंकड़े देने की कोशिश करूंगा ताकि सदन के सम्मानित सदस्यों को यह मालूम हो जाय कि वहां के विकास के मुकाबले में हमारे यहां का विकास कितने निम्न स्तर पर हो रहा है। चीन में जब से यह हुकूमत आयी ७० लाख टन इस्पात बनने लगा है और पहले की अपेक्षा चार गुना बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त कोयला ४ करोड़ टन से बढ़ कर १५ करोड़ टन तक पहुंच गया है। लेकिन हमारे देश में अभी भी १८ लाख टन से ज्यादा इस्पात नहीं हो पाया है और कोयला ४ करोड़ टन हो पाया है। यही कारण है कि कोयले के बिना कितनी आफत हमारे यहां मची हुई है। मेरी एक इंजीनियर से बातें हुई थीं, उनसे मालूम हुआ कि रेल में जो दुर्घटनायें हो रही हैं उनका एक कारण यह भी है कि कोयला ठीक से नहीं मिल पाता है जिसके कारण कोयला खराब होने से कभी-कभी अनचाहे स्थानों पर ऐंजिन रुक जाता है। सरकार की तरफ से यह योजना चलाई गयी कि रेलगाड़ियां बिजली से चलायी जायं ताकि कोयले की बचत की जा सके और उसको दूसरे उपयोगी कामों में लगाया जा सके। मैं रामेश्वर जी से जानना चाहूंगा कि क्या हमारे यहां कोयले की बढ़ोत्तरी हुई है ? अगर उनके आंकड़े निकालने की कृपा करें और कृपा करके जांच करेंगे तो मालूम होगा कि शून्य गति से सरकार इस तरफ बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष--यह तो आपने बजट डिस्कशन शुरू कर दिया, आप विधेयक पर आ जायं।

श्री राजनारायण---मैं उसी पर आ रहा हूं। तो इसी विधेयक के जरिये यह सरकार कह रही है कि हमको यह अधिकार दे दिया जाय कि जहां सरकार एक कमेटी बनावे, वह कमेटी जिस क्षेत्र को लेना चाहे, विकास के लिये उसको वह ले ले। और उसका अगर कोई विरोध करे, उस कमेटी के आदेश को न कार्यान्वित करे, न माने तो १०,००० रुपये तक जुर्माना हो जाय। जब हम इसका विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी पूंजीपतियों का हित साधन कर रही है। अगर हमारे माननीय मित्र इस धारणा से काम करेंगे कि कोई भी संशोधन आवे उसको समझ लें कि इससे पूंजीपतियों का हित हो रहा है तो हमारे साथ भी वह अन्याय करेंगे और समझ भी नहीं पायेंगे परिस्थिति को। हम निश्चित रूप से यह कहते हैं कि सरकार अगर यह कहे किसी भी काम को करने के लिये जिसका लाभ समाज के ऐसे लोगों को भी हो जो कि राजनीतिक रंगमंच पर अभी कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस सूबे के पैमाने पर करीब ५,५०,००,००० लोग राजनीतिक रंगमंच पर आर्थिक स्थिति के कारण, सामाजिक स्थिति के कारण नहीं आये हैं और देश के पैमाने पर करीब ३९,५०,००,००० लोग अभी राजनीतिक रंगमंच पर अभी नहीं आये हैं...

श्री अध्यक्ष---क्या आपने पाकिस्तान के आदमियों को भी गिन लिया है?

श्री राजनारायण---अब तो हमारी जन संख्या पहले से बढ़ गयी है, नवीन गणना के हिसाब से मैं बतला रहा हूं। तो हमारी अर्ज यह है कि माननीय रामेश्वरलाल जी या दूसरे सदस्य इस बात को बतलावें कि क्यों नहीं इस विधेयक में साफ-साफ कह दिया जाता कि कोई कैपिटलिस्ट या करोड़पति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आमदनी १,००० या ५०० से ऊपर है अगर वह इसकी अवहेलना करे तो उस पर १०,००० रुपये जुर्माना होगा। हम जरूर इसकी ताईद करेंगे क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी तो एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर चुकी है कि १,००० रुपये से ज्यादा जिनकी आमदनी है उनको ले लिया जाय और १,००० रुपये मासिक से ज्यादा कोई तनख्वाह न ले। लेकिन इस बात को सरकार ने आज तक नहीं माना। अगर इस बात को सरकार मान लेती तो पता नहीं, आज हमारा प्रदेश कहां से कहां चला गया होता। माननीय रामेश्वर लाल जी यह चाहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी अपने संशोधन को पेश न करे। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने अपने संशोधन के जरिये केवल इतना चाहा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और उसकी परिधि बढ़ा दी जाय। परिधि बढ़ाने की बात मैं इसलिये कहता हूं श्रीमन्, कि इस विधेयक की एक धारा मैंने पढ़ी तो उसमें गांव सम्बन्धी कुछ बातें हैं, उनको निकाल दिया गया है। हम चाहते हैं कि जब इस विधेयक द्वारा गांव के कुछ लोगों के मन में कुछ भावना उत्पन्न हो गयी है और वे सोचते हैं कि शायद इससे उनका हित हो, तो वह हितकारी बात उनके लिये क्यों न लायी जाय। यदि कोई सामाज-सेवी इस बात को कहता है कि उनके यहां पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो, तो क्या हम इससे अपनी आंखें मूंद सकते हैं? जब हम अपना संशोधन रख कर इस बात का समावेश विधेयक में कराना चाहते हैं तो माननीय रामेश्वर लाल जी कहेंगे कि ब्लाक्स इस काम को कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वे खड़े होकर बतलावें कि उनके यहां जितने ब्लाक्स बने हैं, वहां किन-किन गांवों में औरतों के लिये पाखाने की व्यवस्था की गयी है? कहां-कहां पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है? सरकार की तरफ से एक सरक्यूलर गया है कि जहां-जहां नलकूप हों, जहां-जहां टोंटियों की व्यवस्था हो, वहां कुछ गांव चुने जायं और १२,००० रुपये शायद उसमें लगा कर एक टंकी बने और गांवों को पानी दिया जाय। मेरा कहना है कि अगर माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का संशोधन मान लिया जाता तो हम बतलाते कि क्या-क्या चीज आप इस विधेयक में नहीं कर रहे हैं और हम कहेंगे कि इतना रुपया लिया जाय और गांवों को इस तरह से नियोजित किया जाय कि गांवों में पीने के पानी का इन्तजाम हो जाय। तो यह जो बांदा की परिस्थिति थी कि अनेक लोग वहां पानी न पाने से अपना स्वास्थ्य खो बैठे और कितने लोग मर गये अग्नि, ताप और गर्मी की ज्वाला में, वह बिल्कुल का बिल्कुल समाप्त हो गया होता और पानी की व्यवस्था हो गयी होती।

श्री रामेश्वरप्रसाद---व्यवस्था का प्रश्न । क्या कोई माननीय सदस्य किसी बिल के उद्देश्य और कारणों की परिधि बढ़ाने का संशोधन लाकर के उससे बाहर भी बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---कौन सी चीज उन्होंने कही ? यह तो आम सवाल आप पूछ रहे हैं ।

श्री रामेश्वरप्रसाद---जैसा आपने भी टोका था, माननीय सदस्य इस वक्त भी वही पूरे प्लानिंग पर भाषण दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप उनके शब्द तो बतलाइये कि उन्होंने क्या परिधि के बाहर कहा है ?

श्री रामेश्वरप्रसाद---अभी माननीय राजनारायण जी ने कहा कि गांवों की सारी तरक्की की बात है जैसे १२,००० रुपये लगाकर सरकार एक टंकी बनायेगी आदि-आदि बातें, वह इस विधेयक में नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है । वह इसमें नहीं है, लेकिन वह इसके विरुद्ध भी नहीं है । यह सही है कि वह बिल्कुल असंगत-सी चीज है और वह इसको मिलाये दे रहे हैं ।

श्री राजनारायण ---श्रीमन्, आपने उनको समझा दिया। विधेयक में लिखा हुआ है .....

श्री अध्यक्ष---मैंने दोनों को समझा दिया ।

श्री राजनारायण---हम तो हमेशा समझे ही रहते हैं । इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारण में ही है कि ग्रामों के अनियोजित विकास को रोकने की इच्छा है । गांवों के अनियोजित विकास को रोकने के लिये व्यवस्था की जा रही है और उसी ग्राम्य-क्षेत्र के विकास की बात मैं कह रहा हूं ।

तो मैं यह कह रहा था कि यदि गांधी जी को भी अपने हवाले में खड़ा किया जाय तो उन्होंने बार-बार इस बात की व्यवस्था की है कि शहरों और गांवों का विभेद मिटना चाहिये । गांव उजड़ते जा रहे हैं और उनके उजाड़ पर शहर बसते जा रहे हैं । तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिये इस विधेयक में कोई गुंजायश नहीं है । गांव की जो शोषित, पीड़ित और द्रवित जनता आज आर्थिक बंधनों में पड़ी हुई है, वह राजनीतिक हक उनको जो मिला हुआ है उसका सदुपयोग नहीं कर पा रही है, उनको दिलाने के लिये तथा जनता के उत्थान के लिये रामस्वरूप वर्मा जी का यह संशोधन प्रस्तुत है कि इसको प्रवर समिति में परिधि बढ़ाने के अधिकार के साथ भेजा जाय और अगर सरकार इस संशोधन को मानेगी तभी सही माने में गांवों के सुनियोजन का कोई अर्थ हो पावेगा ।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष---आप बिल्कुल संक्षेप में कहियेगा क्योंकि १ बज कर १० मिनट तक इसको समाप्त होना है ।

श्री रामस्वरूप यादव---तो अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वश्री ब्रजनारायण तिवारी, शिवप्रसाद नागर जी, प्रतापसिंह जी तथा रामस्वरूप जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्रीमन्, इस प्रश्न पर सन् १९५४-५५ से विचार हो रहा था । विधान परिषद् से स्वीकार हुये भी इसको १० महीने हो चुके हैं और वहां की प्रवर समिति ने भी इस पर विचार किया है ।

जहां तक विषय का सम्बन्ध है, इसमें इतनी समस्याओं का समावेश नहीं है जिसकेलिये आवश्यकता हो कि इसको प्रवर समिति में दिया जाय। श्रीमन्, मुझे आज माननीय राजनारायण जी को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने काफी गौर से उनको सुना। मैं नहीं समझ सका कि उनके भाषण को इस विधेयक से कहां तक सम्बद्ध करूं। विकास के रूप कई हुआ करते हैं। उनमें भवन निर्माण भी एक है। ग्रामोद्धार और सफाई भी एक है। अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग और कहीं सम्मिलित रूप से भी विधेयक आये हैं। यह विधेयक भवन निर्माण से सम्बन्धित है और उन नगरों से सम्बन्धित है जहां यह देखा जाता है कि अनियोजित ढंग से भवन निर्माण हो रहा है चाहे रहने के लिये हो या फैक्टरी के लिये हो, और जहां बनाये जा रहे हैं वह भी सही स्थान है या नहीं इसका ध्यान नहीं रखा जाता। यह विधेयक भवन निर्माण में नियोजित ढंग को रखने के लिये है, न कि गांवों की समस्याओं को हल करने के लिये।

जहां तक यह प्रश्न उठाया गया कि ग्रामों में महिलाओं के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है, उन्हें तकलीफ होती है उस सम्बन्ध में नियोजन विभाग में ब्लाक्स द्वारा भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। लेट्रीन्स बनायी जा रही हैं। उसके लिये नमूने बनाये गये हैं। अपने ढंग से जितना संभव हो सकता है वह प्रयत्न किया जा रहा है।

श्रीमन्, आज भी यह आपत्ति की गयी कि पेनाल्टी क्लाज में १०,००० रुपये तक जुर्माना है। मैं निवेदन कर दूं कि ऐसा कोई क्लाज विधेयक में डाल दिया जाय जिसमें आमदनी के आधार पर जुर्माना हुआ करे, मेरा निवेदन यह है कि शायद वह संविधान के खिलाफ होगा। ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि आय पर जुर्माना हो। बहुत-बहुत से प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं उनको दृष्टि में रख कर १०,००० रुपये तक जुर्माना रखा गया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि हर व्यक्ति पर १०,००० रुपये ही जुर्माना होगा।

इस समय माननीय नागर जी यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कुछ चिन्ता प्रकट की कि सरकार जो यह विधेयक लाई है उसकी पार्टी में काफी झगड़े हैं। मेरा तो उनसे यह मशविरा है कि वे उस पार्टी की चिन्ता न करके जिसने सरकार बना रखी है और जिसकी पार्टी के अन्दर झगड़े हैं उतना वक्त अपनी पार्टी के संगठन में दें तो बेहतर होगा।

यह आपत्ति की गयी कि यह विधेयक उद्योग-धंधों और कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिये लाया गया है। नियोजित ढंग से किसी नगर या क्षेत्र का विकास करना हो, चाहे रहने की दृष्टि से या कारखाना खोलने की दृष्टि से, इन दोनों का सम्बन्ध एक ही बात से है। कारखाने खोलने से उस राष्ट्र, उस नगर व उस क्षेत्र का भी लाभ होता है, केवल उन उद्योगपतियों का ही नहीं। सबके लाभ के लिये वे होते हैं।

कुछ मित्रों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रबन्ध करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि जहां तक प्रबन्ध करने का प्रश्न है इसमें एक धारा ऐसी रख दी गयी है जिसके अनुसार अगर कोई गांव की आबादी उस रेगुलेटेड एरिया में आती है तो उस आबादी पर यह कानून लागू नहीं होगा। यह बात सही है कि उस आबादी पर जो जमीन होगी उस के लिये यह विधेयक अवश्य लागू होगा, इसलिये लागू होना आवश्यक समझा गया कि अनियोजित ढंग से बाहर के लोग वहां मकान बनाना शुरू न कर दें। यही नहीं। एक माननीय सदस्य ने तो यह आपत्ति की कि आप मवेशी ले जाने के लिए तो रास्ता बनाने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन आदमियों को ले जाने के लिए आपको रास्ते की इजाजत देने में आपत्ति है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जहां तक उस क्लाज में दिया हुआ है कि मवेशी ले जाने के लिए रास्ता दिया जाय उसका तात्पर्य यही है कि जब तक उस प्लान के अनुसार कोई पक्की सड़क की योजना न बन जाय उस संस्था की ओर से या किसी और स्थानीय संस्था की ओर से, तब तक उनको अपने मवेशी इत्यादि ले जाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए ताकि उनके कृषि इत्यादि के काम में कोई दिक्कत न हो। यह तो एक सीधा-

[श्री रामस्वरूप यादव]

सादा क्लाज है जिसका आशय गरीबों की मदद करने का ही है। पक्की सड़क की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती थी कि पक्की सड़क जब बनेगी तो वह किसी सुनियोजित ढंग से ही बनेगी।

यह भी कहा गया कि म्युनिसिपल बोर्ड के बाई-लाज होते हैं, उसके अनुसार कार्य हो सकता था। मैंने पहले ही यह निवेदन किया था कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड अपने उस कार्य को पूरी तरह से करते रहते और अपने बाई-लाज के हिसाब से कार्य करते, जैसा कि मास्टर प्लान बनाकर उनको दे दिया गया था उस हिसाब से भी अगर अपनी योजना के अनुसार नगर के विकास को देखते तो शायद यह स्थिति पैदा न होती। यही देख कर के कि उन नगरपालिकाओं को दिक्कत हो सकती है, सम्भव है उसका अनुभव हमको न हो, लेकिन यह जरूर है कि वह अपने बाई-लाज के अनुसार भी कार्य नहीं करते, जिसकी वजह से यह दिक्कत है, बिलकुल नीची जगहों पर मकान बने हुए हैं, बाढ़ आती है, वह मकान गिर जाते हैं, फिर यह होता है कि इतने मकान गिर गए, इनके लिए कुछ नहीं हुआ। तो यही देखकर कि नगरपालिका उसके अनुसार कार्य नहीं करती, मजबूर होकर यह विधेयक लाना पड़ा है। साथ ही श्रीमन्, यह कहा गया है दो जगह नक्शे देने पड़ेंगे---एक म्युनिसिपल बोर्ड को और एक कंट्रोलिंग अथारिटी को। ऐसा नहीं है। जब कि वह रेगुलेटेड एरिया करार दे दिया जायगा, दफा ५ के अनुसार घोषणा हो जायगी, तब फिर नक्शा उसी अथारिटी को दिया जायगा, म्युनिसिपल अथारिटी को फिर कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस सम्बन्ध में जो उनका खयाल है वह सही नहीं है।

जहां तक यह प्रश्न उठाया गया कि अपील का कोई अधिकार नहीं है, तो कानून में दिया हुआ है कि अगर कोई अधिकारी फैसला करता है नक्शा अस्वीकार करने का तो उस व्यक्ति को जिसका नक्शा अस्वीकार होता है, यह अधिकार है कि वह कंट्रोलिंग अथारिटी को अपील कर सकेगा। इसके अतिरिक्त यह भी प्राविजन किया गया है कि अगर किसी निर्धारित समय तक स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का फैसला नहीं होता है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह ३० दिन के उपरान्त ऐसा नोटिस भेज सकता है कि अगर आप स्वीकृति नहीं देते हैं तो हम काम शुरू कर देंगे और अगर फिर भी कोई फैसला नहीं आता है तो काम शुरू करने का उसे अधिकार है। इसलिए इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। अगर प्रतिबन्ध भी लगाये गए हैं, तो साथ-साथ में उसका भी प्रबन्ध किया गया है कि उनके जो मौलिक अधिकार हों वह उनके पास बदस्तूर बने रहें।

श्रीमन्, हर विषय में यह कह दिया जाता है कि यह सरकार तो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की चेष्टा करती है। कार्य संचालन में राज-कर्मचारी रहेंगे चाहें जैसा भी प्रजातन्त्र हो, कार्य उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होगा। नीति बनाने का अधिकार तो चुने हुए व्यक्तियों को होता है। लेकिन नीति के बाद जो कार्य होता है वह हमेशा उन व्यक्तियों के जरिये होगा जो कर्मचारी होंगे चाहे सरकारी हों, चाहें नगरपालिका के हों। तो हर विषय को चाहे जितना भी अच्छा विषय बनाने की चेष्टा करें एक सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है कि हम ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जब कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसकी स्थापना ही इस आधार पर हुई कि वह प्रजातंत्र ही चाहती थी, उसी के आधार पर वह कायम है और उसी के जरिये से उसको यहां पर साहस होता है कि वह ये कार्य कर सके।

श्रीमन्, कुछ हमारे माननीय प्रताप सिंह जी ने ऐसा जिक्र किया कि कंट्रोलिंग अथारिटी जो है वह रेगुलेटेड एरिया के बन जाने के दो साल के बाद बनेगी। ऐसी चीज नहीं है। श्रीमन्, कंट्रोलिंग अथारिटी तो रेगुलेटेड एरिया के तुरन्त बाद ही घोषित कर दी जायगी। लेकिन यह अवश्य प्राविधान किया गया है कि दो वर्ष के अन्दर उस कंट्रोलिंग अथारिटी को अपना एक नक्शा बना देना चाहिए जिसमें कि बहुत से विषय दिये हुए हैं। उन विषयों के अन्दर जो भी वह घोषणा करना चाहता हो, कर दे, जिससे कि वहां के रहने वाले हर व्यक्ति

को मालूम हो जाय कि उनका प्लान यह है। यह दो साल की अवधि अधिक नहीं है, वह इस में जांच करेंगे कि किस तरह से पानी की निकासी की योजना बने, किस तरह से आबादी बसाई जाय, कहां कारखाने रखें, इसलिये इस अवधि के विषय में केवल भ्रम ही है।

यह भी कहा गया कि यह चीज केवल गाजियाबाद के लिये ही क्यों रखी गई है? यह प्रदेश भर के लिये है, यह केवल गाजियाबाद के लिये ही नहीं है, उसमें तो गजियाबाद का जिक्र कर दिया गया है बाकी जहां भी उसकी जरूरत पड़ेगी वहां लागू किया जायगा।

यह भी कहा गया कि एस०डी०एम० को भी कंट्रोलिंग अथारिटी का सदस्य बनाना चाहते हैं। बात ऐसी नहीं है। लोकल सेल्फ कमिश्नर या डिवीजनल कमिश्नर या कोई व्यक्ति जो सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के पद का हो वह हो सकता है। ऐसी परिस्थिति कभी-कभी आ सकती है कि किसी छोटे से स्थान को सरकार को रेगुलेटेड एरिया बनाने की मजबूरी आ जाय, इसलिये एस० डी० एम० को भी रख दिया गया है, बाकी और स्थानों में तो कमिश्नर या एल० एस० जी० कमिश्नर रहेंगे ही। इन शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माणकार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ को जनमत संग्रह हेतु ६० दिन तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माणकार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माणकार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो सदन को अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ [U. P. (Regulation of Building Operation) Bill, 1957] जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड २

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में--

(क) "सुख-सुविधा" (amenity) के अन्तर्गत सड़कें, जल-वितरण, सड़कों पर प्रकाश प्रबन्ध (street lighting), जल-निष्कासन (drainage), मल निष्कासन (sewerage), सार्वजनिक पार्क तथा अन्य कोई सुविधा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त सुख-सुविधा निर्दिष्ट करे, हैं:

(ख) "भवन" का तात्पर्य किसी भी रचना (structure) या निर्माण (erection) अथवा किसी रचना अथवा निर्माण के भाग से है जो निवास, व्यवसाय, उद्योग अथवा अन्य प्रयोजनों के निमित्त प्रयोग में लाने के लिय अभिप्रत हो, चाहे वह वास्तविक प्रयोग में हो अथवा न हो;

(ग) "स्थानीय निकायों क कमिश्नर" (Commissioner of Local Bodies) का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस पदनाम से युक्त करे;

(घ) "विनियमित क्षत्र" (regulated area) का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके संबंध में धारा ३ क अधीन प्रख्यापन किया गया हो ;

(ङ) शाब्दिक विभिन्नताओं तथा सजातीय पदों सहित "विकास" का तात्पर्य भूमि में, उस पर, उसके ऊपर अथवा भीतर किसी भवन-निर्माण-कार्य, यांत्रिक-कार्य (engineering), खनिज कार्य अथवा अन्य कार्य अथवा किसी भवन या भूमि में किसी सारवान परिवर्तन (material change) स है ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है ;

(छ) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय से है जिसे राज्य सरकार किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के इस रूप में नियुक्त करे;

(ज) किसी भवन के संबंध में "निर्माण करने" का तात्पर्य सब से पहले बार भवन के बनाने अथवा किसी वर्तमान भवन को गिरा कर किसी नवीन अथवा पुनरीक्षित योजना के अनुसार उसके फिर स बनाने से है;

(झ) किसी भवन के संबंध में "पुनर्निर्माण" का तात्पर्य किसी भवन अथवा उसके अंश के, उसे गिरा कर उसी नक्शे (plan) के अनुसार जो पहले स्वीकृत हुआ था दुबारा अथवा फिर से बनाने से है ;

(ञ) किसी भवन के संबंध में "सारवान परिवर्तन करने (to make material change)" का तात्पर्य है किसी वर्तमान भवन में परिवर्द्धन अथवा किसी छत, खिड़की या दरवाजे में, यदि ऐसी खिड़की या दरवाजा किसी कमरे के प्रकाश तथा उपवोजन पर विपरीत प्रभाव डालता हो, अथवा किसी अहाते की दीवाल में अथ वा किसी भी रूप में स्वच्छता तथा जल निष्कासन प्रणाली (sanitary and drainage system) में किसी अन्य परिवर्तन द्वारा परिष्कार का किया जाना और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :

(१) भवन के किसी कमरे की ऊंचाई अथवा आछन्न क्षेत्र (covered area) अथवा घनिक समाव (cubical capacity) का घटाना या बढ़ाना;

(२) किसी ऐसे भवन अथवा उसके भाग को जो मूलतः एक ही निवासगृह के रूप में बना हो एकाधिक निवासगृहों के रूप में परिवर्तन तथा इसका विलोमक्रम (*vice versa*);

(३) सामान्यतया मानव आवास (human habitation) के निमित्त अभिप्रेत किसी भवन का निवास गृह (dwelling house) के रूप में परिवर्तन अथवा इसका विलोमक्रम (*vice versa*);

(४) किसी निवासगृह अथवा उसके भाग का दूकान, गोदाम अथवा फैक्ट्री में परिवर्तन या उसका विलोमक्रम;

(५) किसी एक प्रयोजन जैसे दूकान, गोदाम या फैक्ट्री आदि के लिये प्रयुक्त या प्रयोग के लिये अभिप्रेत भवन का किसी दूसरे प्रयोजन के लिये परिवर्तन;

(६) किसी भवन अथवा उसके किसी भाग का वेश्यालय, मदिरालय, अथवा द्यूतालय अथवा ऐसे ही किसी रूप में परिवर्तन, तथा

(७) किसी सड़क या भूमि से, जिसका कि स्वामित्व दीवाल के मालिक में निहित न हो, संलग्न दीवाल में ऐसा दरवाजा या खिड़की लगाना जो कि ऐसे सड़क या भूमि की ओर खुलते हों, अथवा बाहरी दीवाल के किसी दरवाजे या खिड़की को स्थायी रूप से बन्द करना;

किन्तु इसके अन्तर्गत बागबानी, सफेदी करना, रंगाई करना (painting), पलस्तर करना, टीप भरना (pointing) तथा अन्य निर्दिष्टियों (specifications) के रूप में परिष्कार नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)— श्रीमन्, मैं पहले तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि हमारा संशोधन था "प्रख्यापित करें" और कार्य सूची में छप गया "प्रस्तावित करे"।

श्री उपाध्यक्ष—आप ठीक करके पढ़िये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (६) की पंक्ति ३ के शब्द "नियुक्त करे" के स्थान पर "प्रख्यापित करे" रख दिये जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा निवेदन नहीं करना है। सिर्फ यह कि इसमें नामांकित करने की बात है। मेरा विरोध यह है कि नामांकित करने से सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। वह ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनका जीवन सर्वांगीण भी हो, इसलिए अगर नामांकित होंगे तो वह किसी विशेष प्रकार की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट लोग होंगे। यह तरीका प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुकूल नहीं है और जनतंत्र के लिए हितकर नहीं है। उससे हमारी योजनाओं का, सर्वांगीण योजना बनाने का काम भी नहीं चल सकेगा, इसलिये मेरा संशोधन यह रखा हुआ है कि सरकार गजट में प्रख्यापित करेगी, नियुक्त न करे। क्योंकि नियुक्त करने के अर्थ नामांकित करने के होंगे, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप के संशोधन में जो उपखंड (छ) है वह अंक "६" नहीं है, यानी वह संख्या "६" नहीं है बल्कि "छ" है?

श्री रामस्वरूप वर्मा—जी हां।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह संशोधन स्वीकार नहीं है। हर काम कराने के लिये जो अफसर रखे जाते हैं वह नियुक्त किये जाते हैं, और किसी दूसरी विधि से नहीं बनाये जाते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मैं तो यही निवेदन करता हूं कि प्रजातांत्रिक पद्धति को विकसित करने के लिये वह इसको हर जगह प्रख्यापित करें। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि एक आधे दफा उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम इसी विधेयक में देख रहे हैं कि यह बहुत साधारण सी बात है कि अगर चुन करके गांव सभा के सदस्य आ जायं या जो निगम निकाय है उनके द्वारा चुने हुये आ जायं तो वह

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

ज्यादा अच्छे नियत प्राधिकारी माने जायंगे। अगर नामांकित ही करना है तो ज्यादा अच्छा यह होता कि सरकार एक ही आदमी को कर देती, बेकार ३–४ आदमियों की संख्या बढ़ायी गयी।

तो श्रीमन्, यह बहुत ही उपयुक्त सुझाव है। आशा है मंत्री जी इसे मान लेंगे और मैं उपस्थित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इसे स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (छ) की पंक्ति ३ के शब्द "नियुक्त करे" के स्थान पर "प्रख्यापित करे" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

विनियमित क्षेत्र का प्रख्यापन।

३—यदि राज्य सरकार की राय में उत्तर प्रदेश में स्थित किसी क्षेत्र का, भूमि के अव्यवस्थित वितरण (bad laying out), भवनों के अनियोजित निर्माण (haphazard erection of buildings) या निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती को रोकने के लिये अथवा उपयुक्त योजना के अनुसार उस क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिये, इस अधिनियम के अधीन विनियमन अपेक्षित है तो सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उस क्षेत्र को विनियमित प्रख्यापित कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष— (श्री रामस्वरूप वर्मा से) आपका संशोधन है कि खंड ३ निकाल दिया जाय। इसके बजाय आप विरोध कीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मैं इसलिये इस खंड का विरोध कर रहा हूं जैसा कि इस बिल में कहा गया है कि सरकार जिस क्षेत्र को चाहेगी प्रख्यापित करेगी और जिसको चाहेगी नहीं करेगी। इसका नतीजा यह होगा कि सरकार जिस क्षेत्र पर ज्यादती करना चाहेगी या ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें विरोधी पक्ष के लोग होंगे या वहां की जनता उनके साथ होगी तो ऐसे क्षेत्र पर इस को लागू कर दिया जायगा। इसलिये हमने कहा है कि अगर यह अनियोजित विकास के रोकने के लिये है तो सारे प्रांत में कहीं भी हो, प्रख्यापित करने का सवाल नहीं उठता है। सरकार पूरे प्रान्त में इस योजना को लागू करे। अगर सरकार योजनाविहीन है तो फिर इसका प्रश्न नहीं उठता है। इसलिये मैंने इसके निकाल दिये जाने के लिये प्रार्थना की है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी और सदन इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव— उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन भी स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन कोई नहीं है। इसलिये आप कहें कि हम इसके निकालने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, हम इस खंड के निकालने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि अगर यह निकाल दिया जायगा तो इस विधेयक का लाना ही बेमाने हो जायगा। जब तक रेग्यूलेटेड एरिया करार नहीं दिया जायगा तब तक कार्य नहीं चल सकता है।

श्री राजनारायण— श्रीमन्, एक बड़ी मुसीबत आ गई।

श्री उपाध्यक्ष— इतनी कृपा करें कि यह विधेयक चार बजे तक पास होना है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्या करें ?

श्री उपाध्यक्ष—भीषण भाषण न हो।

श्री राजनारायण—जी नहीं, भीषण भाषण नहीं होगा। श्री रामस्वरूप जी वर्मा ने संशोधन पेश किया है। तो संशोधन या तो परिवर्द्धन के लिये होता है या घटाने के लिये होता है तो सरकार इसको क्यों नहीं मानना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं। सरकार के हाथ में अधिकार है। अगर वह चाहती है कि डेफिनिट हो तो इसके निकाल देने से जो बच जाता है वह इतना रह जाता है कि इस का प्रसार समस्त प्रदेश में हो जायगा। जब दूसरा क्लाज रहता है तो सरकार को करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र को देखे और जहां चाहती है या समझती है कि अधिकारी काम बनाने वाले हैं तो वहां पर नियंत्रित अधिकारी के ऊपर छोड़ा है कि जहां वह समझेगा करेगा और जहां समझेगा नहीं करेगा। इसलिये हम समझते हैं कि यह संशोधन उनके तर्क के साथ मेल खाने वाला था। इसलिये उनको मान लेना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम लोगों में से किसी के पास विधेयक की कापी नहीं रह गई है। अगर एक कापी मिल जाती तो अच्छा होता क्योंकि हम लोग याददाश्त से ही कह रहे हैं।

खंड ४

नियंत्रक प्राधिकारी।

४—(१) किसी भी क्षेत्र के इस अधिनियम के अधीन विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित हो जाने पर राज्य सरकार यथा शीघ्र ऐसे क्षेत्र के लिये एक प्राधिकारी संघटित करेगी जिसे एतत्पश्चात् नियंत्रक अधिकारी (controlling authority) कहा जायगा और जो इस अधिनियम के अधीन अभ्यर्पित कृत्यों का संपादन करेगा।

(२) नियंत्रक प्राधिकारी में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) स्थानीय निकायों का कमिश्नर अथवा उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जिसका पद सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हो,

(ख) राज्य सरकार के चार नामांकिती (nominees) जिनमें से एक उत्तर प्रदेश सरकार का टाउन प्लानर अथवा उसका नामांकिती होगा,

(ग) उस जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेन्ट जिसमें विनियमित क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग स्थित हो,

(घ) उस म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटीफाइड एरिया, यदि कोई हो, का प्रेसीडेंट जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो अथवा जो विनियमित क्षेत्र से संलग्न हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि विनियमित क्षेत्र एक से अधिक स्थानीय निकायों की सीमाओं के भीतर हो तो नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे स्थानीय निकाय निकायों के किसी अन्य प्रेसीडेंट/प्रेसीडेंटों को अनुयुक्त (co-opt) कर सकता है।

यू० पी० ऐक्ट सं० १०, १९२२, यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ उ० प्र० अधिनियम संख्या १७, १९५३।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजन के लिये "प्रेसीडेंट" के अन्तर्गत यथास्थिति कोई भी वह व्यक्ति है जो यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, १९५३ के उपबन्धों के अधीन प्रेसीडेंट के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो।

(३) गणपूर्ति (quorum) के निमित्त अपेक्षित सदस्यों की संख्या तथा कार्य-संपादन में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो नियत की जाय।

(४) नियंत्रक प्राधिकारी में किसी रिक्ति के होते हुये भी नियंत्रक प्राधिकारी के कृत्यों का संपादन किया जा सकता है।

(५) राज्य सरकार नियंत्रक प्राधिकारी के लिये ऐसे लिपिकवर्ग तथा अन्य कर्मचारीवर्ग की व्यवस्था करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(६) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया गया सब कार्य उस प्राधिकारी के नाम में किया हुआ प्रकट किया जायगा तथा उक्त प्राधिकारी के नाम में दी गई आज्ञायें तथा अन्य करण (instruments) उस रीति से प्रमाणित (authenticated) किये जायेंगे जो नियत की जाय और इस प्रकार प्रमाणित किसी भी आज्ञा या करण की वैधता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि वह आज्ञा या करण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा निष्पादित नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"सरकार प्रदेश को आवश्यक क्षेत्रों में बांटेगी और निर्माण-कार्य का विकास एवं विनियमन इस अधिनियम के अनुसार करने के हेतु एक प्राधिकारी संगठित करेगी जिसे तत्पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी कहा जायगा और जो इस अधिनियम के अधीन अभ्यर्पित कृत्यों का संपादन करेगा।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संधोधन के लाने की इसलिये आवश्यकता पड़ी कि धारा ३ में यह कर दिया गया था कि सरकार इसमें विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित करेगी और जब प्रख्यापन हो जायगा तो एक ऐसा प्राधिकारी संगठित करेगी जो सब काम करेगा। श्रीमन्, आपके द्वारा हमारा निवेदन यह है कि अगर अलग-अलग जगह के लिये होगा तो हर जगह नियंत्रक प्राधिकारी रखने की जरूरत पड़ेगी। इसलिये छोटी और बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। अगर बड़े क्षेत्र में करना चाहते हैं तो सीमा के लिहाज से तथा भौगोलिक स्थिति के लिहाज से, जैसे सरकार विकास करना चाहेगी, उस हिसाब से, प्राधिकारी एक दफा बनाने पड़ेंगे और हमेशा के लिये सरकार की परेशानी दूर हो जायगी। इस दृष्टि से यह बिलकुल मासूम और हानिरहित संशोधन मैंने पेश किया है और मंत्री जी को इसके मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसलिये कि वह बार-बार के झंझट से बच जायंगे और एक ही बार प्रदेश भर के लिये नियन्त्रक प्राधिकारी बना दिये जायंगे और वे अपना काम सम्पादित करेंगे। पब्लिक को भी इसमें सुविधा होगी। यह नहीं होगा कि एक जिले में चार टाउन एरिया, किसी में दो टाउन एरिया ले लिया और उसके लिये एक नियन्त्रक प्राधिकारी बना दिया। संशोधन के अनुसार प्राधिकारी प्रदेश भर में बन जायेंगे। मंत्री जी जो योजना चलायेंगे उसके हिसाब से ८ या १० हिस्सों में जिसमें प्रदेश को बाटेंगे भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, प्रत्येक क्षेत्र

के लिये नियन्त्रक प्राधिकारी कायम हो जायंगे और उस योजना के अनुसार काम करने लगेंगे। एक निश्चितता हर आदमी के दिमाग में रहेगी। इसे मंत्री जी को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि यह उन्हीं के पक्ष में है और उनकी नियंत्रण योजना को साफ करने के लिये है। इस संशोधन को स्वीकार करके वह इस बात को प्रमाणित करेंगे कि वह नियंत्रण योजना प्रदेश में रखना चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह संशोधन भी स्वीकार नहीं है। यदि इसको स्वीकार कर लिया जायगा तो यह स्थिति हो जायगी कि सरकार को प्रदेश भर में जोन्स बनाने पड़ेंगे और यह आवश्यक हो जायगा कि सब जगह रेगुलेटेड एरिया और कंट्रोलिंग अथारिटी कायम करने पड़ेंगे जो इस का मंशा नहीं है। इसका मशा केवल यह है कि वह प्रमुख स्थान जहां पर अत्यन्त आवश्यकता है और जल्दी ही करना चाहिये उन स्थानों को रेगुलेटेड एरिया करार दिया जायगा। जहां पर स्थानीय संस्थायें ठीक तरह से काम कर रही हैं वहां पर सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस वजह से मैं इस सशोधन का विरोध करता हूं

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मुझे विशेष कुछ कहना नहीं है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—वापस ले लीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—वापस लेने का प्रश्न नहीं है। जो यहां से बात कही जाती है बहुत सोच समझ कर कही जाती है। हम कभी दो बातें नहीं कहते।

"द्वौ शरौ नाभिसंधत्ते रामो द्विर्नाभिभाषते।"

न एक धनुष पर दो बाण और न हम दो बातें कहते हैं। यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगर वह इसको अब भी समझ लेंगे तो मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"सरकार प्रदेश को आवश्यक क्षेत्रों में बांटेगी और निर्माण-कार्य का विकास एवं विनियमन इस अधिनियम के अनुसार करने के हेतु एक प्राधिकारी संगठित करेगी जिसे एतत्पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी कहा जायगा और जो इस अधिनियम के अधीन अभ्यर्पित कृत्यों का सम्पादन करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय यह प्रस्ताव करता हूं—

"सरकार की ओर से एक अधिकारी जो कमिश्नर के पद से नीचे का न होगा, रहेगा।"

श्रीमन्, पहले जो मूल विधेयक सरकार लायी थी उसमें लिखा हुआ था "स्थानीय निकायों का कमिश्नर अथवा यदि राज्य सरकार आदेश दे तो उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो।" उससे सरकार का यह मंशा था और उसके दिमाग में यह बात रही होगी। कमिश्नर को रखने से एक ऐसा आदमी उस क्षेत्र में रहेगा, जो पूरे क्षेत्र की जानकारी रखता हो और पूरे क्षेत्र के अधिकारियों को जो आदेश दे सकता हो। फिर पता नहीं माननीय मंत्री जी की समझ में कैसे आया और उन्होंने कर दिया कि "जिसका पद सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के पद से कम न हो"। इस विधेयक में यह है। माननीय मंत्री जी अगर इस पर ठंडे दिल से विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि कमिश्नर सरकार का एक ऐसा अधिकारी है जो कि एक पूरी कमिश्नरी पर अधिकार रखता है और अपने नीचे के सभी अधिकारियों को आदेश दे सकता है ऐसे कामों में जिसमें जल्दी की जरूरत हो और कोई योजना चल रही हो। जहां पूरे क्षेत्र को लेने की जरूरत हो उसके लिये अगर एस० डी० ओ० कर दिया और मान लिया

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

चार टाउन एरिया हुए चार जगह, अलग-अलग, सरकार के ही कहने के अनुसार उनको अगर नियमित क्षेत्र करार देना चाहते हैं तो चार-चार एस० डी० एम० अलग-अलग उनके लिये नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। इससे तो अच्छा यह है कि एक कमिश्नर जितना भी काम है उस सब काम के लिये एक जगह मौजूद रहेगा ? वह अपने साथ सुनिश्चित योजना भी रखेगा। मैं समझता हूं यह बात तो उनके हित के लिये है और इससे उनको परेशानी भी नहीं होगी। एस० डी० एम० कई जगह नहीं जा सकता है। कमिश्नर के हाथ में एक काम रहेगा और उसको वह महत्वपूर्ण भी समझेगा। नीचे के कर्मचारियों का ध्यान भी उसकी वजह से कार्यान्वित करने का रहेगा। तो इस बात को देखते हुये मैंने यह प्रस्ताव किया है मुझे आशा है और विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह संशोधन भी मुझे स्वीकार नहीं है। इसका कारण भी स्पष्ट है। किसी स्थान का इतना महत्व हो सकता है जहां पर कि कमिश्नर का रहना आवश्यक हो। कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर जिला मैजिस्ट्रेट काम चला सकता है किन्तु कुछ ऐसी भी जगह हो सकती हैं जहां पर एस० डी० एम० की काम चलाने के लिये जरूरत हो वहां पर किसी बड़े अधिकारी के जाने की आवश्यकता नहीं है। हर क्षेत्र के लिये एक कमिश्नर नियुक्त किया जाय यह सम्भव नहीं होगा। इस कारण से मैं इस संशोधन को स्वीकार करने से असमर्थ हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं रामस्वरूप वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें "स्थानीय निकायों का कमिश्नर अथवा उस डिवीजन का कमिश्नर" रखा गया है। इस शब्द की परिभाषा में यह बताया गया है कि "स्थानीय निकायों के कमिश्नर" का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस पदनाम से युक्त करे, मुझे सन्देह है कि इस तरह से नये अफसरों का रखना जरूरी हो सकता है। तब यह जरूरी होगा कि नई जगह क्रियेट की जाय। इस प्रकार से जब यह नया क्रियेशन होगा तो इससे छः नई पोस्ट बनाई जा रही हैं और सरकार खर्चे में बढ़ोत्तरी करने जा रही है क्योंकि यह सन्देह पैदा हो जाता है कि कमिश्नरों के अलावा कुछ नये अफसर कायम किये जा सकते हैं नहीं तो "स्थानीय निकायों के कमिश्नर" ऐसे शब्द यहां पर न रखे जाते और कमिश्नर ही शब्द बना रहता। इसलिये जो यह नई चीज इस डैफिनेशन में आई है उससे पता लगता है कि नई पोस्ट क्रियेट की जा सकती है। मैंने सद ही सरकार की इस कार्य प्रणाली पर एतराज किया है। सरकार जब नये विधेयक को सदान में लाती है तो नई जगह भी क्रियेट करती है। उन जगहों को क्रियेट करने का मन्शा यह रहता है कि कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाय जो उनके सम्पर्क में आते हों या जिनको बगैर कुछ दिये काम नहीं चलता है। जब कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सुधार या टाउन्स की सुधार की बात संशोधन के रूप में यह सरकार लाने का प्रयत्न करती है तो उनमें इस तरह की बातें जरूर रहती हैं जिससे कुछ लोगों को जगहें दी जा सकें। मैं समझता हूं राम स्वरूप जी ने जो संशोधन पेश किया है कि कमिश्नर को रख दे वह ज्यादा उचित है। जिस तरह से सरकार ने रखा है उससे नई पोस्ट क्रियेट करने का सन्देह पैदा होता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मैं माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं इसलिये कि जिस दिल्ली के ऐक्ट के आधार पर यह बनाया गया है उसमें भी चीफ कमिश्नर उस स्थान पर होता है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब दिल्ली शहर में इतना काम रहता है कि जिस केलिये चीफ कमिश्नर रखा गया है तो यहां पर भी एक डिवीजनल कमिश्नर रखा जाय क्योंकि वह अनुभवी होता है और सारे मामलों को समझ सकता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा दिल्ली ऐक्ट में हैं वही यहां पर भी रख दिया जाय।

श्री रामस्वरूप यादव—मैं माननीय अवस्थी जी का भ्रम दूर करना चाहता हूं। यह मन्शा इस दफा में रखने से हरगिज नहीं है कि कुछ स्थान बढ़ाये जांय या पोस्ट क्रियेट की जांय। स्थानीय निकायों का कमिश्नर तो एक ही था और एक ही हो सकता है वह कोई नया नहीं है और उसको बढ़ाने का सवाल नहीं है। एस० डी० एम० जो इस समय हैं उनको बढ़ाने का भी प्रश्न नहीं उठता है। माननीय प्रतापसिंह जी ने जो कहा उस सम्बन्ध में निवेदन है कि दिल्ली तो कुछ लाख की आबादी का शहर है और हमारे प्रदेश की आबादी ६,५०,००,००० है। इस के अलावा उनका नगर एक स्थान पर संगठित है, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और इसीलिये यह संभव नहीं है कि कमिश्नर के द्वारा इस कार्य को कराया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"सरकार की ओर से एक अधिकारी जो कमिश्नर के पद से नीचे का न होगा, रहेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति १ व ३ के शब्द "नामांकितों" के स्थान पर शब्द "नामांकी" रख दिया जाय।

यह केवल शाब्दिक संशोधन है और नांमाकिती शब्द बिलकुल गलत है। कोई ऐसा शब्द नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, अगर यह शाब्दिक संशोधन है तो श्रीमन् ही स्वीकार कर सकते हैं। वैसे मुझे तो स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—तो मैं इसको अपने अधिकारों से अगर गलत है तो ठीक करा दूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उप-खंड (२) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"गांव-सभाओं द्वारा चुने गये पांच व्यक्ति"

यह संशोधन कहां आ रहा है पहले यह मैं आप के द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करा दूं। (२) में है : नियंत्रक प्राधिकारी में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् पहला है स्थानीय निकायों का कमिश्नर अथवा उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जिसका पद सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हो, एक तो यह होगा। दूसरे राज्य सरकार के चार नामांकिती जिनमें से एक उत्तर प्रदेश सरकार का टाउन प्लानर अथवा उसका नामांकिती होगा। अब इसी स्थान पर हम चाहते हैं कि जिस क्षेत्र का सरकार विकास करना चाहती है उस क्षेत्र में गांव सभायें जरूर होंगी। सरकार द्वारा बार-बार यह घोषणा की जाती है कि हमारी योजनाओं में जनता का संपर्क हो, उसका हाथ हो, लेकिन जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस में ऐसी धारायें रखते हैं कि जिनके द्वारा जनता का संपर्क, हाथ और कंट्रोल उस में बिलकुल ही न रहे। तो यह दो जीभ की बात है। अगर सही माने में किसी क्षेत्र का विकास करना है और वहां की जनता उस विकास कार्य से लाभान्वित होनी है तो उस विकास में वहां के जन-प्रतिनिधियों की राय होना, उनका उसमें हाथ होना निहायत ही जरूरी है। इसलिये कोई विशेष व्याख्या की आवश्यकता इस संशोधन पर नहीं है और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस साधु संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह रूरल एरियाज का ही विधेयक है या म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज के लिये भी है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—दोनों के लिये है ।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह संशोधन भी स्वीकार नहीं है । इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं कि जहां ग्रामीण क्षेत्र हो और साथ ही ऐसे भी रेगुलेटेड एरिया हो सकते हैं कि जहां कोई ग्रामीण क्षेत्र न आये । ऐसी स्थिति में जहां कोई ग्रामीण क्षेत्र न आवेगा वहां पर ग्राम सभाओं के प्रधानों का होना बिलकुल बेकार सा ही होगा । जिला बोर्डों के अध्यक्ष जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके सदस्य होंगे । टाउन एरियाज और नगरपालिकाओं के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे । इस तरह से सारा प्रतिनिधित्व पूरा हो जाता है । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । इसके बारे में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं ।

जो कंट्रोलिंग अथारिटी बनेगी उसमें कमिश्नर और टाउन प्लानर हैं और इनके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन या चार आदमी और होंगे, इस तरह से ७,८ आदमियों का बोर्ड बनेगा । इसमें ग्रामीण जनता के प्रतिनिधियों की इसलिये आवश्यकता है कि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें । अभी मंत्री जी ने कहा कि वहां के अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करेंगे । मुझे तो टाउन प्लानर के बारे में कुछ सन्देह सा हो रहा है जिनको एक्सपर्ट कहा जाता है । मेरे हाथ में यह वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें टाउन प्लानर साहब द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी कुछ बातों का जिक्र है ।

श्री उपाध्यक्ष—यह संशोधन टाउन प्लानर के बारे में नहीं है । आप उनके बारे में व्यक्तिगत बात न कहें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—लेकिन यहां पर टाउन प्लानर रखा हुआ है । मैं इन्हीं की ऐफीशियेंसी और आवश्यकता पर कहना चाहता हूं । उनके ही कथनानुसार उन्होंने इमारतों का एक कोड तैयार किया है । मैं शहरों की बात छोड़े देता हूं चूंकि वहां भव्य भवनों के शौकीन लोग होते हैं । लेकिन यह शौकीनी की भावना देहातों में भी फैलाई जा रही है । मेरा अपना अनुभव है कि हमारे यहां देहात में विधनू थाना ७०,००० रुपये में इसी कोड के मुताबिक बना । उस थाने में मैं जब थानेदार साहब के साथ घुसा तो उन्होंने उस इमारत की बहुत तारीफ की । उन्होंने कहा कि आप शौचालय में चलिये । उन्होंने बतलाया कि उसका दरवाजा केवल १८ इंच चौड़ा बनाया गया है जब कि हमारा सीना भरती के लिये ३३ इंच लिया गया था । इसलिये मुझे शौचालय में तिरछे घुसना पड़ेगा । वह इतना छोटा था कि उसमें स्वीपर पाट भी नहीं रख सकता था जब कि थानेदार साहेब ने बतलाया कि उनके नियमों में है कि पाट होना चाहिये । दूसरे, वहां फायर प्लेस थी जब कि चूल्हा-चौका होना चाहिये था । बातचीत से मालूम हुआ कि वह अमरीकन स्टाइल है । तो देहातों में भी यह अमरीकन स्टाइल घुसने लगा है । इस वार्षिक रिपोर्ट में कुछ नक्शे और मकानों के चित्र बनाये हुये हैं । एक शैक्षिक संग्रहालय तथा प्रिसीशन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री भी है । इन सबके नमूने देखने से मालूम होता है कि अमेरीकन स्टाइल में लोगों को बसाया जा रहा है । इसकी सारी कृपा टाउन प्लानर साहब बहादुर पर है । उनकी योग्यताओं या डिग्रियों पर मैं जरा भी ईर्षा नहीं करता हूं । आप देखेंगे कि इसमें है ए० एम० आई० ई०, ऐ० ऐम० .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपको कहा है कि आप उनके बारे में व्यक्तिगत कुछ न कहें। आप उनके कार्यों से साबित कर सकते हैं। आप उनकी योग्यता के बारे में बहस न करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आप भी देखेंगे कि इसमें कलेक्टरों के रूप में अध्यक्ष जी मौजूद हैं और कलेक्टरों के अहसानफरोश उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं और इन अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से हम ऊब गये हैं। लेकिन टाउन प्लानर उनके गुलाम स्वरूप होते हैं और उनकी हां में हां मिलाने वाले होते हैं। यदि ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों की बात कही जाती है तो वह मंत्री जी के लिये उपहास की बात होती है। टाउन प्लानर साहब हमारे ग्रामों में अमरीकन स्टाइल को डालना चाहते हैं। हां, लखनऊ के लिये वह उचित हो सकता है, यहां बाहर के लोग आकर खुश हो जाते हैं कि बड़ी उन्नति यहां के लोगों ने की है। अगर देहातों में इन भव्य इमारतों को घुसेड़ा जायगा जिनके दरवाजे में कोई ठीक से घुस भी न सके, तो ग्रामीण जनता परेशान और बरबाद हो जायगी। यह टाउन प्लानर साहब हमारे लिये एक भूत और अभिशाप बन सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बहुत तफसील में जा रहे हैं। टाउन प्लानर पर ही आपने लगभग १० मिनट ले लिये। और भी ४,५ होंगे, तो एक घंटा इसी में आपको लग जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे इस विधेयक पर पहला ही बोलने का मौका मिला है। हो सकता है कि मैंनें कुछ ज्यादा बातें कह दी हों, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि टाउन प्लानर के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं और इस संशोधन को, मैं चाहता हूं, मंत्री जी स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री रामस्वरूप वर्मा के खड़े होने पर) आपका ही तो संशोधन था जो उन्होंने मूव किया।

श्री राजनारायण—वह तो श्रीमन्, हमने मूव किया था।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन वह आपने उनकी तरफ से ही तो पेश किया था। अब आप यह कहिये कि पहले आपसे गलती हो गयी थी उसको आप दुरुस्त करना चाहते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह तो हर बुद्धिमान आदमी को अगर कोई चीज छूट गयी है तो उसको ठीक से रखने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिये।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया उसको सुनकर हमने उचित समझा कि इस संशोधन में गांव सभा के प्रतिनिधि रखने की बात कही गयी है उसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि उसका संबंध केवल गांव से ही हो और टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया या म्युनिसिपैलिटी से संबंध न हो। यह ठीक है। हम उसको मानते हैं। इसलिये उन सब के प्रतिनिधि भी उसमें रख दिये जायं तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप अंतिम रूप से बोल रहे हैं।

श्री राजनारायण—मैं तो संशोधन में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप यह कहें कि माननीय मंत्री जी के कहने के बाद यह शंका उठी और अगर माननीय मंत्री जी इसको मानने के लिये तैयार हों तो उसमें यह भी जोड़ दिया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम तो संशोधन मूव कर रहे हैं। उसको मूव करने के लिये तो हमें माननीय रामस्वरूप जी ने अधिकृत किया था और आपने रामस्वरूप जी से कहा कि वे उसको मूव नहीं कर सकते इसलिये हम संशोधन में संशोधन मूव कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा नियम नहीं है कि अपने ही संशोधन में आप संशोधन पेश करें। पेश करने से पहले आप कह सकते थे कि इस प्रकार का छपा हुआ है उसके बजाय ऐसा कर दिया जाय।

श्री राजनारायण—इसके लिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तक ऐसा कोई संशोधन पेश नहीं हुआ। छपे हुये में कोई गलती या कमी रह जाय तब तो इस तरह से हो सकता था, लेकिन आधा डिस्कशन हो जाय और आप यह कहें कि संशोधन कर लेने दिया जाय, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप सरकार से यह कहें कि अगर ऐसी दिक्कत है तो म्युनिसिपैलिटी के प्रतिनिधि ले लिये जायं। अगर सरकार उसको मंजूर कर लेगी तो इसका कोई तरीका निकल सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं। यह संशोधन मेरे नाम से नहीं है। यह श्री उग्रसेन जी, श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री टीकाराम और श्री नन्दराम के नाम से है। अब नियमों के मुताबिक उस संशोधन को रखने की पावर हम को डेलीगेट कर दी गई तो जब वे इस संशोधन को रखने वाले नहीं हैं और उसको नियमों के अनुसार हमने रखा है तो उनको अधिकार होना चाहिये कि वे नियमों के अनुसार संशोधन पर संशोधन रखें। तो मैं श्रीमन्, से यह जानना चाहता हूं कि रामस्वरूप जी द्वारा इस में संशोधन रखे जाने में कौन-सा नियम बाधित है?

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन यह मूलतः तो रामस्वरूप जी का ही संशोधन था।

श्री राजनारायण—तो उसको हमारा संशोधन न माना जाय और हमको इसमें संशोधन करने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप इस पर जोर ही देते हैं तो क्योंकि यह संशोधन आपने मूव किया था इसलिये संशोधन में संशोधन आप तो नहीं रख सकते, श्री रामस्वरूप वर्मा या और कोई चाहें तो रख सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, यह एक आनुषंगिक संशोधन है जो मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्री राजनारायण जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन में निम्न-लिखित संशोधन कर दिया जाय—

"शब्द 'गांव सभाओं' के बाद व शब्द 'द्वारा चुने गये' के पहले शब्द 'या टाउन एरिया या, नोटीफाइड एरिया, या म्युनिसिपैलिटी' रख दिये जायं।"

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, इसी विषय पर आप रूलिंग दे चुके हैं और फिर उसके उपरान्त यह संशोधन पेश किया जा रहा है। यह कहां तक उचित है, यह एक बात है।

दूसरी मेरी आपत्ति यह है कि यह डिस्कशन जो हो रहा है, यह संशोधन जो आया है, वह करीब-करीब वाद-विवाद के अन्त में आया है। मैं उसको उस वक्त तो मान सकता था अगर यह संशोधन तत्काल या एक सदस्य के बोलने के बाद ही आया होता तब तो ठीक होता, लेकिन अब तो वाद-विवाद समाप्ति पर है उसके बाद अब यह संशोधन आता है। यह कहां तक उचित है, आप इस पर व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—अगर थोड़ी देर पहले आ सकता है तो देर में भी आ सकता है। पहले आपने यह प्रश्न उठाया था कि यह आपका विचार है, लेकिन बाद में उन्होंने यह ध्यान दिलाया कि श्री रामस्वरूप वर्मा ने मुझे यह अधिकार दिया है और उसी अधिकार से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वह काम कर रहे हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत से वे इस संशोधन में सुधार करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में देर और सबेर का कोई सवाल नहीं है, थोड़ी देर पहले हो सकता है और आखीर को भी हो सकता है जब तक कि उस पर सदन द्वारा निर्णय न हो जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया। खैर, माननीय मंत्री जी ने जो कहा था कि अगर नोटीफाइड एरिया को लेना चाहें, टाउन एरिया को लेना चाहें या म्युनिसिपल एरिया को लेना चाहें तो उसमें कठिनाई आ सकती है, यह बात सही है। अगर विनियमित क्षेत्र में टाउन एरिया आ जाय तो वहां का प्रतिनिधि रहेगा, अगर नोटीफाइड एरिया आ जाय तो वहां का प्रतिनिधि रहेगा और म्युनिसिपल एरिया आ जाय तो वहां का प्रतिनिधि रहेगा, इस तरह से मैंने अपने संशोधन में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने जो कठिनाई पड़ने की बात कही, इस संशोधन द्वारा यह कठिनाई दूर कर दी गयी है। तो आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर निवेदन करूंगा कि अब उनको इस संशोधन को मानने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और अब वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मुझे यह संशोधन भी स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—केवल एक मिनट चाहता हूं। श्री रामस्वरूप यादव जी उस संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसकी अहमियत को देखते हुये कि अब हमारा जो संशोधन है उसमें है कि गांव सभा के प्रतिनिधि को भी लिया जायगा, अगर टाउन एरिया में कोई विकास की योजना होगी तो टाउन एरिया का प्रतिनिधि लिया जायगा, अगर म्युनिसिपल एरिया में कोई विकास की योजना होगी तो म्युनिसिपैलिटी का प्रतिनिधि लिया जायगा, अगर नगर निगम में कोई विकास की योजना होगी तो नगर निगम का प्रतिनिधि लिया जायगा। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि सरकार की जो कठिनाई है उसका शमन हो जाता है। सही माने में जो भी गांव सभा का प्रतिनिधि हो, या जो जन प्रतिनिधि हो, टाउन एरिया का प्रतिनिधि हो, नोटीफाइड एरिया का प्रतिनिधि हो, उनको लेना चाहें तो यह तभी हो सकता है जब कि सरकार इसके औचित्य को स्वीकार कर ले। या तो सरकार साफ-साफ कह दे कि सरकार गाँव विकास की योजना में सब का सहयोग चाहती है या सरकार उसके विरोध में है।

तब तो यह बात ठीक हो सकती है कि सरकार जैसा मस्तिष्क रखती है उसी के मुताबिक अपने नियमों को भी बनाती है। मगर दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। स्पष्ट रूप से इस बात को कहना होगा कि वह जन प्रतिनिधियों का हाथ रखना चाहती है, उनकी राय लेकर, उनकी राय से विकास योजना को कार्यान्वित करना चाहती है या अपने मन से ही सब कुछ करना चाहती है। उसको साफ-साफ बतलाना होगा कि वह चाहती क्या है ? जब हम कहते हैं कि टाउन एरिया के विकास में टाउन एरिया के प्रतिनिधि की राय ली जायगी, नोटिफाइड एरिया के विकास कार्य में नोटिफाइड एरिया के प्रतिनिधि की राय ली जायगी, म्युनिसिपल एरिया की विकास योजना के लिये म्युनिसिपैलिटी का प्रतिनिधि रहेगा, फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि सरकार क्यों अपनी हठवादिता पर अड़ी हुई है। सरकार की तरफ से बार-बार प्रोपेगेंडा तो किया जाता है कि जन-सहयोग, जन सहयोग, जन-सहयोग चाहिये, लेकिन सरकार द्वारा जन-सहयोग की भावना को कार्यान्वित किया जा रहा है, ऐसे विधेयक को रख कर जन-सहयोग कैसे हासिल किया जा सकता है ? जहां गुंजाइश होगी वहां सरकार कानून के जरिये जन सहयोग प्राप्त करने की कोशिश न करेगी। इस तरह से जन-सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिये हमारा केवल इतना ही मतलब है, इतनी ही इच्छा है और यही सद्भावना है कि जन सहयोग हो, जनता का

[श्री राजनारायण]

हाथ हो, जन प्रतिनिधियों का हाथ हो और हम चाहते हैं कि सरकार हठ न करे, जिद न करे। जब उसके सामने सही बात रखी जाय तो वह किसी निजी महिमा और गौरव का खयाल न करे। सरकार हीनभाव-ग्रस्त होकर छुईमुई सी होती जाती है। इसलिये मेरा कहना है कि वह हीन भावग्रस्त न हो। वह आगे बढ़े और जो सही और उचित बात हो उसको माने। इसी में सरकार की मर्यादा भी सुरक्षित है।

श्री रामस्वरूप यादव--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन में संशोधन रामस्वरूप वर्मा जी ने उपस्थित किया है वह स्वीकार नहीं है।

जहां तक ग्राम सभाओं को अधिकार देने का प्रश्न है या सभापतियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है सरकार की हमेशा ही यह नीति रही है कि उनके स्थान पर उनको जगह अवश्य दी जाय और जिला परिषद् के ऐक्ट को देखिये या नियोजन समितियों में देखिये उनको स्थान दिया गया है और भविष्य में भी जो कमेटियां हम बनायेंगे उनको अपने स्थान पर अवश्य स्थान दिया जायगा। लेकिन जो जिला परिषद का प्रेसीडेंट है वह समस्त जिला का प्रतिनिधि होता है और इसलिये उनको स्थान दिया गया है।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि बहुत से रेगुलेटेड एरियाज ऐसे भी हो सकते हैं जहां एक भी गांव न हो या बहुत-से ऐसे भी हो सकते हैं जहां बहुत से गांव हो सकते हैं। अब उसके लिये यह उचित नहीं प्रतीत होता है कि २० आदमियों की कमेटी बना दी जाय और नगर को सुनियोजित ढंग से बनाने के लिये २० आदमियों की कमेटी उचित भी नहीं है। इस वजह से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--पहले मैं रामस्वरूप वर्मा जी का संशोधन ले रहा हूं। प्रश्न यह है कि श्री राजनारायण जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन में संशोधन इस प्रकार किया जाय:--

शब्द 'गांव सभाओं' के बाद तथा शब्द 'द्वारा चुने गये' के पहले शब्द 'या टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया या म्युनिसिपैलिटी' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२१,

विपक्ष में--८५।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"गांव सभाओं द्वारा चुने गये ५ व्यक्ति"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ग) के शब्द 'डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट' के स्थान पर शब्द 'अन्तरिम जिला परिषद् अथवा जिला परिषद् का अध्यक्ष' रख दिये जायें।

श्रीमन्, मेरे इस संशोधन से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्थान पर अन्तरिम जिला परिषद् या जिला परिषद् रखा गया है। वह इस कारण से कि जिला बोर्ड अब नहीं है। उनकी जगह पर अन्तरिम जिला परिषदें स्थापित हो गयी हैं और उनके भी स्थान पर जिला परिषदें स्थापित होने वाली हैं। इसलिये मैं यह संशोधन रखता हूं और मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार हो जाना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जयराम वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिला बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं और जब चीज समाप्त हो गयी तो उसका प्रतिनिधित्व भी समाप्त हो गया। जब अन्तरिम जिला परिषदें बन गयीं और जिला बोर्ड्स प्रेसीडेंट्स को नये तरीके से शपथ ग्रहण कराई गयी, उनका नये ढंग से विधान बनाया गया, उसके लिये अध्यादेश जारी हुआ और फिर सदन में विधेयक लाया गया जो कि पास हो गया और इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नाम समाप्त हो गया तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का कोई प्रेसीडेंट नहीं रह गया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद का उपाध्यक्ष हो गया है, इसलिये यह रिप्रेजेंटेशन अर्थ प्रेजन्टेड रह जायगा। इसलिये इसके स्थान पर जिला परिषद् का प्रेसीडेंट रखा जाय या जिला परिषद् का वाइस प्रेसीडेंट रखा जाय। बल्कि मैं तो इस संशोधन के साथ अपना एक संशोधन रखना चाहता हूं कि जिला परिषद् या अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को न रख कर उस क्षेत्र के एम० एल० ए० को रख दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह संशोधन भी स्वीकार नहीं है। स्पष्टीकरण से जाहिर हो जायेगा कि जो भी जिला बोर्ड ऐक्ट, १९२२ के अन्तर्गत अधिकार का प्रयोग कर रहा है वह उसका प्रतिनिधि हो सकता है। मेरी समझ में इस संशोधन की इस समय आवश्यकता नहीं है। जब जिला परिषदें बन जायं और उनकी रूप रेखा सामने आ जाय तब उसके अनुसार सोचा जा सकता है। लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति है कि जिसमें काम ठीक से चल सकता है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है और मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय श्री जयराम वर्मा जी ने उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करता हूं। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के प्रेसीडेंट के स्थान पर अन्तरिम जिला परिषद् के प्रेसीडेंट को ही मान लिया जाय तो वह जिला मैजिस्ट्रेट ही तो होगा। मैं जिला मैजिस्ट्रेट को प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं हूं। हां, अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के स्थान पर यह संशोधन इस प्रकार रख दिया जाय कि जो अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्ष हों उनको रखा जाय और वर्मा जी मेरे इस संशोधन को मान लें कि अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष रख दिया जाय तो मैं उनके संशोधन का समर्थन कर सकता हूं अन्यथा मैं उसका विरोध करता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। यह आश्चर्य है जब माननीय सभा-सचिव यह कहते हैं कि इसके स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्थान पर जो काम कर रही है संस्था उसका अध्यक्ष इस बाडी को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे आश्चर्य है श्रीमन्.....

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि जो अधिकार प्रयोग कर रहे हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—यह भी मुझे स्वीकार है। उसके उपरान्त क्या परिस्थिति होगी जबकि जिला परिषद् स्थापित किया जायगा और श्रीमन्, जो सब से मार्के की बात है और जिस पर इस सम्मानित सदन के सदस्यों को थोड़ा-सा आश्चर्य होना चाहिए वह यह है कि क्या माननीय सभा-सचिव महोदय जो सरकारी, गैर-सरकारी अध्यक्ष जिला परिषद् के होंगे उनके होने के बाद क्या एक रवैया दूसरा भी अख्तियार कर सकते हैं कि उनको हटा दें? यह तो क्या कर रहे हैं आप? सेल्फ कंडेमनेशन? अपने आप अपने किये कर्मों पर मिट्टी फेंक रहे हैं। आपके द्वारा श्रीमन्, मैं उनको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय सभा सचिव महोदय ने यह अभी फरमाया था कि जब हम यह देख लेंगे कि जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

परिषद् की क्या रूपरेखा हो तदुपरान्त निश्चय कर सकेंगे। क्या निश्चय करने को अभी बाकी रह गया है कि जिला परिषद् की क्या रूपरेखा होगी? क्या इसमें भी शक है? क्या इसमें भी गुंजायश है कि जिलाधीश महोदय उसके अध्यक्ष बने रहेंगे। मान्यवर, मैं यह समझ सकता हूं कि इसमें थोड़ी-सी गलती माननीय मित्र जयराम वर्मा ने की है। यदि कहीं उन्होंने उपाध्यक्ष रखा होता तो संभवतः वह आइन्दा चल के उनके लिए लाभप्रद होता और माननीय मन्त्री के लिए भी लाभप्रद हो जाता। यह संशोधन अपनी जगह पर तो निर्दोष है। ऐसे संशोधन को भी न मानना केवल एक हठधर्मी है और जरा सा उस पर फिर से गौर कर लें।

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसके वापस करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात को साफ करना चाहता हूं। जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट के माने इस वक्त कुछ नहीं हैं। जिला बोर्ड खत्म हो गए। अब 'जिला बोर्ड के अध्यक्ष' यही शब्द उसमें रहते हैं तो उसकी जगह पर कोई आदमी नियंत्रक प्राधिकारी में नहीं हो सकेगा। भूतपूर्व जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट कहते तो सम्भव था कि वह इसमें हो सकते थे। लेकिन जब जिला बोर्ड खत्म कर दिये गए तो जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट भी इसमें नहीं आ सकते। अगर मंशा वही हो तब तो इसी तरह से कह सकते हैं कि भूतपूर्व जिला बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वह इसमें रखे जायेंगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत होगी, अगर संयोग से भूतपूर्व जिला बोर्डों के अध्यक्ष किसी हालत में न रह जायं तो उनके स्थान पर चुना कौन जायगा क्योंकि फिर जिला बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकेगा। इसलिए वह स्थान खाली हो जायगा। तो वह चीज तो नहीं हो सकती है अब अन्तरिम जिला परिषद् उसके स्थान पर काम कर रही है तो उसके अध्यक्ष को रखने में क्या कठिनाई है? अगर उपाध्यक्ष महोदय को रखना है तो रखा जा सकता है। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस वक्त अन्तरिम जिला परिषद् का ही कोई प्राधिकारी हो सकता है चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष को रखना मेरे खयाल से ठीक नहीं है। माननीय मन्त्री जी इस पर फिर से गौर कर लें और अगर अब भी उनकी यही राय है कि नहीं यही ठीक है तो मैं इसको वापस कर लूंगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, वैसे तो यह बिलकुल ठीक ही मालूम होता है, लेकिन थोड़ी-सी लीगल डिफीकल्टी है। जिला परिषद् अभी तक हम लोगों के दिमाग में है। वह लीगल एन्टिटी नहीं बनी है। अन्तरिम जिला परिषद् भी एक आर्डिनेन्स के मातहत बना है और यहां विधेयक पारित तो हो गया है, लेकिन अभी कौंसिल ने उसको स्वीकार नहीं किया है। वहां पर अभी वह चल रहा है और गवर्नर महोदय की स्वीकृति भी उसको नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में इसमें जिला परिषद् का नाम लेना तो उचित वैसे भी न होगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अभी एक कायम चीज है और जो चीज उसको रिप्लेस करेगी वह आटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जगह आ जायगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हम यहां रख रहे हैं तो हम जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बदल कर के जिला परिषद् बनायेंगे तो जिला परिषद् आटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिस-जिस जगह पर आयेगा वहां पर जिला परिषद् समझा जायगा। उस विधेयक में या उस ऐक्ट में वह चीज आ जायगी और अगर अब इसको हम बदलते हैं तो फिर हमें कौंसिल में जाना होगा और वहां स्वीकृति लेनी होगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि हम यहां 'जिला बोर्ड' रख दें। इसके बाद जब हम दूसरा ऐक्ट लायेंगे उसमें प्रोवाइड कर देंगे कि जहां जहां जिला बोर्ड का प्रेसीडेंट है वहां उस की जगह जिला परिषद् का प्रेसीडेंट समझा जाय। इस तरह से यह दिक्कत रफा हो जायगी। इसके अलावा यह विधेयक ऐसा नहीं है कि इस वक्त इसका दो-तीन जगह से कोई ज्यादा फौरी अमल होगा और अगर कोई जिला मैजिस्ट्रेट रख दिया तो उससे कोई आसमान नहीं फटने वाला है, बाद में तो आटोमेटिकली जिला परिषद् के प्रेसीडेंट आ ही जायंगे।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष—आप इस समय केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने सुना मंत्री जी ने अभी कहा कि जिला परिषद् की कोई कानूनी अवस्था नहीं है, मेरा खयाल है ऐसा कहना अब उचित नहीं है। जो अध्यादेश सरकार का हुआ है वह क्या गैरकानूनी है ?...

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने कहा कि जिला परिषद् की अभी कोई रूपरेखा नहीं है, अन्तरिम जिला परिषद् की है ।

श्री राजनारायण—ऐसा नहीं कहा श्रीमन्, उन्होंने कहा कि अन्तरिम जिला परिषद् की कोई कानूनी लीगेलिटी नहीं है। अध्यादेश भी कानून के लिहाज से समझना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री जी कृपया बता दें कि मैंने ठीक सुना था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, आपने ही ठीक समझा और राजनारायण जी ने तो अपने स्वाभाव के अनुकूल जैसा कि वह समझा करते हैं, गलत समझा।

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ग) का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे कोई लम्बा व्याख्यान नहीं करना है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा जैसा कि उन्होंने कहा कि जिला अन्तरिम परिषद् की कोई लीगेलिटी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—केवल उपखंड (२) का भाग (ग) निकाल दिया जाय यह तो संशोधन हो सकता है और आप पूरे खंड का विरोध कर रहे हैं....

श्री प्रतापसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) का भाग (ग) निकाल दिया जाय ।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी अन्तरिम जिला परिषद् की कोई लीगेलिटी नहीं है, जिस समय इस विधेयक का रूप निर्धारित किया जा रहा था उस समय जिला बोर्ड था, उस समय यह अनुचित नहीं था। लेकिन अब जिला बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, यह हम नहीं कहते कि आप किस को रखें। इसको हटा दिया जाय ताकि लीगेलिटी आ जाय। भविष्य में इसे आप जैसे भी रखें लेकिन अब यह इस रूप में है कि—"उस जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट जिस में विनियमित क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग स्थित हो" अगर ऐसी चीज होगी तो लोग जो इसको पढ़ेंगे वह इस सदन के सदस्यों की बुद्धि को क्या कहेंगे। इसलिये अपनी बुद्धि की इज्जत रखते हुये इसको निकालने की कृपा की जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग इसको पढ़ेंगे वह माननीय सदस्यों की बुद्धि की भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे, क्योंकि अगर नहीं रखते हैं तो जो जिला परिषद् आयेंगी तब फिर इसे संशोधित करना होगा। लेकिन इस तरह से रखने पर फिर संशोधन करने की जरूरत न होगी और आटोमेटिकली भाषा ठीक हो जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खंड ४ के उपखंड (२) का भाग (ग) है उसके निकालने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। यह भी ठीक उसी प्रकार का है जैसा कि श्री जयराम वर्मा का संशोधन था। उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर कुछ रख दिया जाय और ये कहते हैं कि कुछ निकाल दिया जाय। बात यह है कि यह विधेयक विचित्र है, यह धारा भी विचित्र है। विचित्र हम भी हैं जो इसको पकड़ लाये हैं और इसके बनाने वाले भी विचित्र हैं। तो इस विचित्रता के बीच में सब से बड़ी विचित्रता यह है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट इसका सदस्य होगा। इस समय दोनों में से कोई नहीं है। अध्यादेश के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त हो गये, दूसरी चीज बन गयी, परन्तु

[श्री शिवप्रसाद नागर]

विनियमन विधेयक वही बना रहा। जरूरत यह थी कि विधेयक इस चीज को संशोधित करके इसे पेश किया जाता। यह गलती रह गयी है और मेरा खयाल है कि मंत्री जी इसको मन में समझ रहे हैं। यह दूसरी बात है कि सदन में इसको व्यक्त न करें कि इसमें थोड़ा-सा फ्ला रह गया है। अब हम सुझाव दे रहे हैं और उसके लिए उनकी तरफ से यह दलील भी है कि अगर यह स्व कार किया जाय तो ६ महीने इसमें और लग जायंगे और फिर उलटा-पलटा किया जायगा। तो देर तो जरूर लग जायगी लेकिन जिस चीज को ६ महीने बाद स्वीकार करना है उसको अभी स्वीकार कर लें, जो कुछ करना है तुरन्त हो जाय। "तुरन्त दान महा कल्याण" हो जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री राजनारायण—मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि जो अन्तरिम जिला परिषद् के संबंध में अध्यादेश जारी हुआ—यह माननीय मंत्री जी की बात सही हो सकती है कि अभी वह कानून नहीं बना और विधान परिषद् में है—मगर अध्यादेश तो अपनी जगह पर है—जब तक वह एनफोर्स है। तो जब वह रिपील हो गया अध्यादेश के जरिये तो अध्यादेश में कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट नहीं रह गया है। अब तो अन्तरिम जिला परिषद् होगा और उसका अध्यक्ष कलेक्टर होगा। तो जब वह है ही नहीं तो क्या उसको किसी विधेयक में लाना यह अवैध नहीं होगा ?

श्री त्रिविक्रमनारायण शर्मा—श्रीमन्, अभी तक हमारा जो खयाल है वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुई। अन्तरिम जिला परिषद् का चुनाव नहीं हुआ, वह बनी नहीं है इस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो मतलब है वह अन्तरिम जिला परिषद् से है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और अन्तरिम जिला परिषद् करीब-करीब एक ही जगह दोनों शब्द आ रहे हैं और जो अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के है वह अन्तरिम जिला परिषद् को मिल रहे हैं। साथ ही अभी अन्तरिम जिला परिषद् का विधेयक पारित नहीं हुआ है, उससे पहले यह पारित हो जायगा और वह ऐक्ट जब पारित होगा तो इसके अन्दर "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" शब्द विधेयक में आया है वह उसके अन्दर अपने आप चला जायगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, यह एक विशेष आश्चर्य की बात प्रतीत होती है कि इसके संबंध में दो रायें नहीं हैं कि इंटेरिम जिला परिषद् का जो आर्डिनेंस है वह अभी चालू है और उसके बाद यह विधेयक इस हाउस से पास हो चुका है और उस सदन से भी पारित हो जायगा। अतः यह कहना इस समय कि जो माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, मेरी समझ में उनको थोड़ा सा भ्रम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट रिपील नहीं हुआ है। एक ऐक्ट का रिपील हो जाना दूसरी चीज है। अब भी इस सूबे में बहुत से ऐक्ट हैं, जैसे कि अवध स्टेट्स ऐक्ट, ताल्लुकेदारी ऐक्ट। जमींदारियां खत्म हो गयीं, लेकिन अवध स्टेट्स ऐक्ट अब भी लागू है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट रिपील नहीं हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् अपनी जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वह डिजाल्व हो गये हैं, उनका डिस्सोल्यूशन हो चुका है, दूसरी रूपरेखा बन चुकी है और अन्तरिम जिला परिषद् से उनको सब्सटीट्यूट किया गया है। अन्तरिम जिला परिषद् का जो कानून है वह चाहे आदेश के द्वारा और आर्डिनेंस के द्वारा रिलैप्स हो, वह दूसरे सदन से पारित हो जायगा। अतः मैं समझता हूं और मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिला परिषद् तो खत्म हो गये हैं और वह दूसरे नाम से आते हैं अन्तरिम जिला परिषद् और उनके संबंध में हम एक कानून भी पास कर चुके हैं। इसलिये इसके बारे में यह कहना अनुचित है। लिहाजा मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, कि वह जिला परिषद् न रखें, वह गलत होगा। मालूम नहीं बाद में किस नाम से पुकारें। लेकिन अन्तरिम जिला परिषद् करने में कोई आपत्ति नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिहाजा यह निकल आये तो इसे समाप्त कर दिया जाय। इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठती है बल्कि एक भ्रम-सा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कतई मंशा बोलने का नहीं था। लेकिन जो विवाद चल खड़ा हुआ है उसके संबंध में एक बात मेरे दिमाग में आई। इसलिये मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी नाचीज राय माननीय मंत्री जी के पेशेनजर कर दूं। हमारी सब की राय यह है कि जो भी बिल पास करें, ऐसा न हो कि वह कल को इन्वेलिडेट हो जाय। ऐसा न तो हम ही चाहते हैं और न मंत्री जी ही चाहते हैं। हमने जो बिल पारित किया है वह अभी पास नहीं हुआ है। अभी तक उसको लीगल सैंक्शन नहीं प्राप्त हुई है। जब तक बिल पारित न हो जाय तो तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भंग किये जाने को, आपके आर्डिनेन्स को वेलीडेट करता है बिल पास होने पर तो वह सब वेलीडेट हो जायगा अब वर्तमान बिल में कोई ऐसी उल्टी बात न रक्खी जाय, रखते हैं, जहां तक अन्तरिम परिषद् आर्डिनेन्स के अनुसार जिला बोर्ड ऐक्ट की वे धारायें जो आर्डिनेंस या उससे संबंधित बिल के विरुद्ध हों वे रद्द समझी जायेंगी, इसके अर्थ हुये कि नए अन्तरिम परिषद् बन जाने से पुराने बोर्ड व उसके प्रेसीडेंट के पद समाप्त हो गए, मौजूदा बिल में मंत्री जी उन समाप्त हुये बोर्ड के प्रेसीडेंट को रखते हैं। इससे यह बिल या इतना हिस्सा अवैध हो जायेगा। इसे न रक्खा जाय। आप यह अनुचित शब्द रख रहे हैं। यह तो ऐसा ही हो जायगा जैसे आपका सेल्स टैक्स वेलीडेट ऐक्ट वेलीडेट करने को आया था....

श्री उपाध्यक्ष—आप मुझसे कहें, माननीय मंत्री जी से न कहें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, जिस वक्त हमारे यहां सेल्स टैक्स वेलीडेट करने का विधेयक आया था उस समय रूल्स बने नहीं थे और जब रूल्स बने तो ऐक्ट लैप्स हो गया था इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसकी लीगेलिटी को देख लें। अगर देख ली हो तो ठीक है वरना ऐसा न हो कि अदालत में यह चीज उठे।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री जी इसको मुनासिब समझेंगे कि इसको इस समय मुल्तवी कर दिया जाय या वह इस संबंध में स्पष्ट हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट को मंगाया है। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की एनटाइटी अभी खत्म नहीं हुई है। इस लिये अगर जिला अन्तरिम परिषद् रख दें तो गलत नहीं हो सकता है। लेकिन हम आर्डिनेंस पास कर चुके हैं। इसमें दिक्कत एक ही है कि इसको कौंसिल में ले जाना पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कई जगह आया है। उसको हम जिला परिषद् या अन्तरिम जिला परिषद् के नाम से बदल रहे हैं तो यह भी बदल जायगा। यह मेरी धारणा है और इसके पास होने के बाद आर्डिनेन्स खत्म हो जायगा। लेकिन वह ऐक्ट खत्म होगा बाद में। इसलिए मैं समझता हूं कि वह दिक्कत इसमें नहीं आयेगी। लेकिन बहुत श्योरिटी से मैं भी नहीं कह सकता हूं कि यह दिक्कत इसमें नहीं आयेगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो वैधानिक प्रश्न मैंने प्रस्तुत किया, उसके समर्थन में जो उत्तर प्रदेश जिला अन्तरिम परिषद् विधेयक है उसको आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं। इसमें लिखा है—

"३ (क)—उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बोर्ड, जिनके अन्तर्गत भदोही का उप-जिला बोर्ड भी है, तथा उपर्युक्त ऐक्ट के अधीन संघटित ऐसे बोर्डों की समस्त कमेटियां कृत्य संपादन समाप्त कर देंगी तथा ऐसे प्रत्येक बोर्ड के सब सदस्य और प्रेसीडेंट तथा ऐसी प्रत्येक कमेटी के सब सदस्य अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि उन्होंने अपने-अपने पद रिक्त कर दिये हैं।"

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझ गया। आप कृपया बैठ जायं।

श्री राजनारायण---अगर इसको नहीं मानेंगे, तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सम्मानित सदस्यों की बुद्धि पर बाहर के लोग तरस खायेंगे, ऐसी बात नहीं है, बाहर के लोग उल्टे उनकी बुद्धि पर अवश्य तरस खायेंगे। यह वैधानिक प्रश्न है। उनको मान लेना चाहिए कि गलती पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष---जो व्यवस्था का प्रश्न रखा गया है वह व्यवस्था के प्रश्न में आता नहीं। दोनों तरफ से जो दलीलें रखी गयी हैं उनमें काफी वजन है। लेकिन एक प्रश्न माननीय राजनारायण जी के सामने विचाराधीन है कि अध्यादेश के बारे में जो अधिनियम बनने वाला है वह प्रक्रिया क्या है? अगर इस बीच में सरकार अध्यादेश को वापस ले ले तो फिर क्या होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहेगा या नहीं? माननीय मंत्री जी ने जो दलीलें पेश कीं उनमें भी जोर है। लेकिन परम्परा यही रही है कि अध्यक्ष ऐसे मामलों में अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। हमारे संविधान के अनुसार अगर कोई लीगल डिफिकल्टी ला में रखी जाती है तो उसके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनी हैं। उनका काम अध्यक्ष अपने ऊपर नहीं लेना चाहते और इसलिये ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते कि यह अंश इसमें नहीं आ सकता। अब अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो माननीय राजनारायण जी को अधिकार है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जायं।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह---मुझे आप से और आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना है कि यह डिस्कशन कुछ देर के लिए मुल्तवी कर दीजिये, तब तक वह भी राय ले लें और हमको भी और देखने का मौका मिल जाता है। यह तो मैं पहले ही अनुरोध कर चुका था कि यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है लेकिन जहां तक इसके सस्पेंशन का सवाल है सस्पेंशन आवश्यक है। खुद भी स्वीकार कर लीजिये और उनको भी मना लीजिये।

श्री राजनारायण---मुख्य प्रश्न.....

श्री उपाध्यक्ष---मेरी व्यवस्था हो चुकी।

श्री राजनारायण---मैं व्यवस्था पर नहीं आ रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह विधेयक है, आज है, कल के लिये तो आप यह कह सकते हैं कि इस विधेयक को ही सरकार वापस ले ले। आज जो स्थिति है आज की स्थिति में अध्यादेश के मुताबिक जिला परिषद् बनी है।

श्री उपाध्यक्ष---अगर आप माननीय मंत्री जी से कोई निवेदन करना चाहते हों.....

श्री राजनारायण---मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भविष्य में क्या होगा इस पर सरकार न जाय।

श्री उपाध्यक्ष---सुझाव क्या दे रहे हैं? इसको मुल्तवी कर दिया जाय?

श्री राजनारायण---इसको मुल्तवी करें या जो संशोधन दे रहे हैं वह मान लें क्योंकि अगर इस रूप में जायगा तो सरकार की भी हंसी होगी, हम लोगों की हंसी तो होगी नहीं क्योंकि हमने तो विरोध कर दिया और अगर बहुमत होता तो खत्म भी कर देते।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जहां तक राजनारायण जी की दिक्कत है वह तो काल्पनिक है। जो चुने हुये मेम्बर्स थे, वे अब नहीं रहे। अर्थात् बोर्ड्स एज़ कांस्टीच्यूटेड अब नहीं है पर जिला बोर्ड की लीगल एन्टिटी या उसकी मिल्कियत अभी खत्म नहीं की गई है। लेकिन उधर की ही तरफ से जो यह प्रस्ताव आया है कि इस क्लाज को एक मिनट या दो मिनट के लिये स्थगित कर दिया जाय और आगे के क्लाज हम खत्म कर लें इस में मुझे कोई आपत्ति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। लीगल राय के लिये हम इसको भेज देते हैं और तब तक यह राय भी आ जायगी। आगे के क्लाज अब हम ले लें और इस को बाद में ले लेंगे।

(संशोधन पर विचार स्थगित किया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--अब यह सारा विवाद खत्म होता है। मैं अब आगे के संशोधनों पर गिलोटिन करूंगा। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि जो प्रस्ताव मैं पेश करूंगा उसकी जानकारी माननीय सदस्य उठकर करायेंगे कि वह उस को पेश करना चाहते हैं। अगर वे बैठे रहेंगे तो यह समझा जायगा कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (घ) की पंक्ति १ के शब्द "एरिया" तथा चिन्ह "," के बीच में शब्द "अथवा टाउन एरिया" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (घ) के पश्चात् एक नया भाग (ङ) निम्नप्रकार से रख दिया जाय:--

"(ङ) उस क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न लिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--३५,

विपक्ष में--११८।)

श्री उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (घ) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (ङ) रख दिया जाय :--

"(ङ) विधान सभा का वह सदस्य जिसके क्षेत्र में विनियमित क्षेत्र स्थित हो अथवा जो विनियमित क्षेत्र से संलग्न हो"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष-- अभी खंड ४ में छोड़े दे रहा हूं।

खंड ५

किसी विनियमित क्षेत्र के संबध में आदेश प्रचारित करने का अधिकार।

५--नियंत्रक प्राधिकारी सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके जो धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के प्रचारित होने से दो वर्ष के पश्चात् न हो, निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के सम्बन्ध में, किसी विज्ञापित क्षेत्र के लिये ऐसे आदेश प्रचारित कर सकता है जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रचारित किन्हीं सामान्य आदेशों से असंगत न हों और जो आवश्यक समझें जायं; अर्थात्:--

(क) किसी स्थल (site) का भवनों के निर्माण के निमित्त टुकड़ों में विभाजन तथा वह रीति जिसके अनुसार ये टुकड़े भावी क्रेताओं अथवा पट्टेदारों को प्रदिष्ट किये जायं;

(ख) सड़कों, खुली जगहों, उद्यानों, मनोरंजन स्थलों, स्कूलों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि की प्रदिष्टि (allotment) अथवा संरक्षण;

(ग) किसी स्थल का नगरी (township) अथवा उपनिवेश के रूप में विकास तथा वे निरोध एवं प्रतिबन्ध जिनके अधीन रहते हुये ऐसा विकास कार्य आरम्भ किया जाय अथवा संपादित हो;

(घ) किसी स्थल पर मकानों का निर्माण तथा भवनों के चारों ओर अथवा भवनों में रखी जाने वाली खुली जगहों के संबंध में तथा ऐसे भवनों की ऊंचाई तथा प्रकार के संबंध में निरोध तथा प्रतिबन्ध;

(ङ) किन्हीं स्थलों पर भवनों का पंक्तिबद्ध (alignment) करना;

(च) किसी स्थल पर बनाये जाने वाले किसी भवन के उत्सेध अथवा सामुख्य (elevation or frontage) विषयक वास्तु-कला संबंधी विशेषतायें (architectural features);

(छ) निवास-भवनों की संख्या जो किसी एक स्थल पर बनाये जा सकें;

(ज) किसी ऐसे स्थल पर अथवा भवनों से संबद्ध दी जाने वाली सुख-सुविधायें जो चाहे भवन-निर्माण से पूर्व अथवा पश्चात् दी जाती हों तथा वह व्यक्ति अथवा प्राधिकारी जिसके द्वारा ये सुख-सुविधाएं दी जायंगी;

(झ) किसी स्थान (locality) में दूकानों, कारखानों, गोदामों, फैक्ट्रियों अथवा किसी विशिष्ट वास्तुकला वाले भवनों अथवा विशेष प्रयोजनों के निमित्त भवनों के निर्माण के संबंध में निषेध अथवा निरोध (restrictions);

(ञ) दीवालों, बाड़ों (fences), झाड़ो से बनी टट्टियों (hedges) अथवा अन्य रचनात्मक अथवा वास्तु-कलात्मक विनिर्माण (structural or architectural construction) का रखरखाव तथा ऊंचाई जिस तक वे रखे जायेंगे;

(ट) भवनों के निर्माण से भिन्न प्रयोजनों के निमित्त किसी स्थल के प्रयोग के सम्बन्ध में निरोध;

(ठ) अन्य कोई विषय जो किसी विनियमित क्षेत्र के उचित आयोजन के निमित्त अथवा ऐसे क्षेत्र में भवनों के अनियोजित (haphzard) निर्माण को रोकने के निमित्त आवश्यक हो :

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति २ के शब्द 'दो वर्ष' के स्थान पर शब्द 'छः माह' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष --प्रश्न यह है कि खंड ५ की प्रथम ५ पंक्तियों के स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जाय:

"नियन्त्रक प्राधिकारी सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में ऐसे आदेश प्रचारित कर सकता है जो आवश्यक समझे जायं, अर्थात्:...."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ५--क

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ५--क के रूप में रख दिया जाय :

"५--क--गांवों में सुनियोजित विकास के लिये निम्नकार्य करना नियत प्राधिकारी के लिये आवश्यक होंगे :

१--वाटर सील लैट्रिन का निर्माण कराना,
२--गांव के रास्तों का निर्माण,
३--कम्पोस्ट -खाद के लिये गड्ढों का निर्माण,
४--गांवों में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था,
५--स्कूलों का निर्माण,
६--कृषि कर्मशालाओं का निर्माण,
७--मनोरंजन गृहों का निर्माण,
८--पुस्तकालयों की व्यवस्था करना,
९--ईंट पकने के लिये कोयला आदि की व्यवस्था करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ६

विनियमित क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण कार्यों का नियंत्रण।

६--कोई व्यक्ति किसी विनियमित क्षेत्र में, धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेशों के विपरीत, यदि कोई हों, तथा नियत प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी स्थल का विकास कार्य न तो आरंभ करेगा और न उसे पूरा करेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण करेगा या कोई खोदाई करेगा या खोदाई को बढ़ायेगा, और न ऐसे क्षेत्र में किसी सड़क से मिलने वाला कोई रास्ता बनायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध कर रख दिया जाय :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी आवेदन पर यदि उसकी प्राप्ति के तीन माह के अन्दर उस पर कन्ट्रोलिंग अथारिटी कोई आज्ञा न दे तो आवेदनकर्ता को यह अधिकार प्राप्त हो जायगा कि वह उसके अनुसार कार्य करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७ और ८

अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र।

७--(१) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करना चाहता हो, नियत प्राधिकारी के पास ऐसे आकार में तथा ऐसी सूचना सहित जो विकास, भवन, खोदाई अथवा रास्तों के संबंध में, जिससे कि प्रार्थना-पत्र सम्बद्ध हो, नियत हो, लिखित प्रार्थना-पत्र देगा।

(२) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, नियत प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेशों के सम्बन्ध में अथवा अन्य किसी विषय के संबंध में आवश्यक समझे, तथा ऐसे आदेशों का ध्यान रखते हुए, या तो ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन यदि कोई हों, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायं अनुज्ञा दे देगा अथवा ऐसी अनुज्ञा नहीं देगा।

(३) यदि धारा ५ में उल्लिखित आदेशों के प्रचारित होने के पश्चात् अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो पूर्वोक्त आदेशों के प्रकाशन अथवा ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति, इनमें से जो भी पश्चात् हो, ९० दिन के भीतर ऐसी अस्वीकरण के आधार ऐसी रीति से जो नियत की जायं प्रार्थी को संदिष्ट किये जायंगे।

(४) यदि उपधारा (३) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की आज्ञा संदिष्ट न की जाय तो प्रार्थी लिखित संदेश द्वारा इस अकरण (omission)अथवा उपेक्षा (neglect) की ओर नियत प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और यदि ऐसा अकरण (omission) अथवा ऐसी उपेक्षा (neglect) आगे ३० दिन की अवधि-पर्यन्त बनी रहती है तो यह समझा जायगा कि नियत प्राधिकारी ने प्रस्तावित कार्य की अनुज्ञा दे दी है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायगा जिससे धारा ५ के अधीन प्रसारित आदेशों का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति कार्य करने के लिये अधिकृत हो।

भवनों में प्रवेश का अधिकार।

८—नियत प्राधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भी भवन अथवा स्थल में अथवा उस पर सहायकों या श्रमिकों सहित अथवा उनके बिना निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त प्रवेश करने के लिये अधिकृत कर सकता है—

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप, भू-मापन (survey) अथवा ऐसे स्थल या भवनों के समतल जानने (taking levels) के लिये;

(ख) निर्माणाधीन कार्यों के परीक्षण के अथवा मल-निष्कासन (sewers) अथवा जल-निष्कासन (drains) प्रणाली का पता लगाने के लिये;

(ग) यह पता लगाने के लिये किसी स्थल का विकास अथवा भवन का निर्माण, धारा ५ के अधीन प्रचारित किसी आदेश का उल्लंघन करते हुये अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करते हुये जिसके अधीन उक्त अनुज्ञा दी गई है, हुआ है अथवा हो रहा है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच समय को छोड़ कर अथवा अध्यासी को कम से कम २४ घंटे का लिखित नोटिस दिये बिना अथवा यदि कोई अध्यासी न हो तो भवन अथवा भूमि के स्वामी को ऐसा नोटिस दिये बिना, कोई प्रवेश न किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

"अनुज्ञा देने की दशा में नियत प्राधिकारी उन कारणों को लिखेगा जिनके आधार पर अनुज्ञा नहीं दी गयी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (४) की पंक्ति १ के शब्द "उपधारा (३) में उल्लिखित" के स्थान पर शब्द "एक महीने की" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९--१४

शास्तियां (Penalties)

९--(१) किसी व्यक्ति (person) को, जो धारा ५ के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करके अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन कर के जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गई हो, किसी स्थल का विकास अथवा किसी भवन का निर्माण अथवा कोई खोदाई का करना या उसका बढ़ाना अथवा किसी सड़क के लिये रास्ते का बनाना आरम्भ करता है अथवा उसे पूरा करता है (undertakes or carries out), दस हजार रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है और अपराध अनवरत रूप से होने की दशा में अपराध के निमित्त प्रथम दोष-सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के निमित्त, जिसमें कि अपराध जारी रहे, उसे पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और भी अर्थदंड दिया जा सकता है।

(२) किसी व्यक्ति को, जो धारा ८ के अधीन किसी भवन या भूमि में अथवा उस पर प्रवेश करने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति के प्रवेश में विघ्न डालता है अथवा उसे ऐसे प्रवेश के पश्चात् अर्दित (molest) करता है, एक हजार रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है।

(३) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी के व्यवसाय के परिचालन के निमित्त अवधायक (incharge) था तथा कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था तथा कम्पनी स्वयं अपराध के दोषी समझे जायंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उन्हें तदनुसार दंड दिया जा सकेगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा में किसी बात से किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में व्यवस्थित दंड का भागी नहीं माना जायगा जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध का होना रोकने के लिये सभी प्रकार का उचित प्रयास किया था।

(४) उपधारा (३) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी डायरेक्टर, प्रबंधक, सेक्रेटरी अथवा अन्य अधिकारी की सहमति से अथवा गुप्त सहयोग (connivance) से हुआ है अथवा उस की ओर से उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा डायरेक्टर, प्रबन्धक, सेक्रेटरी अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे तदनुसार दंड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:--- इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त---

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित संस्था (body corporate) से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई एसोसियेशन भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "डायरेक्टर" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

कुछ दशाओं में भवन गिराने की आज्ञा।

१०—यदि धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेश का उल्लंघन करके अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके जिसके अधीन अनुज्ञा दी गई हो किसी भवन का निर्माण आरम्भ किया गया हो अथवा निर्माण हो रहा हो अथवा निर्माण पूर्ण हो चुका हो, तो नियत प्राधिकारी किसी ऐसे अभियोजन (prosecution) के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन निविष्ट किया जाय, यह आज्ञा दे सकती है कि उसका स्वामी ऐसे निर्माण को ऐसी अवधि के भीतर जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय और जो किसी दशा में दो मास से अधिक न होगी, गिरा दे और स्वामी द्वारा आज्ञा का अनुपालन न किये जाने पर नियत प्राधिकारी उसे स्वयं गिरवा सकता है तथा इस प्रकार गिरवाने का व्यय उसके स्वामी से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा जैसे कि मालगुजारी की बकाया (as arrears of land revenue):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसी आज्ञा तब तक जारी नहीं की जायगी जब तक कि स्वामी को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार।

११—प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध की सुनवाई न कर सकेगा।

अभियोजन के निमित्त नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति।

१२—इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अभियोजन नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति बिना निविष्ट नहीं किया जायगा।

मैजिस्ट्रेट का अभिवर्धित शास्तियां आरोपित करने का अधिकार।

१३—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ३२ में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिये वह वैध होगा कि वह उक्त धारा के अधीन अपने अधिकारों से अतिक्रान्त इस अधिनियम द्वारा अधिकृत दंडाज्ञायें पारित करे।

आदेश देने का राज्य सरकार के अधिकार।

१४—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के किसी विनियमित क्षेत्र अथवा सामान्यतया सब विनियमित क्षेत्रों के लिये धारा ५ में अभिदिष्ट समस्त विषयों अथवा किसी विषय के सम्बन्ध में आदेश दे सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति ६ व ७ के शब्द "दस हजार" के स्थान पर "५०० रु०" तथा पंक्ति ९ के शब्द "पांच सौ" के स्थान पर अंक "५० रु०" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड ९ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ से १४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५, १६ व १७

१५—(१) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञा देने या न अनुज्ञा स्वीकार देने की कोई आज्ञा, उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगी और उस पर भी किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ; अथवा अस्वीकार

(२) धारा ७ के अधीन अनुज्ञा देने या न देने की आज्ञा से क्षुब्ध कोई करने वाली व्यक्ति ऐसी आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष आज्ञायें अंतिम अपील कर सकता है और नियंत्रण प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस होंगी। पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

१६—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति सद्भाव से किये के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत गये कार्य का निर्मित नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसको उक्त प्रकार सरक्षण। से करने का उद्देश्य हो ।

१७—किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अन्य विधियों से अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे । असंगत इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभाव।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबंध रख दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि प्रदेशीय सरकार के समक्ष (revision) दे सकें ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५, १६ और १७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १८ व १९

१८—इस अधिनियम में कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी— अपवाद (Saving)

(क) किसी भवन के रखरखाव, सुधार अथवा अन्य किसी परिवर्तन के निमित्त ऐसे निर्माण-कार्य का किया जाना जिससे केवल भवन के भीतरी भाग (interior) पर ही प्रभाव पड़ता हो अथवा जिनसे भवन के बाह्यरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़ता हो ;

(ख) राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा मल-निष्कासनों (sewers), मेनों (mains), नलों, केबिलों (cables) अथवा अन्य उपकरणों को. जिसके अन्तर्गत तदर्थ किसी सड़क अथवा अन्य भूमि का तोड़ा जाना भी है, निरीक्षण, मरम्मत करने अथवा नये करने के संबंध में किया जाने वाला कार्य ;

(ग) ऐसे भवन का निर्माण जो निवास-गृह न हो, यदि ऐसा भवन कृषि के अनुसेवी प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित हो ;

(घ) किसी गोव के, जैसा कि वह राजस्व अभिलेखों में परिभाषित हो, आवासित स्थल (inhabited site) के अन्तर्गत भूमि पर भवनों का निर्माण ;

(ङ) पूजा स्थान या कब्र या स्मारक (Cenotaph) का, अथवा कब्रिस्तान, पूजा का स्थान, स्मारक अथवा समाधि को घेरने वाली दीवाल का ऐसी भूमि पर निर्माण जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, ऐसे पूजास्थान, कब्र, स्मारक कब्रिस्तान अथवा समाधि के प्रयोजन के लिये या उससे अध्यासित हो, ;

(च) कृषि संबंधी क्रियाओं के साधारण दौरान में खोदाई (जिसके अन्तर्गत कुएं भी हैं) ;

(छ) एक मात्र कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि पर पहुंचने के उद्देश्य से कच्ची सड़क बनाना ।

विनियम बनाने का अधिकार।

१९—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्ति विनियम बना सकती है ।

(२) विशेषत: एवं पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए ऐसे विनियम निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) नियंत्रक प्राधिकारी के अधिवेशनों को बुलाना तथा करना, समय तथा स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किये जायं, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा व्यवहृत किये जाने वाले समस्त कार्यों का परिचालन तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के संपादन में नियत प्राधिकारी द्वारा परिपालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) नियंत्रक प्राधिकारी तथा नियत प्राधिकारी की आज्ञाओं तथा अन्य करणों (instruments)के प्रमाणित करने(authentication) की रीति ;

(घ) धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने का आकार तथा इस प्रार्थना-पत्र में दी जाने वाली सूचना ;

(ङ) सड़क पर पहुंचने के रास्तों के बनाने का विनियमन ;

(च) वे सिद्धान्त जिनके अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा के निमित्त प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये जा सकें ;

(छ) धारा १५ के अधीन अपील करने की रीति तथा अपील में नियंत्रक प्राधिकारी की प्रक्रिया ;

(ज) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (क) की पंक्ति ३ व ४ के शब्द "भवन के भीतरी भाग (interior) पर ही प्रभाव पड़ता हो" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (छ) की पंक्ति १ के शब्द "कृषि प्रयोजनों' के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक हित" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ और १९ इस विधेयक के अंग बन जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार, तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के शब्द "कार्य" तथा "विनियमन" के बीच में शब्द "विकास एवं" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"इसका प्रसार केवल उन्हीं क्षेत्रों में होगा जिसके मास्टर प्लान बन चुके हैं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक व प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश में निर्माण-कार्यों के विनियमन करने की व्यवस्था करने का विधेयक

यह इष्टकर है कि नागर एवं ग्राम्य क्षेत्रों के अनियोजित विकास को रोकने के उद्देश्य से निर्माण-कार्यों के विनियमन की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना की पंक्ति २ के शब्द "रोकने" "तथा के उद्देश्य" के बीच में शब्द "एवं सुनियोजित निर्माण-कार्यों का विकास करने" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संपूर्ण विधेयक में जहां-जहां शब्द "नागर" आया है, निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी की स्थगित संशोधन पर क्या राय है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे एक दिक्कत और होगी कि इसके पहले श्री जयराम वर्मा जी का एक दूसरा संशोधन था जिसको उन्होंने विदड्रा कर लिया उसको मैं रिजेक्ट कर चुका हूं। तो इसमें कोई दिक्कत भारी नहीं है, इसको ऐसे ही चलने दीजिये, बाद में देखा जायगा।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, श्री जयराम वर्मा का संशोधन तो प्रेसिडेंट को रखने का था और मेरा संशोधन उसे निकाल देने का है तो जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, श्री जयराम जी वर्मा का और मेरा संशोधन एक तरह का नहीं है। श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् का कौन सा ऐक्ट आ जायगा तो आटोमेटिकली एडाप्ट हो जायगा। जब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् हैं ही नहीं, तो कोई ऐसा ऐक्ट कहां से आयेगा ? जो अमेंडमेंट ऐक्ट आयेंगे वे तो आयेंगे ही लेकिन कोई आटोमेटिक तो आयेगा नहीं। फिर मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने प्रेसिडेंट को कैसे रखा और आटोमेटिकली कैसे कोई ऐक्ट आ जायगा, इसको कृपया बतला दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश के थोड़े से शब्द पढ़ देता हूं, उनसे दिक्कत हल हो जायगी।

"All powers, functions and duties of the District Board, or any committee thereof in respect of all matters including funds and property, whether under the enactment aforesa'd or any other law shall be vested in the Antarim Zila Parishad, and shall for the purposes of the adminis tration of U. P. District Boards Act, 1922 and any other law, be exercised-performed and discharged by or under the authority of the Antarim Zila, Parishad, which shall be deemed in law to be the Disttrict Board or Committee, as the occasion may require;"

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी अंग्रेजी में ऐक्ट पास करवाना चाहते हैं जो उन्होंने अंग्रेजी में हवाला दिया ? अगर अंग्रेजी ही असल है तो उसमें उसी तरह का संशोधन हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) का भाग (ग) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ [U.P. (Regulation of Building Operation) Bill, 1957] जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं इसका विरोध इस आधार पर कर रहा हूं कि इसमें जो जो संशोधन रखे गये उनको सरकार ने स्वीकृत नहीं किया। विशेष रूप से खंड ५ में श्री रामस्वरूप वर्मा ने जो संशोधन रखा था . . . .

श्री उपाध्यक्ष—मैं अवस्थी जी से कहूंगा कि नियम के अनुसार जो संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं, उन्हीं के ऊपर वाद-विवाद हो सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूं कि सरकार ने किसी संशोधन को नहीं माना और ग्रामीण जनता को जो अधिकार देने की बात थी उस अधिकार की उसने अवहेलना की, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी को कुछ कहना है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अनावश्यक है कुछ कहना ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ [U.P. (Regulation of Building Operation) Bill, 1957] जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९५४–५५ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—अब १९५४–५५ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विवाद होगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि चूंकि इस में २ ही घंटे बोलने के लिये हैं और बहुत लोग बोलना चाहते हैं इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेता लोग यदि बोलें तो उनके लिये १० मिनट और सब सदस्य ८ मिनट ही बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—इसके सम्बन्ध में और कोई सुझाव है ?

(एक क्षण के अनन्तर)

तो ठीक है नेताओं के लिये १० मिनट और अन्य सदस्यों के लिये ८ मिनट रहेंगे ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५४–५५ की पब्लिक सर्विस कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट हम लोगों के सम्मुख इस समय विचाराधीन है । यह रिपोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ११ सितम्बर, १९५६ को सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी थी । उसके बाद सम्भवतः मार्च, १९५७ में यह रिपोर्ट सरकार ने प्रकाशित की, और अगस्त, १९५८ में यह सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गई और आज इस पर विवाद हो रहा है ।

साल डेढ़ साल से पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिस रिपोर्ट को सरकार को प्रस्तुत किया वह रिपोर्ट आज पौने दो साल बाद हम लोगों के सम्मुख विचाराधीन है । मैं समझता हूं कि ऐसी रिपोर्टों को आदरणीय सदन में बहुत पहले ही उपस्थित हो जाना चाहिये था । जब इतने दिनों के बाद ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत होती हैं तो उन पर विचार विमर्श करने का कोई सही लाभ नहीं हो पाता है ।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, प्रजातंत्र की सफलता इसी बात में है कि उसमें ईमानदारी और स्वतंत्रता पर ज्यादा से ज्यादा गौर किया जाय और इसी की प्राप्ति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गयी थी जिसके द्वारा निष्पक्ष और योग्य कर्मचारी सरकारी कार्य के लिये नियुक्त किये जा सकें । लेकिन इस रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि सरकार की तरफ से इस बात की कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे कि उस उद्देश्य की पूर्ति होती । समय-समय पर एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति जिन कर्मचारियों की की गयी है उनमें भी लोक सेवा आयोग की स्वीकृति लेने की अवहेलना की गयी है । सरकार की तरफ से इस बात का

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

प्रयत्न होना चाहिये और इस बात की सुविधा रहनी चाहिये कि जो कर्मचारी नौकरी से पृथक किये जाते हैं उनको अपील करने का हक कमीशन के सामने हो, लेकिन सरकार की ओर से इस बात की कोई व्यवस्था उन निकाले हुये कर्मचारियों के लिये नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, जो स्थान होते हैं उनके लिये आदमियों की जरूरत और उसके साथ-साथ किस योग्यता के आदमी की जरूरत है, यह भी कमीशन के पास भेज दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि हमें जिस तरह के आदमी की जरूरत है हम केवल इतना ही कमीशन के पास भेजें और यह काम कमीशन के ऊपर छोड़े कि जिस जगह के लिये हमें आदमियों की जरूरत है उस जगह पर किस योग्यता का आदमी रखा जाय । लेकिन इसकी अवहेलना की जाती है।

साथ ही साथ, मान्यवर, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरह के आदमी की जरूरत है उसके साथ-साथ उसकी योग्यता जोड़कर भेज दी जाती है लेकिन बाद में जब फिर काम पूरा नहीं होता है और सरकार का मंशा पूरा नहीं होता तो उसमें उससे भी छोटी योग्यता भी शामिल कर ली जाती है। होना यह चाहिये कि योग्यता जो जोड़ी जाय उससे ऊंची योग्यता जोड़ी जानी चाहिये लेकिन ऐसा न करके इस प्रकार की कार्यवाही होती है जिससे किसी व्यक्ति का भले ही भला हो सकता हो लेकिन इस प्रदेश की जनता का और उन तमाम सरकारी कर्मचारियों का जो संचालन का कार्य करते हैं किसी तरह से सही ढंग से भला नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक नहीं पचासों ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति के रख लिये जाते हैं। पहले ६ महीने के लिये रखे जाते हैं और फिर सदैव उनका एक्सटेंशन किया जाता है ।

यह नियम बहुत ही अवैधानिक ढंग से इस्तेमाल होता है। मेरा निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति को बिना पूर्व पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति के किसी पद पर नहीं रखना चाहिये। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हो और किसी आदमी को किसी पद पर नियुक्त भी किया जाय तो उस समय इस बात की आवश्यकता है कि ६ महीने के अन्दर इस बात की स्वीकृति पब्लिक सर्विस कमीशन से प्राप्त कर लेनी चाहिये।

एक बार इस आदरणीय सदन के अन्दर एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि २२ व्यक्ति इस प्रदेश में ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी स्वीकृति पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं हुयी और उनकी स्वीकृति ६-६ महीने की अवधि बढ़ाते हुये प्राप्त की जाती रहती है। अगर यही प्रथा जारी रही तो मैं यह कहने के लिये विवश हूं कि एक निष्पक्ष शासन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

कमीशन के लिये २,००० रुपये खर्च के लिये रखे गये हैं जिसको आवश्यकता पड़ने पर कमीशन के अध्यक्ष महोदय खर्च कर सकते हैं। आजकल जो प्रार्थना-पत्र आते हैं उनकी तादाद सैकड़ों में हुआ करती है, उनको छांटने में और कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये ज्यादा आदमियों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार जो यह २,००० रुपया रखा गया है यह बहुत ही कम है। इस रुपये को बढ़ा कर १०,००० कर देना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जब २,००० रुपये रखे गये थे उनको किस प्रकार से खर्च किया गया है ?

यह रिपोर्ट जो हम लोगों के सामने रखी गयी है उसमें यह ज्यादा उचित था कि हमें यह भी बतलाया जाता कि किन कारणों से कमीशन के द्वारा जो सिफारिशें की गयी हैं उनकी पूर्ति क्यों नहीं की गयी। साथ ही इस रिपोर्ट के अनेक सवालों पर देखने से पता चलता है कि कमीशन ने जो सुझाव दिये हैं उनकी भी सरकार ने अवहेलना की है। रिपोर्ट के पृष्ठ ६ पर आप देखें "कमीशन ने कहा कि अभ्यर्थी को चीफ इंजीनियर तथा सहायक प्रबन्धक के पद पर उच्चतर वेतन-क्रम में रखना उचित नहीं है, किन्तु यदि शासन का विचार हो कि अभ्यर्थी को विदेशी फर्म के अधीन काम सिखाने के लिये इस विचार से रख कर देखा

जाय कि फर्म के साथ-साथ समय की समाप्ति हो जाने के पश्चात् उसे सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया जायगा, तब वे मामले पर विचार करने के लिये तैयार होंगे। वर्ष के अन्त तक शासन का कोई उत्तर नहीं आया था।"

इसी प्रकार पृष्ठ ७ पर देखिये "शासन ने यह भी कहा कि यदि उसमें से कोई पद भविष्य में स्थायी कर दिया जायगा तो उन पदों के लिये लागू होने वाले सामान्य नियमों के अनुसार चुनाव किया जायगा। कमीशन की संस्तुति को न मानने के लिये शासन ने जो तर्क दिये वे कमीशन की दृष्टि में संतोषजनक नहीं थे।"

इसी प्रकार ९ वें अंश में कहा है, "कमीशन ने आगे कहा कि संस्तुत अभ्यर्थी को नियुक्ति की आज्ञा भेजी जाय और यदि वह विषय के अध्यापन में असमर्थ होने के कारण पद को स्वीकार करने से इनकार कर दे, तब वे विचार करेंगे कि पद का पुनर्विज्ञापन होना चाहिये अथवा नियुक्ति के लिये दूसरे अभ्यर्थी की संस्तुति की जानी चाहिये। वर्ष के अन्त तक इस प्रकरण पर शासन ने कोई अंतिम निर्णय नहीं किया था"। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था चल रही है उसे सरकार को दूर करना चाहिये।

इलाहाबाद में जहां पर कमीशन का कार्यालय है वहां ३,००,००० रुपये से ज्यादा रुपया लगाकर एक हाल बनाया जा रहा है जिसको परीक्षा के वक्त इस्तेमाल किया जाया करेगा। लेकिन जब परीक्षायें बन्द होंगी उस समय हाल का क्या प्रयोग किया जायगा यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मेरा यह सुझाव है कि इस कमरे को उस स्थान पर बनाना चाहिये जहां कार्यालय है या फिर कार्यालय को ही इस कमरे के नजदीक ले जाना चाहिये ताकि हम उसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ा सकें इस संबंध में मैं यह भी बता दूं कि वहां आफिसर्स ट्रेनिंग की बिल्डिंग मौजूद थी उसको इस काम के लिये क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया बजाय इसके कि उसमें दूसरा कार्यालय ले आया गया और इस प्रकार यह ३,००,००० रुपये की फिजूलखर्ची की जा रही है।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अनियमिततायें हैं उनको सरकार को दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो कोई शख्स भी पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को देखेगा उसको इस बात पर संतोष होगा कि ऐसे बहुत कम मौके आये हैं जब कि गवर्नमेंट और कमीशन में अन्त में जा के विरोध हुआ हो। एक शिकायत यह की गई कि रिपोर्ट डेढ़ साल के बाद आयी है। अगर इसकी रिपोर्ट डेढ़ वर्ष में आयी है तो इसके लिये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है। यह सही है कि ५४–५५ की रिपोर्ट है लेकिन ५७ के आखीर में कमीशन ने इसे हमारे पास भेजा। अपने यहां लिखा चाहे जब हो, लेकिन हमारे यहां १९५७ के अन्त में भेजा। तो जब १९५७ के अन्त में उन्होंने भेजा तो उसके बाद छपने में भी कुछ देर लगती ही। इसलिये इसके देर में आने में गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

दूसरी बात––बार-बार स्वीकृति लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। स्वीकृति लफ्ज को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अन्त में शासन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है। पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरी जो भी इस तरह की बाडी हो वह एक कंसल्टेटिव बाडी है। उसकी राय को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वजन देती है, जहां तक हो सकता है उसको मानने की कोशिश करती है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी शासन की गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर कहीं वह कमीशन की राय मानना उचित नहीं समझती तो नहीं मानती। गवर्नमेंट कभी भी काननन बाध्य नहीं है कि हर बात जो कमीशन की तरफ से कही जाय उसको माने। फिर भी जैसा मैंने कहा कुल जमा ३ ऐसे मामले हैं जिनमें गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बातों को न मान सकी, जैसे एक इंजीनियर वाली बात है। इंजीनियर वाली बात आखीर में मान ली गई। जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बात को गवर्नमेंट ने कहा उस बात को पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी मान लिया। इसी तरह से टीचर्स वाली बात है। करीब १,००० के टीचर्स हैं जो कि एक रीओरियेंटेशन स्कीम चली थी उसमें रखे गये थे। बिलकुल प्रयोगात्मक वह है। मालूम नहीं कि वह स्कीम आगे रहेगी या नहीं रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो अध्यापक रखे गये हैं वह रहेंगे या न रहेंगे। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने इस बात को उचित समझा कि वह इस बात को न माने और जब तक कि इसका निश्चय न हो जाय कि इसमें कोई पोस्ट परमानेंट होगी या नहीं होगी तब तक न रखा जाय।

इसी तरह से यह राय हमको दी गई कि कोई नियुक्ति बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन की राय के न हो। यह नहीं हो सकता। पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात के लिये तैयार नहीं है। इसलिये कि अभी भी उनके पास इतना ज्यादा काम है कि पांच मेम्बरों के होते हुये भी वह उसे नहीं कर सकते। तीन साढ़े तीन लाख आदमी हमारे यहां नौकरी में हैं। अगर हर जगह के लिये उनके पास भेजा जाय तो वह कर नहीं सकते। उन्होंने खुद स्वीकार किया है और लिखा है कि अमुक-अमुक तनख्वाह तक के लिये मेरे पास न आये या जहां अप्वाइंटिंग अथारिटी गवर्नमेंट है ऐसी जगहों के कागज हमारे पास न आयें। यह पब्लिक सर्विस कमीशन खुद स्वीकार करता है। तो जिस बोझ को सम्हालने को वह तैयार नहीं है वह बोझ उनके ऊपर लाद देना अन्याय होगा।

इसी तरह से कहा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इस बात का अधिकार दिया जाय कि वह अपीलेट अधिकारी हो। ऐसा हम नहीं कर सकते। कानूनन किसी जगह अपील अगर की जा सकती है तो सिविल कोर्ट में या हाईकोर्ट में की जा सकती होगी, अन्यथा वैसे जो अप्वाइंटिंग अथारिटी होती है वही अंतिम फैसला करने वाली अथारिटी होती है। जो अथारिटी अप्वाइंट करती है वही अथारिटी डिस्मिस भी करती है। हर जगह यही बात है। अगर गवर्नमेंट अप्वाइंटिंग अथारिटी है तो वही अंतिम फैसला करने वाली अथारिटी होगी या फिर जैसा मैंने कहा सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसकी अपील जा सकती है।

इसलिये मैं कहता हूं कि जो भी केस देखा जाय—केवल तीन केस ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट मजबूर हुई पब्लिक सर्विस कमीशन की राय न मानने के लिये, बाकी हर केस में लिखा-पढ़ी के बाद या तो गवर्नमेंट की बात पब्लिक सर्विस कमीशन ने मान ली या पब्लिक सर्विस कमीशन की बात गवर्नमेंट ने मान ली।

श्री अध्यक्ष—(राजा यादवेंद्र दत्त दुबे तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर) आप उस समय खड़े नहीं हुये। मैंने देखा चारों तरफ। मैं यह समझा कि कोई डिबेट चाहता नहीं .....

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—मैं यह समझा कि उधर से कोई और खड़ा होगा लेकिन मुख्य मंत्री जी खड़े हो गये .....

श्री अध्यक्ष—वह तो मैंने उनको इसलिये बुलाया था, क्योंकि अन्य सदस्य कोई खड़ा नहीं हुआ। मगर खैर, यह उनका भाषण इंटरवेंशन समझा जायगा। उनको दो दफे बोलने का अधिकार है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—इसको श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी का इंटरवेंशन मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

*राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सुन रहा था पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही कि वह केवल एक एडवाइजरी बाडी है। ऐसा कानून में हो सकता है और यह बात मानी भी जा सकती है लेकिन थोड़ा-सा विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर सभी स्वतंत्र देशों में सरकारी नौकरों की भरती की दृष्टि से, जिससे उस में किसी प्रकार का पक्षपात न हो, इस तरह की एक बाडी बनायी गयी है। अपने यहां भी यह बाडी बनीं और जब हमने अपने यहां एक बाड़ी बनायी तो हमारी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उस की बातों को मानें, उसकी सिफारिशों को मानें। खाली कानून की ओट लेकर जब हम किन्हीं बातों को लेकर ह कहें कि वह केवल एक एडवाइजरी बाडी है और उस का फैसला बाइंडिंग नहीं है, तो वह गलत चीज है। अगर इस का परिणाम सर्विसेज के रिक्रूटिंग पर और लोगों पर यह पड़ने लगे कि सरकार कमीशन की सिफारिश को तभी मानती है जब वह उसके निश्चित मतों के अनुकूल होती है वर्ना वह अपनी इच्छा से कार्य करती है तो मुझे भय है कि इस तरह से सर्विसेज का जो कैडर आयेगा उस का जो मारेल स्टैंड होना चाहिये और जो निष्पक्षता की आशा उस से की जाती है उस में मुझे बहुत संदेह है। अगर शासन के प्रति जनता में और समाज में ऐसी भावना घर कर गई कि उन की निष्पक्षता डाउट के बियान्ड नहीं है तो एक बहुत ही चिन्ता की बात होगी।

जब हम ने एक बाडी का निर्माण किया है तो हमें उस की सिफारिशों को मानना चाहिये चाहे कानूनी बाइंडिंग हो या न हो। हमें ऐसे बाडी में ऐसे लोगों को भेजना चाहिये कि जिन के अन्दर निष्पक्षता के साथ लोगों को चुनने की दक्षता, योग्यता और क्षमता हो और उन को चुनने में जो समर्थ हों। कभी-कभी देखा गया है कि ऐसे आदमी ....

श्री अध्यक्ष––यह बात असंगत है इस समय कमीशन के कांस्टीट्यूशन का सवाल नहीं है, बहस रिपोर्ट पर हो रही है, उस के कांस्टीट्यूशन का क्या तरीका है यह सब बातें नहीं आ सकतीं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––श्रीमन्, आप की आज्ञा है तो मैं उस विषय पर अब कुछ न कहूंगा।

कई बार ऐसा कहा गया कि कमीशन ने कहा कि बहुत-सी सर्विसेज ऐसी थीं कि जो कमीशन के परव्यू में थीं और उन को सरकार ने कमीशन के परव्यू से निकाल लिया। मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर गलत हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर में मुझे ठीक करने की कृपा करें। श्रीमन्, आप के ही सेक्रेटेरियट में कान्फिडेंशियल विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट जो कमीशन के परव्यू में थी उस को उन के परव्यू से निकाल लिया गया और चीफ सेक्रेटरी को सहसा उस को चुनने का अधिकार दे दिया गया। हमें बताया जाय कि इस का कारण क्या है। वह कितना उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान है, उस पर जो आदमी चुन कर आना चाहिये वह तो और भी अधिक निष्पक्ष और अच्छा आदमी होना चाहिये। इस तरह की जो पद्धति सरकार के विभागों में चलाई जाती है, सरकार की कोई इच्छा हो या न हो लेकिन लोगों को इस में संदेह होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्या सरकार का आशय होता है। बावजूद कमीशन के बार-बार कहने के कि इस पोस्ट का चुनाव होना चाहिये लेकिन सरकार ने एक स्थान के चुनाव को टाला। मैं उदाहरण दूं कि कानपुर का जो एग्रीकल्चर कालेज है उस के असिस्टेंट प्रिंसिपल का चुनाव था, उस के ऊपर एक आदमी रखा गया, हो सकता है कि उस की पात्रता उस में हो या न हो लेकिन कमीशन ने ५ साल तक उस पोस्ट के एडवर्टीज़मेंट के लिये कहा और कहा कि क्वालिफिकेशन्स के अनुरूप चुनाव होना चाहिये लेकिन बराबर मसला दबाये रखा गया और कोई चुनाव नहीं हुआ लोगों के मन में ऐसे मामलों में शंका और संदेह हो सकता है कि कैसे विश्वास किया जाय और सरकार क्यों ऐसे स्थानों को छिपाती है और पर्दा डालने का प्रयास करती है? क्यों सरकार कमीशन के परव्यू से स्थानों को निकालने का प्रयत्न करती है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि वह हरिजनों का बड़ा सहयोग, उत्थान और लाभ करती है लेकिन आप पेज ३ पर देखें कि फारेस्ट रेंजर्स कोर्स के चुनाव में कमीशन ने कुछ लोगों को चुनकर भेजा, उस में जो लोग हरिजन सीट से गये उसमें से कुछ देहरादून में ट्रेनिंग में नहीं गये। जब वह व्यक्ति नहीं गया तो दूसरी लिस्ट से चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट ने अपने मन से एक आदमी का चुनाव कर लिया। सरकार ने चीफ कंजरवेटर को जो भी आज्ञा दी हो, परन्तु कमीशन ने स्पष्ट कहा कि 'कमीशन के विचार में यह एक ऐसा मामला था, जिसमें शासन की आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ था, जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और उन्होंने इसका प्रतिवेदन शासन को किया। शासन ने सूचित किया कि चीफ कंजरवेटर की गलती के लिये उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है और यह प्रस्ताव किया कि अनुसूचित जाति के चौथे अभ्यर्थी को आगामी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठाये बिना ही फारेस्ट रेंजर्स कोर्स में भरती कर लिया जाय।' अब श्रीमन्, प्रश्न उठता है कि एक ओर तो आप इम्तहान लेते हैं और दूसरी ओर आपके अधिकारी अपने मन की इच्छा को ऊपर रखते हैं और फिर उसकी गलती को दूर करने के लिये एक आदमी को फिर भरती करते हैं बिना इम्तहान के, यह कौन-सा आपके नियमों का पालन है? जिस कंजरवेटर ने इस प्रकार की गलती की उसके लिये कौन-सा कदम उठाया? मैं समझता हूं कि साधारण रेप्राइमेंड दिया होगा, परन्तु उससे कैसे चलेगा?

आगे अगर आप देखें ५वें पेज पर जहां कमीशन ने कुछ खास लोगों के बारे में बात कही है, उसमें यह उन्होंने कहा है कि, "'उस पद के लिये एक अन्य अभ्यर्थी का चुनाव हो चुका है, अतः उस पदधारी के अपने स्थायी पद पर लौट जाने की संभावना है। निम्नलिखित शेष पांच मामलों में कमीशन ने कोई चुनाव नहीं किया, क्योंकि या तो पद उनके पर्यवलोकन में नहीं थे या विशेष अवस्था में उन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी को उन पदों के लिये स्वयं चुनाव करने का अधिकार दे दिया"। अब श्रीमन्, जब आपने कमीशन बनाया और कमीशन से कहा कि हमारे लिये आदमी चुनो तो फिर क्यों यह बार-बार करते हैं कि विशेष परिस्थितियां निकाल कर आप उसके परव्यू से, दृष्टिकोण से या उसके विचार के अन्तर्गत चीजों को निकाल कर अधिकारियों के विचारान्तर्गत दे देते हैं। इसका तो यह अर्थ समझा जायगा कि अधिकारियों के विचाराधीन प्रश्न देना, नियुक्तियों के खास तौर से, कभी-कभी उसके अन्दर नेपोटिज्म, पक्षपातपूर्ण अप्वाइंटमेंट्स होने का भय रहता है और कभी हुआ भी ऐसा है। जब आप ऐसा करते हैं तो जनता को शासन के अन्दर ऐसा शक होने लगता है और स्वयं कमीशन ऐसा करता है। तो सरकार ऐसा खिलवाड़ कमीशन के साथ क्यों करती है। इससे तो कमीशन की प्रतिष्ठा और उसके मान को धक्का लगता है।

बार-बार, श्रीमन्, यह कहा गया कि कमीशन सरकार के पास रिपोर्ट्स भेजता है और सरकार वर्षों उसका जवाब नहीं देती, इसका अर्थ क्या है? अब आप स्वयं देखें कि इस रिपोर्ट के अन्दर छठे पेज में पांचवीं मद में कहा है कि "वर्ष के अन्त तक शासन का कोई उत्तर नहीं आया"। इसका अर्थ क्या है? या तो मैं कहूं कि कमीशन के सुझाव की ओर सरकार दुर्लक्ष्य करती है, शासन दुर्लक्ष्य करता है, या आप जान-बूझ कर कमीशन की प्रतिष्ठा और उसकी सारी निष्पक्षता को धक्का लगाना चाहते हैं। अगर दोनों में से एक भी सही हो तो सरकार के लिये उचित नहीं है और कमीशन की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिये भी उचित नहीं है। इसका अर्थ यही माना जायगा कि शासन बहुत ढीला है और जिन पर जिम्मेदारी है वह स्वयं शासन को कसने के लिये या तो तैयार नहीं है या कसने के लिये अपने को असमर्थ पाते हैं।

श्रीमन्, सरकार बार-बार यह कहती है कि हमारे पास रिटायर्ड टेक्नीकल परसोनल रहने चाहिये। ठीक है, आप जरूर रखिये, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट में देखें तो रिटायर्ड

नान-टेक्नीकल परसोनल को बार-बार रखनें की क्या जरूरत है? जो लोग ६० वर्ष की अवस्था तक पहुंच गये हैं, जबकि वह नान-टेक्नीकल परसोनल हैं, उनके नियुक्त करने का क्या अर्थ है? क्या सरकार को नान-टेक्नीकल परसोनल नये नहीं मिल सकते? अगर मिल सकते हैं तो इसका एक ही अर्थ समझा जायगा कि इसके पीछे कुछ पक्षपातपूर्ण भावना है, और कोई दूसरी बात नहीं समझनी चाहिये। श्रीमन्, यह नान-टेक्नीकल आदमी जो ६० वर्ष से ऊपर हो जाता है तो वह खुद ही अपना काम करने में असमर्थ हो जाता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि रिटायरमेंट की आपने एक अवस्था रखी है और दूसरी ओर इस तरह से आप नान-टैक्नीकल आदमियों को भी अप्वाइंट करते चले जाते हैं इससे आगे आने वाले लोगों का भी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने यह बाडी बनाई जरूर है लेकिन प्रयास यह होता रहता है कि इसकी रिकमेंडशन्स को दबाये पड़े रहें और जब अवसर आये तो अपने मन की बात करें। श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि जिस पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी बाडी को आपने बनाया है तो उसकी मान और मर्यादा की रक्षा भी करें और इसकी रिकमंडेशंस मानें तथा इसका उत्तर भी समय पर ही जाना चाहिये तब तो कोई अर्थ होगा इसके बनाने का वरना यह ढांचा बनाकर रख दिया और इसकी बात नहीं मानते हैं और दुर्लक्ष करते हैं तो यह कहा जायगा इसकी मान और मर्यादा इन दोनों को समाज में गिराना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन तो एक कंसल्टेटिव बाडी है, एक एडवाइजरी बाडी है, इससे मुझे इन्कार नहीं है। लेकिन श्रीमन्, आज हमारे भारतवर्ष में, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख ह और भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३१५, ३१६ तथा अन्य कई और अनुच्छेद हैं जिनकी ओर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्रीमन्, कंसल्टेटिव बाडी कह कर इसके महत्व को घटा देना होगा क्योंकि यह ठीक है कि बहुत-सी जगह ऐसी हैं कि जहां पर एडवाइजरी बाडी होते हुये एक कन्वेंशन होता है। आज यूनाइटेड किंगडम में कोई रिटिन कांस्टीट्यूशन नहीं है और बहुत-सी चीजें जो केवल कन्वेंशन पर आधारित हैं और उनसे राज्य में काम होता है और श्रीमन्, यह एक बाडी ह इसका स्तर छोटा भी हो सकता हं और एक उच्च स्तर भी हो सकता है, जिस बाडी के लिये भारतीय संविधान में उल्लेख करने की आवश्यकता पड़े उसके लिये इस तरह से कह देने से इसके महत्व और मर्यादा दोनों कम होते हैं। आप मानें या न मानें, विधानत: इससे इन्कार नहीं है लेकिन यदि यह रूपरेखा रही। माननीय नेता विरोधी दल को इससे इन्कार है तो वह इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। मैं इसके वाद विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। उनके यह कहने से यह जरूरी है कि मैं स्पिरिट में उनसे सहमत हूं। लेकिन अगर टैक्नीकल सवाल पड़ेगा तो मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारी सरकार कह सकती है कि हम इसकी बात मानें या न मानें। लेकिन कोई भी सरकार जो इस तरह से पी० एस० सी० की.रिकमन्डेशन्स को ठुकरायगी तो वह यह समझ ले कि वह सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पायेगी। यही सर्विसेज ह जो गवर्नमेंट को ठीक तरह से चलाती हैं। श्रीमन्, अगर यह फांस में न होती तो वहां मुल्क में अराजकता होती। चाहे डेमोक्रेसी में हो या किसी आफिस में हो सर्विसेज अपना विशेष महत्व रखती हैं। जिस तरह से वह राजकाज को चलाती हैं वह एक कसौटी है जिस पर यह देखा जाता है कि वहां का काम कैसा होता है। अगर सर्विसेज किसी मुल्क की अच्छी हैं और इसका ज्वलन्त उदाहरण आज फ्रांस है। वहां पर कितनी ही सरकारें बदली जिन का गिनाना दुश्वार है। वहां पर सर्विसेज ने ही शासन चलाया। एक मौलिक बात में इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ये सरकारें स्थिर नहीं हैं लेकिन सर्विसेज स्थिर हैं। उन सर्विसेज

*वक्ता ने भाषण का ुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

में कुछ अच्छे और कुछ बुरे हैं। लेकिन आन दि होल-जो उनका औसत स्तर है वह प्रशंसनीय नहीं है। जिस दिन उनका स्तर ऊंचा हो जायगा उस दिन सरकार और विरोधी पक्ष दोनों की कठिनाइयां दूर हो जायंगी। लिखा पढ़ी का कायदा यह है कि अगर आप दो चार साल तक डाइलेटरी टैक्टिक्स अडाप्ट कर लीजिये तो एक समय आ जाता है कि लोग ऊब कर, थक कर, परेशान हो कर उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय उसके अन्तिम परिणाम पर जाते हैं कि अन्ततोगत्वा यह बात तय हो गयी। गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मतभेद नहीं रहा। माननीय जन संघ के नेता अभी इस सदन में कह चुके हैं कि अगर पांच साल और दस साल तक एक फाइल काउंसिल हाउस और पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्डिंग में चलती रहेगी तो उससे एफीशियेंसी कहां तक रह सकेगी और किस तरह से काम चल सकेगा, इसका अंदाजा तो आसानी से लगाया जा सकता है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारों में वृद्धि होनी चाहिये अगर उनकी तादाद कम है और काम उनके पास अधिक है तो उनकी तादाद बढ़ाइये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह इकानामी जो एफीशियेंसी पर असर डालता है। वह फोर्स्ड और बैड इकानमी है। एफीशियेंसी की कास्ट पर इकानमी करना कोई मानी नहीं रखता है।

यह तो बहुत साधारण सी बात है कि जो अप्वाइंटिंग अथारिटी है वही डिस्मिसिंग अथारिटी है। यह बहुत साधारण सी बात है। सिविल कोर्ट में आप भले ही रोक दें लेकिन २२६ और ३२ के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में रिट करने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। यह कानून हम बना सकते हैं इससे मैं सहमत हूं। मैं अपने माननीय पूर्व वक्ता से सहमत नहीं हूं कि गवर्नमेंट की अपील पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाय। लेकिन साथ ही साथ इस बात को गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिये कि इसमें ऐसी एक हैपी और सुन्दर व्यवस्था बनायी जाय एक ऐसी रूपरेखा गढ़ दी जाय जो आइन्दा चल कर इसमें कोई कठिनाई न हो क्योंकि मुझे यह भय है कि इस उत्तर प्रदेश में या न सही उत्तर प्रदेश में तो इस देश की बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी होंगी जहां पर पालिटिकल पार्टी ठीक से काम न कर सकेंगी और सर्विसेज के चरणों पर अपने को अर्पित कर देंगी। मैं फिर यह कहता हूं ब्यूरोक्रैसी उत्तर प्रदेश में बहुत शक्तिशाली है जिसको शायद न रोक पाये। हो सकता है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी महान् विद्वान हैं जिन्हें शासन का अनुभव है और बहुत सी चीजें इस दुनियां में देख चुके हैं लेकिन हो सकता है यदि उनके यहां ब्यूरोक्रेसी बहुत शक्तिशाली बन गई और उनके स्थान पर यानी माननीय मुख्य मंत्री के स्थान पर माननीय त्रिलोकीसिंह या राजनारायण जी आये तो फिर वह एक आपत्ति की चीज हो जायगी। इसलिये यह सोचकर अपनी जगह पर चलना है कि इन सर्विसेज का जो काम है उनके अन्दर से एफिशियेन्सी खत्म न हो। लिहाजा इन शब्दों के साथ में आपना विवाद समाप्त करता हूं क्योंकि मेरा वक्त भी पूरा हो गया है।

†श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मुझे आज ही उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विवाद में हिस्सा लेने का मौका मिला है। उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं इस सम्बन्ध में बड़ी आशा से सोच रहा था कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा है जिसके सम्बन्ध में अपने प्रदेश में बहुत ही आशा से लोग देखा करते हैं कि उनकी नौकरी और उनके सम्बन्ध की योग्यता की पूर्ति का निरीक्षण एक निष्पक्ष मंडल के द्वारा होता है। परन्तु जब मुझे रिपोर्ट में गवर्नमेंट के प्रतिवेदन को देखने का मौका मिला तो मुझे पता चला कि ऐसा मालूम होता है कि दोनों अपनी-अपनी तरफ खींचातानी करते रहते हैं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है वह करीब-करीब २ साल पुरानी है। इसका कारण यह बताया गया है कि बावजूद रिमाइंडर देने के य. रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी। मुझे आश्चर्य है कि इतना जिम्मेदार मंडल, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से प्रसिद्ध है, उसको रिमाइन्डर देने की आवश्यकता पड़े और अपनी रिपोर्ट में भी इतनी ढीलाढाली करे।

यह शिक्षा के रिओरियन्टेशन की बात जो विभागीय हैड द्वारा बतलाई गई है उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वह एक आश्चर्य की बात मालूम होती है। मैं तो इन दोनों का जब मुकाबला करता हूं तो सरकार की जो रिपोर्ट है उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि इनमें आपस में नीति सम्बन्धी कुछ मतभेद दिखाई पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ रिओरियन्टेशन स्कीम के बारे में यहां पर बातें बतलाई है वह तो मुझे बिलकुल हास्यास्पद लगती हैं। यह रिओरियन्टेशन स्कीम हमारे माननीय मुख्य मंत्री के मस्तिष्क की उपज है। लेकिन आज उनके मुंह से यह सुनकर कि यह स्कीम अभी अस्थायी ही रहेगी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह स्कीम बड़ी आशा से उत्पन्न हुई थी इससे यह उम्मीद की गई थी कि इससे न केवल शिक्षा प्रणाली में बल्कि अनेक रूप से उसमें सुधार होने की इससे सम्भावना थी क्योंकि जो इस रिपोर्ट में उल्लेख उन छोटे अध्यापकों के सम्बन्ध में है उससे यह पता चलता है कि सरकार के मस्तिष्क में आज भी कोई निश्चित योजना नहीं है। उस रिपोर्टमें इन अध्यापकों के लिये कोई आशा का संचार नहीं दिखाई देता है। यह सारी स्कीम डावांडोल ही मालूम होती है। आज जब उस रिपोर्ट के बारे में बाते करते हैं तब आश्चर्य यह होता है कि एक तरफ हम यह आशा करे कि हमारी वे नौकरियां जिनके बल पर सारा शासन चलता है उनकी एफिशियेन्सी कायम रहे और दूसरी तरफ सरकार येन केन प्रकारेण अपने सुझाव उनके ऊपर लादने की कोशिश करे।

इस १।। साल के समय में ऐसी शिकायतें मेरे पास आई हैं जिससे मुझे पता लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बहुत-सी बातें इसलिये नहीं मानी जाती कि वह ज्यादा महत्व की नहीं है। कानपुर के सम्बन्ध में मुझे अपने अनुभव से मालूम है जिसका उल्लेख दुबे जी ने किया। वहां एग्रीकलचर कालेज के प्रिन्सिपल के बारे में पूरी सूचना मिली कि वहां पर जो असिस्टेंट टू प्रिन्सिपल थे उनके स्थान को बदलने की कोशिश की गई। उनकी नियुक्ति करके उनके ऊपर लादने की कोशिश की जा रही है। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह का भी उल्लंघन किया गया है। यह कहां तक न्याय की बात है। अभी मेडिकल कालेज कानपुर के डाक्टरों के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले अधिवेशन में कहा था कि टैम्पोरेरी अप्वाइंन्टमेंट साल भर के लिये अपने अधिकार से कर सकते हैं। और इस प्रकार वह पब्लिक सर्विस कमीशन की अप्वाइंटिंग अथारिटी की अवेहलना कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन के पास अधिकार सुरक्षित हैं जिनका कि वह उपयोग करते हैं और उसकी पावर को ओवर-रूल करते हैं। मुझे सुनने को मिला कि तहसीलदारों का सेलेक्शन नैनीताल में हुआ और न मालूम क्यों माल विभाग के द्वारा वह इस लिये निकाले जा रहे हैं कि उनके यहां स्वतः कोई सेलेक्शन होने जा रहा है। एक कोई सेलेक्टेड बाडी का सेलेक्शन होने वाला है। यह विचारशैली इस बात को जाहिर करती है कि सरकार हमेशा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेलेक्शन के बा भी सेलेक्शन करने की बात सोचती है। आज मैंने बड़े ध्यान से सुना कि नौकरियां कई लाख हैं और उनका सेलेक्शन करना पब्लिक सर्विस कमीशन के मकान में नहीं है, लेकिन मैं क्या आशा करूं कि सरकार जिन मेम्बर्स को चुन कर भेजती है उनक कार्यों में उसको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस रिपोर्ट में कई बाते उल्लिखित हैं, यद्यपि कहा गया है कि केवल चार बातें ऐसी हैं कि जिन में हम दखल देते हैं लेकिन सचमुच में देखा जाय तो ४ ही नहीं अनेक बातें ऐसी हैं।

गवर्नमेंट की नीति रही है कि वह रिट्रेन्च्ड आफिसर्स दूसरे आफिसेज में भर लेती है, लेकिन पब्लिच सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है कि बहुत से रिट्रेन्च्ड आफिसर्स

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जिनके करेक्टर रोल्स अच्छे नहीं थे, नहीं रखे जा सकते थे । लेकिन सप्लाई तथा पी० आर० डी० के बहुत सारे लोग लिये जाते हैं और सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की बातों का उल्लंघन करती है और अपनी ही बात रखना चाहती है । मेरा खयाल यह है कि वह डरती है कि अगर इन सब को रिट्रेन्च किया तो विरोध सामने आयेगा । हमको चाहिये कि जिस विभाग को हम रिट्रेन्च करें उस के उन्हीं आदमियों को हम लें कि जिनके करेक्टर रोल्स अच्छे हों । इस के लिये हमें भय नहीं करना चाहिये कि वे कोई विरोध करेंगे । रिपोर्ट की सारी बातें देखने के बाद मैंने यह अन्दाजा लगाया कि सरकार के रिलेशन्स पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ अच्छे नहीं है और या फिर वह एक लुकाव-छिपाव की नीति सरकार के साथ बर्तता है और अपनी बात पूरी-पूरी कहना नहीं चाहता । वह अपनी रिपोर्ट दो साल पुरानी देता है । हमको जो अनुभव है, शिकायतें हैं, वह सब हाल की हैं । उन को ले कर हम पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम सरकार के बीच का जो सम्बन्ध है उसकी जांच नहीं कर सकते । यहां पुरानी चीजों के लिये हमारे पास रेकर्ड नहीं है, तो इस परिस्थिति में जो पुरानी रिपोर्ट है उस पर हमारी कोई न कोई राय मांग कर इसको टाल दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन नियुक्तियों में पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा हाथ है और क्या सरकार के पास इन नौकरियों में योग्य आदमी आरहे हैं । मुझे अनुभव है कि नौकरियों में प्रतियोगिता अधिक है और उसके कारण ही सरकार को अपनी कुछ न कुछ बात घुसेड़नी पड़ती है । अध्यक्ष महोदय, यदि मैं अपनी बात को साधिकार रूप में कह सकता तो चाहे वह बड़े से बड़े अफसर की बात हो, लेकिन मानना पड़ेगा कि उन के हाथ अछूते नहीं हैं । वह किसी न किसी प्रकार, अपनी स्लिपों के द्वारा, संदेशों के द्वारा, अथवा दूसरे ढंगों के द्वारा अपने इशारे भेज देते हैं और बहुत ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन भीतर दिखाई पड़ती हैं । क्या यह सही नहीं है कि लोग खुलेआम कंपिटीशन से लौटने के बाद कहते दिखलाई पड़ते हैं कि सेलेक्शन तो पहले ही हो चुका है, लिस्ट पहले से बन गयी है, अब दिखाने मात्र के लिये हम लोगों को बुलाया गया है । क्या इन बातों को खंडन करने का साहस सरकार के पास है ? मैं जनता की बात कहना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा नहीं है ? ऐसा है और देखने को मिल रहा है । आज सरकार के प्रति यह आरोप है कि उस ने कुछ निजी सम्बन्धियों के साथ पक्ष करना शुरू किया है । मैंने बार-बार इस प्रकार की चीजों को दिखाने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि अन्य विभाग भी अछूते नहीं हैं और यही कारण है कि बहुत-सा भ्रष्टाचार इस सरकार में है जिस के बारे में कहने के लिये हम बाध्य होते हैं । इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कह सकूंगा, लेकिन सरकार अपने सम्बन्ध में और रिपोर्ट के बारे में अधिक बात स्पष्ट करे ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—जिस वर्ष की रिपोर्ट हमारे सामने विवादग्रस्त है इसे देखने से प्रतीत होता है कि कमीशन ने १,१८३ पदों के लिये चुनाव किया । १० सेवाओं के लिये परीक्षायें लीं । परन्तु इस सबको देखने के बाद और कई सालों की रिपोर्ट देखने से मुझे तो कुछ सन्तोष होता है कि वास्तव में हम प्रगति के पथ पर हैं । सरकार में और कमीशन में बहुत कम मामलों में मतभेद है । इसमें कमीशन ने लिखा है कि ४ कैसेज में सरकार ने उसकी राय नहीं मानी । जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा था, कमीशन एक सलाह देने वाली बाडी है परन्तु किसी भी सेवा के संचालन का भार सरकार के ऊपर है । सरकार को देखना होता है कि किस प्रकार इसका संचालन ठीक से हो सकेगा । इसलिये हमें उन चारों केसेज को, जिनके लिये कमीशन ने लिखा है कि सरकार ने उसकी राय नहीं मानी, मैरिट पर देखना होगा और तभी हम सही नतीजे पर पहुंच सकेंगे । सबसे पहला केस १,००० अध्यापकों के चुनाव का है जिसका अभी जिक्र किया गया है । सरकार ने अपने कारण इसमें दिये हैं कि वे स्थायी नहीं थे, उनमें से कुछ को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जूनियर हाई स्कूलों में जाना था । परन्तु मैं इसमें कमीशन की राय से सहमत हूं । अच्छा होता यदि वह चुनाव कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया होता । बहुत बड़ी संख्या में चुनाव हुआ और ग्रेड भी ऊंचा था ।

दूसरी बात कमीशन ने कलेक्शन अफसरों की कही है। इसे जहां तक मैंने देखा, मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि इसमें सरकार ने कमीशन की राय न मानकर बुद्धिमत्ता से काम लिया। कई विभाग थे, रसद, खाद्य, पुनर्वासन जिनके रिट्रेन्च्ड कर्मचारी थे। बहुत से विभागों के लिये भर्ती की जाती है जब काम कम रह जाता है तो शोर मचता है कि सरकार पर व्यर्थ का भार और जब व्यकलित (रिट्रेंच) किये जाते हैं तो कहा जाता है कि, नौकरी का भरोसा दिलाया था और समाप्त कर दिया इस लिये रिट्रेंच्ड कर्मचारियों के लिये सभी कहते हैं कि उनको किसी न किसी जगह नौकरी देनी चाहिये। इसी प्रकार जब कलेक्शन अफसरों के चुनाव का मसला आया तो कई विभागों के ऐसे कर्मचारी थे। मैंने यह भी देखा है कि उनमें लिस्टें बनाई जाती हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी। प्रायः ऐसा होता है। जिन व्यक्तियों के कार्य से विभाग को सन्तोष नहीं होता है, जिनके खिलाफ एडवर्स इन्ट्रीज होती हैं, उनको सी लिस्ट में रखा जाता है और उनको दोबारा नौकरी नहीं दी जाती है। परन्तु जिनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं होती यानी जो ए और बी लिस्ट में होते हैं, उनको भी नौकरी न दी जाय तो उनके साथ अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार ने कमीशन की बात न मानकर ठीक ही किया। तीसरा केस पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अधिकारी का लिखा है। ऐजूकेशनल सर्विस के ५ अधिकारियों को पदोन्नति देनी थी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने नं० २ से ५ तक चारों को स्वीकार कर लिया परन्तु नं० १ से असहमत प्रकट की। उसका कारण उन्होंने दिया है कि उस अधिकारी के विरुद्ध एक एडवर्स एन्ट्री थी, एक खराब प्रविष्टि उसके विरुद्ध थी। अध्यक्ष महोदय, प्रविष्टियों का ध्यान किया जाता है और करना चाहिये परन्तु मैं सिद्धान्ततः इस बात को मानता हूं कि पदोन्नति के लिये सीनियारीटी को खास महत्व दिया जाना चाहिये। सम्भव है कि बहुत से भाई इससे सहमत न हों। परन्तु मेरी निश्चित राय है कि जब से हमने एफिशियेंसी, कार्य कुशलता, को ज्यादा महत्व दिया है, हमारे आफिसों में एफिशियेंसी कम हो गई है। कार्यालयों में पता चलता है है कि अच्छी एन्ट्री लेने के लिये लोग खुशामद करते हैं और उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। यदि हम एक या दो एडवर्स एन्ट्रीज पर किसी कर्मचारी की पदोन्नति रोकेंगे तो उसकी लैंग्थ आफ सर्विस या सेवाओं के ऊपर उसकी पदोन्नति नहीं रहेगी बल्कि उसके ऊंचे अधिकारी के ऊपर रहेगी और इस अधिकारी का तो उसके बाद एक प्रविष्टि अच्छी दी गयी है। इसलिये मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को सरकार ने न मान कर इस केस में जनहित ही किया है।

चौथा केस, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को नहीं माना गया है, वह राशनिंग विभाग का इसमें दिया हुआ है। वह एक कर्मचारी का केस है जिसके विरुद्ध ७१ रुपये ११ आने के गबन का आरोप था। पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकार से यहां तो सहमति प्रकट की है कि उसको अलाहिदा कर दिया गया। यह तो सरकार ने ठीक किया। रुपया वसूल कर लिया गया, यह भी ठीक किया। लेकिन इसके अतिरिक्त पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बात लिखी है कि उसको एक माह का नोटिस देकर अलाहिदा कर दिया गया लेकिन उसको नौकरी से प्रतिवादित नहीं किया। सरकार का कहना है कि जब उसको एक महीने का नोटिस दिया गया तब इस बात का ध्यान नहीं दिया गया। यहां मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से सहमत हूं। जब कि उस अधिकारी के विरुद्ध गबन का आरोप था और वह सिद्ध हो चुका था और उसको अलाहिदा भी किया गया तो अगर सरकार उस पर मुकदमा चलाने की स्थिति में न थी तो कम से कम उसके लिये यह तो किया ही जाना चाहिये था किसी भी सरकारी नौकरी से उसको प्रतिबारित कर दिया जाता। यदि ऐसी भूल हो गयी कि नोटिस देते समय इस प्रकार का गौर नहीं हुआ तो यह आवश्यक था कि जिन अधिकारियों ने ऐसी कार्यवाही की थी उनसे इसका जवाब पूछना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों से अवश्य इस बारे में पूछा होगा कि उन्होंने नोटिस देते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा।

[श्री जगदीशप्रसाद]

माननीय भगवती सिंह जी ने एक बात और कही कि योग्यता कमीशन निर्धारित करे। यह समझ में नहीं आया कि यह बात उन्होंने किस सिद्धान्त के अनुसार कही। सरकार को सेवा के लिये व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो यह तो वही सोचेगी कि उनकी योग्यता क्या हो। उनका अनुभव क्या हो। पब्लिक सर्विस कमीशन पर इसको छोड़ देने की प्रथा मुझे कहीं भी नहीं मालूम देती।

दूसरी बात यह कही गयी कि किसी को बिना आयोग की सिफारिश के न रखा जाय। मेरे खयाल से इसके लिये कुछ न कुछ नियम तो अवश्य ही निर्धारित करने होंगे। क्या चपरासियों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जायगी? क्या कानिस्टिबिलों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होगी? इसके लिये कुछ न कुछ नियम तो हमें बनाने ही होंगे कि किस केडर से ऊंचे के लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जायेंगे। वैसा आज भी किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को और उस पर सरकार द्वारा नोट को देखने के बाद यह मालूम होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार ने सहयोग से काम किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम १९५४–५५ ई० की उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं वस्तुतः यह बड़े दुःख की बात है कि यह रिपोर्ट आज से दो वर्ष पहले ही सदन के सामने प्रस्तुत हो जानी चाहिये थी, वह आज पेश हो रही है। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो विलम्ब किया है, यह बड़े दुःख की बात है। मैं आशा करता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात को नोट करेगा कि भविष्य में अपनी रिपोर्ट देने में इतना विलम्ब न हो। संविधान के द्वारा इस सदन को जो एक अधिकार प्राप्त है, उसकी रिपोर्ट इस सदन के सामने इतनी देर से आये, यह बड़े दुःख की बात है। दूसरी बात जो दुख की है वह यह कि सरकार ने अपनी तरफ से जो मेमोरैंडम रखा है उसमें इस बात के ऊपर सन्तोष प्रकट किया है कि सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिश्ता रहा वह अच्छा रहा, दोनों के अन्दर कोई बड़ा मतभेद नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन के मर्यादा की रक्षा नहीं की, जो प्रतिष्ठा पब्लिक सर्विस कमीशन को सरकार की तरफ से मिलनी चाहिये वह प्रतिष्ठा उसको नहीं दी गयी। दूसरी बात मुझे यह भी मालूम हुई कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकार क्षेत्र का अपहरण करने के लिये सरकार की तरफ से और उसके विभागों की तरफ से प्रयत्न किया गया है।

तीसरी दुखद बात, श्रीमन्, यह है, कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जहां परामर्श लेने की आवश्यकता थी वहां उससे परामर्श नहीं लिया गया और जानबूझ कर उसकी अवहेलना की गयी और उसके ऊपर सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया।

चौथी बात यह है कि सरकार ने जानबूझ कर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ उपेक्षा का भाव बनाये रखा। श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन शासन की ऐतिहासिक आवश्यकता है। यह पहले से मानी हुई बात है और सभी लोग इस बात को मानते हैं कि यदि शासन को सुचारु रूप से चलाना है, यदि शासन को पूर्ण रूप से कुशलता के साथ चलाना है तो शासन में पब्लिक सर्विस कमीशन को ऊंची प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये लेकिन वह प्रतिष्ठा उसे नहीं दी गयी।

श्रीमन्, जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो इस रिपोर्ट के अन्दर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन से बिना पूछे हुए ही चूर्क सीमेंट फैक्टरी में एक बर्नर फोरमैन की नियुक्ति कर ली गयी। जब पब्लिक सर्विस कमीशन को मालूम हुआ तो उससे सरकार से इसकी जांच पड़ताल की कि बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन के पूछे हुए बिना उसके आदेश के इतने ऊंचे पद पर नियुक्ति क्यों कर ली गयी तो सरकार ने

बहाना ढूंढ़ कर बाद में यह कहा कि क्योंकि उसकी प्रबंधक द्वारा नियुक्ति हो चुकी थी और प्रबन्धक को अधिकार है कि वह नियुक्ति कर सकता है इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन को इसकी सूचना नहीं दी गयी। श्रीमन्, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार ने ऐसा निश्चय कर लिया था और प्रबंधक को ही नियुक्ति का अधिकार दे रखा था तो सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन को इस बात की सूचना मिलनी चाहिये थी कि इस नियुक्ति का अधिकार प्रबंधक को है और प्रबंधक ने नियुक्ति कर ली है इसलिये हमने इस नियुक्ति का अधिकार किसी को न देकर प्रबंधक को ही दे रखा है और आपके अधिकार से निकाल लिया है। लेकिन उसको कोई ऐसी सूचना नहीं दी गयी।

दूसरी बात ग्लास टैकनोलाजिस्ट की है जिसकी नियुक्ति बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानकारी के की गयी है। कमीशन ने जब सरकार से इस बात की जानकारी प्राप्त की कि ऐसी नियुक्ति बिना उसके परामर्श के कैसे की गयी, जब उसने सरकार से इसका ऐक्सप्लेनेशन मांगा कि इसका कारण बताया जाय क्योंकि जो कारण सरकार द्वारा बताया गया है उससे पब्लिक सर्विस कमीशन को संतोष नहीं है तो इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई विशेष कारण नहीं है जिसका उल्लेख किया जाता। इस तरह से उपेक्षा का भाव पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ बरता गया है। जो आदर का भाव उसके प्रति होना चाहिये था वह नहीं बरता गया। विभागों की तरफ से भी जो रुख अपनाया गया है, उसकी व्याख्या इस रिपोर्ट में की गयी है। कुछ विभागों ने कमीशन के प्रति जो रुख अपनाया है वह बहुत ही दुखद है। शिक्षा विभाग के अन्दर एक बहुत ऊंचे पद पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श के कर ली गयी।

दूसरी नियुक्ति पुलिस विभाग के अन्दर हुई। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का जब चुनाव हो रहा था तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बात की जानकारी करनी चाही कि पुलिस विभाग के तमाम ऐसे लोगों की ऐंन्ट्रीज हमारे पास भेजी जांय। ताकि उन्हें यह मालूम हो जाय कि कोई ऐसा सीनियर अधिकारी जिसे इस बात का हक हासिल होना चाहिये उसका हक तो नहीं छीना जा रहा है, इस बात की जानकारी पब्लिक सर्विस कमीशन को करनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया गया है उससे भी स्पष्ट होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को काफी ठेस पहुंची और उन्हें भी इस बात का घोर दुख है। यह इस बात से विदित हो जाता है जो कमीशन ने अन्त में लिखा है।

श्री अध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया। हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
११ अगस्त, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

नलकूप सूची जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने हैं ।
प्रान्त—गोरखपुर

क्रम-संख्या	ग्रुप का नाम	स्थान जहां नलकूप बनने हैं	वर्तमान स्थिति
१	फरेन्दा	पचामा	लोअरिंग होना है ।
२	फरेन्दा	शेखुई	डिवलेपमेंट करना है ।
३	,,	सनुई	१६ इंच केसिंग पाइप का एक्सट्रेक्शन चल रहा है
४	बांसगांव	गझेरा	पंम्पिग सेट लोअर करा दिया गया है पंप बन रहा है ।
५	,,	पांडेपुर	,, ,, ,,
६	,,	ढांढारारी	(भैंसा बाजार) कूप डेवलप होना है ।
७	,,	मचौली	,, ,, ,,
८	गोरखपुर	हरपुर	पंपिंग सेट की फिटिंग होनी है ।
९	,,	मुहद्दीपुर	पंप हाउस पूर्ण हो चुका है, फिटिंग होना है ।
१०	,,	सरिया	पूर्ण हो चुका है । हाईडिल लाइन नहीं है ।
११	,,	रघुनाथपुर	,, ,, ,,
१२	फरेन्दा	लोहारपुरवा	पंप हाउस बना है, डिवलपमेंट पूर्ण है ।
१३	बांसगांव	पागर	पंपिंग सेट लोअर हो चुका है, पंप हाउस बनना है ।
१४	,,	मुडियार	डेवलपमेन्ट होने ही वाला है।
१५	,,	पिंडरी	फिटिंग पूर्ण है, विधुत शेष है ।
१६	,,	अहिरौली	,, ,, ,,
१७	,,	रामडीह	,, ,, ,,
१८	,,	पसारी खास	,, ,, ,,
१९	,,	दुधेरा	,, ,, ,,
२०	,,	बिशनपुर	चल रहा है ।
२१	,,	घसियापार	ट्रान्सफार्मर रखना है ।
२२	,,	खजनी	,, ,, ,,
२३	,,	पटरिया	बोरिंग जारी है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

गोरखपुर जिले में सन् १९५६ तथा १९५७ में थानेदारों, हेड कांस्टेबुलों तथा कांस्टेबुलों के विरुद्ध की गई वैभागिक कार्यवाही के परिणाम का विवरण

कर्मचारी का पद	जिनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गयी	जो मुअत्तल किये गये	नौकरी से अलग किये गये	वेतन में कमी की गई	रिवर्ट कर दिये गये	आचरण पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई	छोड़ दिये गये	जिन पर कार्यवाही अभी चल रही है	विशेष
सन् १९५६ में									
थानेदार	९	२	३	२	..	३	१	..	..
हेड कांस्टेबुल ..	४	२	२	१	१	..	..	..	..
कांस्टेबुल	१६	१२	४	५	..	२	५	..	इसमें मुंशी सम्मिलित हैं।
सन् १९५७									
थानेदार	६	३	१	२	..	३	..	..	..
हेड कांस्टेबुल ..	६	२	१	२	३	..	..	..	..
कांस्टेबुल	२८	१५	१	२१	..	४	२	..	इसमें मुंशी सम्मिलित हैं।

नत्थी ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४९ पर)

उत्तर प्रदेश में सरकारी संरक्षण में चलाये गये राइफल प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या तथा उनके स्थान

स्थान	संख्या	स्थान	संख्या
१—देहरादून ..	१	२४—मिर्जापुर ..	१
२—सहारनपुर ..	१	२५—गाजीपुर ..	१
३—मुजफ्फरनगर ..	१	२६—गोरखपुर ..	१
४—मेरठ ..	(१+६)७	२७—बस्ती ..	१
५—अलीगढ़ ..	.. १	२८—देवरिया ..	१
६—मथुरा ..	.. १	२९—नैनीताल ..	१
७—आगरा ..	.. १	३०—अल्मोड़ा ..	१
८—एटा ..	.. १	३१—टेहरी—गढ़वाल	२(१+१)
९—बरेली ..	.. १	३२—लखनऊ ..	१
१०—बिजनौर ..	.. १	३३—उन्नाव ..	१
११—बदायूं ..	.. १	३४—रायबरेली ..	१
१२—मुरादाबाद ..	.. १	३५—हरदोई ..	१
१३—शाहजहांपुर	.. १	३६—खीरी ..	१
१४—पीलीभीत	.. १	३७—फैजाबाद ..	१
१५—रामपुर ..	.. १	३८—गोंडा ..	१७
१६—फर्रुखाबाद	.. १	३९—बाराबंकी ..	१
१७—इटावा ..	.. १	४०—फतेहपुर ..	१
१८—कानपुर ..	.. १	४१—बांदा ..	२
१९—इलाहाबाद	.. १	४२—सीतापुर ..	१
२०—झांसी ..	१+१(२)	४३—प्रतापगढ़ ..	१
२१—जालौन ..	.. १	४४—जालौन ..	१
२२—हमीरपुर ..	.. १	४५—बहराइच ..	१
२३—वाराणसी ..	३(१+२)		

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४८ व १४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

विवरण-पत्र 'क'

टावा जिले के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध १९५६ तथा १९५७ में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पास किये गये स्ट्रिक्चर्स के बारे में सूचना

क्रम-संख्या	पुलिस कर्मचारी जिनके विरुद्ध स्ट्रिक्चर्स पास हुए	अदालत जिसने स्ट्रिक्चर्स पास किए	कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
		सन् १९५६	
१	सब-इंस्पेक्टर श्री बद्री प्रसाद	अतिरिक्त सेशन जज (प्रथम), इटावा	आरोप सही नहीं पाए गये अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।
२	असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर श्री मोर मुकुट अग्रवाल	सहायक सेशन जज, इटावा	आरोप सही नहीं पाये गये ।
३	सब-इंस्पेक्टर श्री शिवनाथ तिवारी	अतिरिक्ति सेशन जज (प्रथम), इटावा	दोनों सब-इंस्पेक्टरों की आचरण पुस्तिकाओं में दुराचरण की प्रविष्टि कर दी गई ।
४	तथा सब-इंस्पेक्टर श्री मुन्शी लाल	,,	
५	सब-इंस्पेक्टर श्री लछमन सिंह तथा	,,	दोनों की आचरण पुस्तिकाओं में दुराचरण की प्रविष्टयां कर दी गई ।
६	हेड कांस्टेबुल श्री रामस्वरूप		
७	सब-इंस्पेटर श्री हर चरण सिंह	,,	इनकी आचरण पुस्तिका में दुराचरण प्रविष्टि कर दी गई है ।
		सन् १९५७	
८	सब इंस्पेक्टर श्री सोहनलाल	सहायक सेशन जज, इटावा	,,
९	सब-इंस्पेक्टर श्री के० एन० चतुर्वेदी	अतिरिक्ति सेशन जज (प्रथम) इटावा	सब-इंस्पेक्टर का जवाब तलब किया गया है ।
१०	सब-इंस्पेक्टर श्री एस० एन० तिवारी	,,	सब-इंस्पेक्टर का मैनपुरी को स्थानान्तरण हो गया है । उनका जवाब तलब किया गया है।
११	सब-इंस्पेक्टर श्री अब्दुल हामिद	हाईकोर्ट, इलाहाबाद	सब-इंस्पेक्टर की मृत्यु हो चुकी है अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

विवरण-पत्र 'ख'

इटावा जिले के पुलिस कर्मचारियों पर चले रहे मुकदमों का विवरण

क्रम-संख्या	पुलिस कर्मचारी का नाम तथा (थाना)	धारा	वर्तमान स्थिति	निलम्बित है अथवा नहीं
१	सब-इंस्पेक्टर श्री रामदास, थाना जसवन्तनगर	२०१ भा० द० वि०	अतिरिक्त सेशन जज ने ४०० रु० जुर्माना या उसके बदले २ सप्ताह की सख्त कैद की सजा दी सब-इंस्पेक्टर ने हाई कोर्ट में अपील की है जो विचाराधीन है।	निलम्बित है
२ ३ ४ ५	सब-इंस्पेक्टर श्री चरण सिंह हे० कां० श्री जय सिंह कां० श्री राम चरण कां० श्री दफेदार सिंह, थाना जसवन्तनगर	१४७/३४२/ ४५८/२२० भा० द० वि० (इस्तगासा,	जुडीशियल अफसर इटावा केवल ४५८ धारा के अन्तर्गत चार्ज लगाया मुस्तगीस होरी ने एडीशनल सेशन जज के यहां रिवीजन की प्रार्थना की। उक्त न्यायालय ने अपनी स्तुति के साथ मामला हाई कोर्ट को आज्ञार्थ भेज दिया है जहां वह विचाराधीन है।	निलम्बित नहीं है।
६	कां० श्री रती राम, थाना कोतवाली	३६३ ——— ३६६ भा० द० वि० ३४२/१६१	न्यायालय में विचाराधीन है।	निलम्बित है
७	सब इंस्पेक्टर श्री हशमतउल्ला जाफरी, थाना फंफूद इनका कानपुर ट्रांस्फर हो चुका है।	भा० द० वि० (इस्तगासा)	न्यायालय में विचाराधीन है।	निलम्बित नहीं है

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

जनवरी सन् १९५८ से जून सन् १९५८ तक ललितपुर सबडिवीजन (झांसी) में मारे गये तथा पकड़े गये डाकुओं के नामों की सूची

मारे गये

१—डलुवा
२—राम चरण

पकड़े गये

१—प्यारे लाल
२—जगन
३—रघुवीरसिंह
४—हरूआ
५—सीताराम
६—हलका
७—पजन
८—गजराज
९—राजधर
१०—गनपत
११—सुजान
१२—चन्दन
१३—अर्जुन
१४—शिवराज
१५—वीरसिंह
१६—फदाली
१७—वारेलाल, पुत्र बोदन
१८—गुलाब
१९—मुल्ला
२०—अजुध्या
२१—वारेलाल, पुत्र अर्जुन
२२—निर्भय सिंह

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१२० एल० ए०—१९५८—८३७।